खण्ड-132, अंक-1
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1876
(22 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 132 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री संयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशनखन्ना, श्री
फजलुलहक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री

मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माक्षाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मदफारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
राम सहाय शर्मा श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज, श्री
वंशीदास धनगर, श्री

धंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सूरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद , श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

होली-मिलन के हेतु बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज होली के शुभ पर्व के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं इस लिए सदन की यह इच्छा है कि सदन आध घंटे के लिए स्थगित किया जाय ताकि सब लोग आपस में मिल सकें।

श्री अध्यक्ष---सदन के स्थगित किये जाने का प्रस्ताव तो प्रश्नों के बाद ही आ सकता है।

श्री केशव गुप्त—पहले हो जाय, यह होली का अवसर है, फिर आबकारी का बजट भी आज ही आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—तो उसी के पहले रख लिया जाय।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के कुछ गांवों का जिला सुल्तानपुर में मिलाया जाना

*१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले से कौन कौन गांव किस कारण निकाल कर दूसरे जिले में मिलाये गये हैं?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—जौनपुर जिले के निम्नलिखित २६ गांव सुल्तानपुर जिले में मिला दिये गये हैं। ये गांव पहले से ही सुलतानपुर के जिले की सीमाओं के भीतर और उनसे सब ओर से घिरे हुए थे। उनको प्रशासन (Administration) की सुविधा की दृष्टि से ही सुल्तानपुर जिले में मिलाया गया है :—

१—मलहीपुर।
२—वाजिदपुर।
३—समावन।
४—फर्मानपुर।
५—तिलोकपती।
६—सिहौली।
७—क्योरीपुर।
८—कंधार पट्टी।
९—बमहानपुर।
१०—बेटी कलां।
११—तिमारीपुर।
१२—बेटी खुर्द।
१३—नेवाजगढ़।
१४—पाठनीपुर।
१५—सराई गोपाल।
१६—सुलतानपुर।
१७—सिखपुरा।
१८—गौरा।
१९—लौवा।
२०—छितौना कलां।
२१—सलाहपुर।
२२—शिवपुर।
२३—छितौना खुर्द।
२४—बनेहरा।
२५—लौरपुर।
२६—दशौपुर।

*२—श्री बाबूनन्दन—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जो गांव निकाले गये हैं, वहां की जनता की कोई दरख्वास्त सरकार के पास भेजी गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

*३—श्री बाबूनन्दन—यदि हां, तो वह क्या है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार के पास निम्नलिखित निवेदन-पत्र (representations) भेजे गये थे—

(१) जौनपुर के २४ गांव को किसी दूसरे जिले में मिलाने के विरुद्ध श्री भगवतीदीन तिवारी, एम० एल० ए० और कुछ अन्य सज्जनों का जनवरी, १९५३ का निवेदन-पत्र।

(२) जौनपुर जिले के मलहीपुर बैती कलां, बैती खुर्द, सराय गोपाल, सुलतानपुर, छितौना खुर्द और छितौना कलां गांव के निवासियों का जौनपुर जिले के २४ गांव को किसी अन्य जिले में मिलाये जाने के विरुद्ध फरवरी, १९५३ का निवेदन-पत्र ।

(३) श्री गुरुप्रसाद तथा सुलतानपुर से विधान सभा के दो सदस्यों का फरवरी, १९५३ का निवेदन-पत्र जिसमें मलहीपुर को सुलतानपुर से निकालकर जौनपुर के जिले में और कोइरीपुर को जौनपुर से निकाल कर सुलतानपुर जिले में मिलाने के लिए प्रार्थना की गयी थी ।

(४) जौनपुर जिले के २४ गांवों को किसी दूसरे जिले में मिलाये जाने के विरुद्ध जौनपुर के श्री भगवतीदीन तिवारी, एम० एल० ए० तथा बहुत लोगों का मार्च, १९५३ का निवेदन-पत्र ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के २४ गांवों को दूसरे जिलों में मिलाये जाने के विरुद्ध मार्च, १९५३ में जो आवेदन-पत्र दिया गया था, उसपर क्या कार्यवाही की गयी ?

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)—इन्हीं आवेदन-पत्रों पर विचार करने के बाद ही ये गांव मिलाये गये थे ।

श्री बाबूनन्दन—सन् १९५३ ई० में जबकि गांव मिला दिये गये थे, उसके बाद जो प्रार्थना-पत्र दिये गये थे कि गांव न मिलाये जायं, उनके सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह—ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर कोई गौर नहीं किया गया ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ गांव ऐसे नहीं हैं, जो जौनपुर जिले की सीमा के भीतर घिरे हुए हैं और उनपर सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले की सीमा के अन्दर जो गांव थे, उनमें से कुछ को जौनपुर जिले में ही विलीन कर दिया गया और अगर कुछ ऐसे गांव हैं जो दूसरे जिले से वास्ता रखते हों, और जौनपुर जिले की सीमा के भीतर हों, और माननीय सदस्य अगर बतलायेंगे तो गौर किया जायगा कि वह मिला दिये जायं ।

श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि ग्रामीणों ने उसके विरोध में सत्याग्रह करने का निश्चय किया है, और इसकी सूचना उन्होंने माननीय माल मन्त्री जी को दे दी है ?

श्री चरण सिंह—मेरे पास तो सत्याग्रह करने की धमकी का कोई प्रार्थना-पत्र आया नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों के पुनर्परिसीमन की कोई व्यापक योजना चल रही है ?

श्री चरणसिंह—जिलों के बटवारे की नहीं बल्कि सूबे भर में कुछ ऐसे गांव हैं, जिनका एक जिले में जुरिस्डिक्शन है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वह पड़ोस के जिले की सीमा के भीतर बैठते हैं तो उससे प्रशासन में कठिनाई होती थी और यह गांव अधिकतर सुल्तानपुर और जौनपुर के जिले में थे । सुल्तानपुर अवध में था इसलिए वहां टिनेंसी ला दूसरा था और जौनपुर आगरा प्राविन्स में था, इसलिए वहां का टिनेंसी ला दूसरा था । वहां के कलेक्टर बराबर लिख रहे थे कि ऐसे गांव जहां स्थित हैं, वहीं विलीन कर दिये जायं । लेकिन अब हमने हर जिले से पूछा है कि ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जो दूसरे जिले में स्थित हैं बल्कि ऐसे ४-५ गांवों की बाबत कार्रवाई भी की जा चुकी है ।

ज्योलीकोट मौनालय, जिला नैनीताल की व्यवस्था एवं संगठन में परिवर्तन

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनी ताल)—क्या सरकार ने ज्योलीकोट मौनालय (Bee Keeping Form), जिला नैनीताल की व्यवस्था व संगठन में कोई परिवर्तन करने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो क्यों ?

कृषि उपमन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां। ज्योलीकोट मौनालय की व्यवस्था व संगठन में कुछ परिवर्तन करना राज्य के मौनपालन कार्य के हित में आवश्यक समझा गया।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या ज्योलीकोट में मौनपालन के सम्बन्ध में शिक्षण केन्द्र खोलने का विचार सरकार ने स्थगित कर दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ज्योलीकोट का वर्तमान मौनपालन शिक्षण केन्द्र ज्यों का त्यों चालू रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ज्योलीकोट मौनालय के संगठन और व्यवस्था में क्या पविरर्तन किये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ज्योलीकोट मौनालय पहले एक अवैतनिक अधिकारी के चार्ज में था और दूसरी व्यवस्था मैदानों के लिए थी, वहां पर भी एक अवैतनिक अधिकारी थे लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक ऐन्टी मोलोजिस्ट के सिपुर्द कर दिया गया है। वह ज्योलीकोट में केन्द्र रख कर पहाड़ी इलाकों की देखभाल करता है और मैदानों की भी देखभाला करत है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, उनकी क्या विशेष योग्यतायें हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियुक्त किया है। जो योग्यतायें थीं, वह एडवरटाइज की गयी थीं, और उन्हीं के अनुसार नियुक्ति हुई थी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या प्रान्त के अन्य भागों में भी इस किस्म के केन्द्र खोलने पर विचार करने के लिए सरकार प्रस्तुत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—विचार तो ऐसा है कि मौनालय का कार्य एक बहुत ही उपयोगी कार्य है, लेकिन जैसे-जैसे रुपये की व्यवस्था होती जायगी उसी प्रकार से केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि पिछले वर्ष परीक्षार्थियों को शिक्षण केन्द्र में बुला करके भी शिक्षण केन्द्र बन्द कर दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

भूमि रसायनशाला रुद्रपुर के कर्मचारियों को तराई भत्ता न देना

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भूमि रसायन शाला (Soil Research Laboratory) रुद्रपुर के कर्मचारियों को तराई एलाउन्स नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

अब तक तराई का भत्ता वहां की अस्वास्थ्यप्रद अवस्थाओं तथा वहां पर जीवनयापन की साधारण सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण दिया गया है, रुद्रपुर में जहां पर भूमि रसायन-शाला स्थित है, उक्त कठिनाइयां उस सीमा तक विद्यमान नहीं हैं कि रसायनशाला के कर्मचारियों को तराई का भत्ता प्रदान किया जाय। इसके अतिरिक्त वर्तमान आर्थिक संकट के कारण शासन ऐसे भत्तों को साधारणतः प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह भूमि रसायन शाला रुद्रपुर में कहां पर स्थित है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—रुद्रपुर टाउन जहां पर बसाया जा रहा है, उसके बिलकुल निकट ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि रुद्रपुर में अन्य कर्मचारियों को जो तराई कालोनाइजेशन का कार्य करते हैं सभी को तराई एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सभी को नहीं दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस भूमि रसायन शाला में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

लगान वसूली के लिए स्थायी हल्के तथा कर्मचारी

*७—श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार लगान वसूली के लिए मुस्तकिल हल्के बनाने और मुस्तकिल मुलाजिम वसूली के लिये रखने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सम्मिलित संग्रह योजना के अन्तर्गत वसूली के हल्के बनेंगे और बारहमासी कर्मचारी रक्खे जायेंगे। यह कर्मचारी फिलहाल अस्थायी होंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—ये कर्मचारी कब से स्थायी किये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—अभी स्थायी करने का सवाल नहीं है। इसलिए तारीख का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले से प्रतिमास मछलियों का निर्यात

*८—श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले से हजारों मन मछलियां दूसरे प्रान्तों में प्रति माह भेजी जाती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—विभाग द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि बलिया जिले से लगभग १३० मन मछली प्रति मास बाहर भेजी जाती है।

*९—श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिले की खाद्य समस्या सुलझाने की दृष्टि से कोई ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेगी जिससे मछलियों का बलिया जिले से बाहर दूसरे प्रान्तों में भेजना रोका जा सके ?

नोट—तारांकित प्रश्न ७ से ९ तक श्री नेकराम शर्मा ने पूछे।

श्री जगनप्रसाद रावत---बलिया जिले में मछली का उत्पादन लोगों की आवश्यकता से अधिक होता है, अतएव फालतू मछली के बाहर भेजे जाने पर रोक लगाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मछलियां किस-किस प्रदेश को भेजी जाती हैं और कितने रुपये की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मछलियां अधिकतर बंगाल को भेजी जाती हैं, लेकिन दाम समय-समय पर बदलने से घटता बढ़ता रहता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत बलिया के व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा आयी है कि बलिया में मछलियों की कमी पड़ती है, उनको बाहर न भेजा जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है लेकिन अगर बलिया के लोग इस बात को महसूस करते हैं तो वे मछलियों को खरीद लें ताकि वे बाहर न भेजी जा सकें।

सोमल ताल क्षेत्र, रामकोला, देवरिया के ताल से नाला बनवाने की योजना

*१०---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सोमल ताल क्षेत्र (रामकोला) देवरिया में इस वर्ष अतिवृष्टि से कितने एकड़ जमीन की फसल नष्ट हुई है ? और उसमें कितना अन्न तथा गन्ना पैदा होने का अनुमान था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---सोमल ताल क्षेत्र, रामकोला, देवरिया में इस वर्ष अतिवृष्टि से लगभग ६०० एकड़ धान तथा १७० एकड़ गन्ने की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन खेतों में ५,००० मन धान तथा ८,५०० मन गन्ने की उपज का अनुमान था, परन्तु अति वृष्टि से क्षति के कारण अनुमान है कि केवल ३,००० मन धान तथा ३,८०० मन गन्ना पैदा हुआ।

*११---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह सच है कि इस ताल से पानी निकालने के लिए नाला बनाने की कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसे क्या कार्यान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां, सोमल ताल क्षेत्र का सर्वे हो गया है और उससे पानी निकालने की एक योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

*१२---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह सच है कि यहां की चीनी मिल से सीरा तथा गन्दा पानी निकलने से भी फसल की क्षति हुई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सोमल ताल का किन किन गांवों से सम्बन्ध है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---किन-किन गांवों से सम्बन्ध है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—जब पहली रिपोर्ट फसल के नुकसान की आयी थी तो क्या जिन गांवों में सोमल ताल है और जिस फसल के नुकसान का इस वक्त जिक्र किया जा रहा है उसका जिक्र उस रिपोर्ट में था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—फसल के डैमेज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो जिले से आती है, वह देवरिया से आयी थी या नहीं आयी थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह जो कुछ नुकसान की बात कही गयी है, वह रिपोर्ट के आधार पर कही गयी है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सोमलताल की मालगुजारी माफ हो जायगी ?

श्री चरणसिंह—अगर आठ आने से ज्यादा नुकसान होता है तब मालगुजारी कम होती है और अगर बारह आने से ज्यादा नुकसान होता है, तब माफ होती है। यहां ऐसा है नहीं। एक फसल में ४० फी सदी नुकसान है और एक फसल में २० फी सदी ही नुकसान है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—सोमलताल से पानी की निकासी की व्यवस्था जो सरकार करने जा रही है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—एक चैनल निकालने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ में घाघरा और राप्ती की बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता

*१३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील जिला आजमगढ़ में घाघरा और राप्ती की बाढ़ से कितने गांव प्रभावित हुए और सम्प्रति कौन-कौन सी सहायतायें वहां पहुंचायी जा रही हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—राप्ती तथा घाघरा की बाढ़ में आजमगढ़ की घोसी तहसील के ४३ गांवों को प्रभावित किया। इन गांवों में जो सहायता कार्य किया गया वह इस प्रकार है :—

(१) बाढ़ पीड़ित लोगों की तत्काल सहायता के लिए नीचे लिखी वस्तुयें निर्मूल्य वितरित की गयीं :—

क—अन्न	..	..	१५० मन।
ख—नमक	..	..	१२ मन।
ग—मिट्टी का तेल	..	..	२० टीन।
घ—दियासलाई	..	..	५७ दर्जन।
ङ—गुड़	..	..	१ मन।
च—कपड़ा	..	..	१,३०० गज।

(२) २,८९० रु० की मुफ्त सहायता गल्ले के रूप में।

(३) अब तक ६०,००० रुपये की अकाल तकावी अन्न के रूप में बांटी गयी है।

(४) १,२०,००० रुपये की तकावी रबी के बीजों के लिए नकद रूप में तथा अन्न के रूप में बांटी गयी।

(५) दुबरी-मधुबन सड़क और घोसी-मधरवा सड़क पर टेस्ट वर्क खोले गये।

(६) ४० ए० पी० दुकानें इन गावों में खोली गयी हैं, जहां और सस्ते अन्नों के अतिरिक्त कार्ड होल्डर्स को आटा भी मिल सकता है।

(७) बाढ़ क्षेत्र में पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए उचित चिकित्सा तथा औषधि का प्रबन्ध किया गया। दूध का पाउडर भी बांटा गया।

(८) जिन लोगों के घर बह गये हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसने में सहायता की जा रही है।

(९) सभी सरकारी पावनों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। नियमानुसार जहां भूमिकर में छूट की आवश्यकता होगी, वहां छूट दी जायेगी।

(१०) ५६ बड़ी और छोटी नावों का बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रबन्ध किया गया और ७,०२० व्यक्तियों को तथा १,६३७ जानवरों को बाढ़ के क्षेत्र से निकाला गया।

(११) जिन मकानों को क्षति पहुंची, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए निम्नलिखित धनराशि अलग कर दी गयी है :—

	रु०
मुफ्त सहायता	५,०००
किसानों को तकावी पर	४,०००
गैर-किसानों के लिए कर्ज	२,०००

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो सहायता (क) से (च) तक दी गयी है, यह कितने महीनों में दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—कितने दिनों के अन्दर दी गयी यह तो नहीं मालूम है लेकिन बाढ़ आने के फौरन बाद दी गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि जबकि बाढ़ ९ अगस्त को ही आगयी थी, १९ अगस्त तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंचायी गयी थी ?

श्री चरणसिंह—तारीख तो याद नहीं है। इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है। लेकिन ९ अगस्त को बाढ़ आयी और १९ अगस्त को ही सहायता पहुंच गयी तो बहुत जल्द पहुंच गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दुबारी–मधुबन और मधवारा-घोसी सड़क पर टेस्ट वर्क में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री चरणसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि दुबारी–मधुबन और मधवारा–घोसी सड़क पर टेस्ट वर्क मार्च के पहले ही बन्द कर दिया गया था ?

श्री चरणसिंह—इसकी सूचना तो यहां नहीं है लेकिन अगर मार्च में बन्द किया गया तो बहुत ठीक किया गया, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया था और तब मजदूरी खेतों में काफी मिल सकती थी।

परगनाधीश घोसी, जिला आजमगढ़ की अदालत में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या

*१४—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश घोसी, जिला आजमगढ़ की अदालत में किस सन् तक के मुकदमे बिना निर्णय के पड़े हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सन् १९५३ ई० तक के।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ के पहले के कितने मुकदमे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस समय सन् १९५३ के पहले का कोई मुकदमा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—१९५३ में कितने मुकदमे थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, मैंने पूछा था कि १९५३ में कितने मुकदमे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि सूचना की आवश्यकता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है। आपने सवाल पूछा है कि किस सन् तक के मुकदमे बिना निर्णय के पड़े हैं, आपने सन् पूछा है, नम्बर नहीं पूछा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि घोसी तहसील में मुकदमों की ज्यादा भरमार है और ठीक वक्त पर फैसले नहीं होते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह तो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में सवाल पूछा गया है। सन् १९५२ में कुछ मुकदमे जरूर पुराने पड़ गये थे। उसका कारण यह था कि जुलाई, १९५२ से अगस्त, १९५३ तक सूखा की वजह से सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स सहायता के कार्य में लग गये थे। कुछ जेड० ए० सी० के काम में लग गये थे, उसमें छै हफ्ते लग गये। कुछ ऐक्ट ३१ दफा ४ के सम्बन्ध में मौके पर जाकर तहकीकात करने के कारण मुकदमे पीछे रह गये थे। फिर किसानों का सत्याग्रह आन्दोलन चला। कुछ इन झगड़ों के कारण और जुलाई के महीने में बाढ़ के प्रकोप के कारण मुकदमे पुराने हो गये थे। लेकिन १९५२ तक के मुकदमे खत्म कर दिये गये हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि सन् १९५३ के मुकदमे बकाया में पड़ गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि घोसी तहसील में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट इन मुकदमों को फैसल करने के लिए नियुक्त करे ?

श्री चरणसिंह—अगर जिलाधीश ने लिखा और जरूरी समझा तो जरूर कर दिया जायगा। मैं प्रश्नकर्त्ता महोदय से कहूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा परेशान न किया करें, ताकि उनको फैसला करने के लिए समय मिल जाया करे।

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में फैजाबाद आजमगढ़ सड़क पर कंधरापुर का बांध

*१५—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के कंधरापुर में (फैजाबाद-आजमगढ़ रोड पर) जो बांध बनवाया गया है उसपर कितना धन खर्च हुआ है और उससे कितने एकड़ की सिंचाई होती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क पर कंधरापुर के बांध को बनाने में कुल ९४० रु० १३ आ० ६ पा० व्यय हुआ। इस से लगभग ६० एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान था परन्तु कुछ दुष्ट लोगों द्वारा काट दिये जाने के कारण बांध से बने जलाशय का सब पानी बह गया।

*१६---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सगड़ी तहसील के मितिहरा ग्राम (दबही के ताल पर) के बांध पर कितने की मिट्टी पड़ी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---सगड़ी तहसील के भिटेहरा गांव के बांध पर केवल ७६ रु० २ आ० की मिट्टी पड़ी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन बदमाशों ने बांध काटा उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट की गयी और मुकदमा चल रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि किसी बदमाश ने उसको नहीं काटा बल्कि वह अपने आप कट गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जवाब में कहा गया है कि कुछ लोगों ने बांध काट दिया लेकिन कुछ इस सम्बन्ध में विरोध भी था।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस इन्जीनियर की स्वीकृति से यह बांध बनाया गया है ?

श्री चरणसिंह---इन्जीनियर का क्या नाम था और क्या डेजिगनेशन था इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि इसके स्थान के सम्बन्ध में इन्जीनियर ने अपना निर्णय दिया था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार किसी स्पेशल आफिसर द्वारा जांच कराकर सही जानकारी हासिल करना चाहती है ?

श्री चरणसिंह---अब तक जो वाकयात मालूम हुए हैं उनको देखते हुए तो किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है और अगर कोई बात बाद में उमाशंकर जी या रामसुन्दर जी ऐसी बतायें कि जिससे किसी तहकीकात की आवश्यकता हो तो कर ली जायगी।

*१७-१९---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*२०-२२---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

सरजू की बाढ़ के कारण जमुआर नाला से फसलों को हानि

*२३---**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जमुआर नाला सलेमपुर, देवरिया, भागलपुर से सरजू के बाढ़ के कारण हर वर्ष कितने एकड़ खेतों को बहा देता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब घाघरा नदी से बाढ़ आती है तब जमुआर नाला से लगभग ५०० एकड़ से १,००० एकड़ तक भूमि की फसल को हानि पहुंचती है।

***२४—श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या इस नाले का पुल बांध कर खेती की रक्षा करने का सरकार विचार करती है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस क्षेत्र का सर्वे यह ज्ञात करने के लिए किया जारहा है कि क्या घाघरा के उल्टा बहाव के कारण होने वाली बाढ़ से इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक रेगुलेटर बनाने की संभावना है, आगे की कार्यवाही सर्वे के परिणाम पर निर्भर है।

***२५—श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या सरकार कसौली नाला, सलेमपुर, देवरिया पर जो पुल है उसमें फाटक लगा कर बाढ़ से खेती बचाने का विचार करती है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कसौली नाले पर भी रेगुलेटर लगाने की संभावनाओं को जाँचने के लिए सर्वे किया जा रहा है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में जमुआर नाला या कसौली नाले के बीच में या और भी जो छोटे-छोटे नाले हैं उनके ऊपर भी कोई योजना विचाराधीन है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस समय तो यह जवाब में कहा गया है कि दोनों नालों के सम्बन्ध में रेगुलेटर लगाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। वैसे और किसी नाले के सम्बन्ध में अगर माननीय वक्ता महोदय सूचना चाहें तो बतायें। उसकी सूचना मिलने पर जवाब दिया जायगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—बाढ़ रोकने के लिए कब से कार्यवाही शुरू होगी?

श्री चरणसिंह—कई बार इस सिलसिले में जवाब दे चुका हूं कि बाढ़ रोकने के कार्य के सिलसिले में गवर्नमेंट कुछ कदम उठाने जा रही है और बजट में उसके लिए रुपया भी रखा गया है। बाढ़ ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए तिथि रखी जा सके कि फलां तारीख को रुक जायगी।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार जो कार्यवाही करने जा रही है वह अगले बरसात के पहले हो सकेगी जिससे कि बाढ़ रोकी जा सके?

श्री चरणसिंह—इस अगली बाढ़ से पहले कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो सकेगी जिस से बाढ़ रुक जाय। उसके लिए कोशिश की जायगी, बरसों लगेंगे और फिर भी बाढ़ रुकेगी नहीं।

गोरखों की भरती के लेहड़ा कैम्प को तोड़ देने की आवश्यकता

***२६—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से ऐसी कोई सूचना मिली है कि लेहड़ा कैम्प (जहाँ से अंग्रेजों द्वारा गोरखे भरती करके मलाया भेजे जाते हैं) अब तोड़ दिया जायगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी तक केन्द्रीय सरकार से ऐसी कोई सूचना प्रादेशिक सरकार को नहीं मिली।

***२७—श्री झारखंडेराय**—अगर हां, तो कब से और यह जमीन कब तक खाली हो जायगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री जो बताने की कष्ट करेंगे कि उनके पास किसी भी साधन से ऐसी सूचना है कि वह कैम्प अब तोड़ दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---केन्द्रीय शासन से हमारे पास कोई इत्तला नहीं आयी।

गोरखपुर में राप्ती के बांध के टूट जाने से क्षति

*२८---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर शहर के पास के राप्ता के बांध के टूट जाने और लेहसड़ी बाजार के बह जाने से सरकार और जनता की कितनी क्षति हुई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---राप्ती बांध के टूट जाने से लेहसड़ी गाँव के ७५ मकान गिर गये तथा कछार का फसल को पूरी तथा उपरवार में लगभग एक तिहाई फसल को क्षति पहुंची। कुल हानि अनुमानतः ३५,२९७ रु० की हुई। एक स्त्री भी डूब कर मर गयी।

इस गांव के बाजार को कुछ भी हानि नहीं हुई।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बांध टूटने के कारणों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरणसिंह---पानी का ज्यादा आ जाना।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के टूटने से सरकार को कितनी हानि हुई, क्योंकि जो हानि बतलायी गयी है, वह पब्लिक की हानि बतलायी गयी है ?

श्री चरणसिंह---इसमें सरकार के अफसरों का वक्त खराब हुआ। वह हानि हुई। कुछ सहायता जरूर पहुंचायी गयी होगी। वह भी हानि सरकार ही को हुई। मुमकिन है और भी हानि हुई हो, जिसके लिए अगर बहुत तफसील चाहिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय---बांध टूटने के बाद जो बाढ़ आयी, उसमें सरकार की ओर से जनता को क्या सहायता पहुंचायी गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---१८ मन आटा, मिट्टी का तेल, दियासलाई, चना, नमक मुफ्त दिया गया और १३ व्यक्तियों को राशन मुफ्त में दिया गया।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस बांध को फिर मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाये गये ?

श्री चरणसिंह---जहाँ तक मुझे याद है इस खराबी को श्रमदान द्वारा दूर करने का विचार है। जो पहले उत्तर आया था उसमें इस तरह का जवाब दिया गया था। लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। अगर माननीय मित्र जानना चाहेंगे तो मालूम करा दूंगा।

*२९---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

पिछले चार वर्षों में रोडवेज विभाग में गबन के मामले

*३०---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले चार वर्षों में रोडवेज विभाग में कितने केस गबन के हुए, उनमें कितना नुकसान हुआ, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और कितनों को सजा हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--पिछले चार वर्षों में ४१ गबन के केसेज हुए। गबन की रकम इन सब केसेज में मिलाकर ५१,३४४ रु० १० आ० २ पा० की थी। इसमें से १३,९२९ रु० ६ आ० ६ पा० वसूल हो चुके हैं।

कुछ मामले अदालत के विचाराधीन हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वाकई में कितने रुपयों का नुकसान रोडवेज को उठाना पड़ेगा।

६१ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और उनमें से २० को सजा मिल चुकी है।

*३१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज की सेन्ट्रल और रीजनल वर्कशाप का कितना रुपया उन व्यक्तियों पर पावना है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों की वर्कशाप में मरम्मत करवाई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना इकट्ठा की जा रही है।

*३२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम आडिट नोट के उद्धरण मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आडिट रिपोर्ट जब तक अन्तिम स्थिति को प्राप्त न हो जाय तब तक कुछ उद्धरणों को मेज पर रखना उचित नहीं होगा। प्राप्त कागजों के आधार पर पहिले जो राय कायम होती है वह बाद में पूरी जांच-पड़ताल करने तथा सब असली वाकयात मालूम होने पर बदल जाती है और खुद आडिट अधिकारी ही बहुत से एतराज बाद में छोड़ देते हैं। जो जो एतराजात अन्तिम रूप में शेष बचते हैं, वे सब आडिट की वार्षिक रिपोर्ट में छप जाते हैं और असेम्बली के सामने पेश किये जाते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ४१ केसेज में कितने केस अदालत में भेजे गये और कितनों में सजा हुई?

†श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसका ठीक विवरण मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन जिनमें पैसा वसूल हो गया उनको छोड़ कर बाकी सभी अदालत में भेजे गये। उन पर विभागीय कार्यवाही भी हुई।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गबनों के सम्बन्ध में यथेष्ट सुपरविजन न रखने के लिए भी किसी को सजा दी गयी या विभागीय कार्यवाही की गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको सजा दी गयी और कुछ को निकाला भी गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन ५९ कर्मचारियों के ओहदे बतलाने की कोशिश करेंगे जिनको इसमें सजा दी गयी या दी जाने वाली है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कितने दिनों से एकत्रित की जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरा खयाल है पिछले दो तीन महीने से।

---

†२५ मार्च, १९५४ को श्री मन्त्री के कथनानुसार उत्तर में संशोधन किया गया।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि रोडवेज वर्कशाप में किन व्यक्तियों को कार मरम्मत करने की सुविधा दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी सूचना इकट्ठी को जा रही है, जब सूचना ही नहीं दी गयी तब फिर इस पर पूरक प्रश्न कैसे हो सकता है ?

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों से रुपया वसूल कर लिया गया और कोई कार्यवाही उन पर नहीं की गयी, क्या रुपया वसूल होने पर वे दोष से बरी हो सकते हैं ?

†**श्री विचित्रनारायण शर्मा**---जिनमें सिर्फ नेगलीजेंस या लापरवाही समझी गयी उन्हीं से सिर्फ रुपया वसूल किया गया, लेकिन जहां नियत खराब थी वहां केस चलाया गया अथवा विभागीय कार्यवाही की गयी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ गबन का केस सिद्ध हो चुका है उनको पुलिस के हवाले सौंपा गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका उत्तर तो मैं दे चुका।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने गबन का रुपया जमा कर दिया वे आज भी सरकारी नौकरी में मौजूद हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी सूचना की जरूरत होगी।

मैनपुरी जिले में कुरावली टाउन एरिया के काश्तकारों से दसगुना जमा करने पर भी लगान की वसूली

*३३---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में कुरावली टाउन एरिया के अन्तर्गत जिन काश्तकारों से सरकार ने दस गुना लगान वसूल किया उनसे जमींदारों ने भी पूरा लगान लिया जिसके विरुद्ध उन काश्तकारों ने सरकार को दरख्वास्त दी ? यदि हां, तो उस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---सरकार के पास काश्तकारों ने कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं भेजी जिसमें यह शिकायत की गयी हो कि उनके दसगुना दाखिल करने के बाद भी उनसे जमींदारों ने पूरा लगान ले लिया हो। इस बात की इत्तिला सरकार को जिलाधीश के खत से मिली, जिससे मालूम हुआ कि कुरावली टाउन एरिया में ६४ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने लगान का दसगुना दाखिल कर के गलत तौर पर सनद हासिल कर लिया। जमींदारों ने उन काश्तकारों से पूरा लगान वसूल किया। सरकार ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि उन लोगों की सनदें दफा १२ यू० पी० काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) अधिनियम, १९४९ के अन्तर्गत खारिज कर दी जायं और उनका रुपया वापस कर दिया जाय। जमींदारों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि जिन ६५ व्यक्तियों ने गलत सनदें हासिल कर ली थीं उसमें क्या सरकारी अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारी है ?

श्री चरणसिंह---जिस समय एग्रीकलचरल टेनेंट्स प्रिविलेजेज ऐक्ट के मातहत १० गुना वसूल किया जा रहा था, उसमें यह तफसील नहीं थी कि टाउन एरिया के अन्दर वाले किसान जमा नहीं कर सकते। जब सिलेक्ट कमेटी में जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स बिल

---

‡२५ मार्च, १९५४ को श्री मन्त्री के कथनानुसार उत्तर में संशोधन किया गया।

गया तो वहां यह तरमीम हुई। ऐसा मालूम होता है कि टाउन एरिया के अन्दर रहने वाले इन ६४ किसानों ने रुपया जमा किया और उनको अधिकारियों ने सनदें जारी कर दीं। आदमी के ऊपर जब काम रहता है तो वह गल्ती भी कर सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों ने जो रुपया जमा किया था तो क्या उसके लिए उनको पहले नोटिस दी गयी थी कि इतना रुपया जमा करो ?

श्री चरणसिंह--नोटिस किसी को नहीं दी गयी थी।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार टाउन एरिया की जमीन को खत्म करने के लिए कब तक विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--वह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया है वहां से आ जाय तो फिर यहां पर आयेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुरावली टाउन एरिया के किसानों ने अपना १० गुना लगान किस सन् में, किस महीने में और किस तारीख को जमा किया था और किस तारीख को उनकी दरख्वास्त खारिज की गयी ?

श्री चरणसिंह--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी कि किस-किस तारीख को उन्होंने रुपया दिया।

*३४--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--[५ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

हिन्द डेरी फार्म, जिला मथुरा को राज्य सरकार द्वारा सहायता

*३५--**श्री मलखान सिंह** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि हिन्द डेरी फार्म, जिला मथुरा को राज्य सरकार ने कितनी रकम कर्जे या ग्रान्ट में दी और वह रुपया किस प्रकार खर्च हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--हिन्द डेरी फार्म, जिला मथुरा को सरकार की ओर से डेरी के लिए कोई ग्रान्ट या कर्जा नहीं दिया गया। खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मलखान सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस डेरी फार्म में कितने पशु हैं और कितना दूध होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--चूंकि हमारी ओर से उनको ग्रान्ट कोई नहीं दी गयी, इस लिए उनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री मलखान सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस रियासत के वार्डों ने कोई शिकायत इस बात को की कि उनको सब कागजात और कैश नहीं दिया गया, कलेक्टर आगरा और माननीय मन्त्री जी के पास भेजी थी ?

श्री चरणसिंह--शिकायत तो उनकी पहले कुछ आयी थी लेकिन आप इस सवाल में क्या शिकायत की बाबत पूछ रहे हैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मलखान सिंह--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इस रियासत के वार्डों ने कोई लिखित शिकायत इस सम्बन्ध में की कि उनको सब कागजात और कैश नहीं दिया गया, कलेक्टर आगरा और माननीय मन्त्री जी के पास आयी थी ?

श्री चरणसिंह--कुछ कागजात की नकल वार्डस् चाहते थे तो इसके लिए यहां से आर्डर हो गया था कि उनको दे दिया जाय ?

मथुरा व सादाबाद तहसीलों में तक़ावी, छूट व माफ़ी

*३६—श्री मलखानसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा तहसील के खाकी इलाके में कितनी तकावी, छूट या माफी दी गयी और सादाबाद तहसील में कितनी दी गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस साल खरीफ की फसल में तहसील मथुरा में ३३,८०७ रु० तकावी दी गयी और २७,०९९ रु० १५ आ० ९ पा० की मालगुजारी की वसूली मुलतवी की गयी। तहसील सादाबाद में ३९,४०० रु० की तकावी दी गयी और ९०,६१८ रु० ३ आ० ९ पा० की मालगुजारी की वसूली मुल्तवी की गयी। मुल्तवी की हुई मालगुजारी की माफी का प्रश्न रबी की फसल के बाद देखा जायगा।

ज्योतिषी बाबा (मथुरा) रियासत की कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध से मुक्ति

*३७—श्री मलखानसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि रियासत ज्योतिषी बाबा (मथुरा) को कोर्ट आफ वार्डस् के प्रबन्ध से किस तारीख को मुक्त किया गया तथा इस रियासत का कितना रुपया कहां कहां उस दिन तक कोर्ट आफ वार्ड्स के पास हिसाब में था और उसमें से वार्डों को कितना रुपया दिया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ज्योतिषी बाबा रियासत को ३० नवम्बर, १९५३ को कोर्ट आफ वार्डस् के प्रबन्ध से मुक्त किया गया। ३० नवम्बर, १९५३ को रियासत का १,२०० रु० गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ४५० रु० सरकारी खजाने में नकद था। ये कुल सिक्योरिटीज और नकद रुपया रियासत को मुक्त करते समय वार्ड्स को दे दिया गया था।

आजमगढ़ से बिलथरा रोड तक बस सर्विस

*३८—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बस सर्विस को जो आजमगढ़ से मधुबन तक चालू है बिलथरा रोड तक बढ़ा देने को प्रस्तुत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि बिलथरा रोड के पास रेलवे क्रासिंग के न बनने से बस बिलथरा रोड तक नहीं पहुंच सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, तो उस नहीं लिया जायगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार ने इस रेलवे क्रासिंग को बनाने के लिए कुछ अनुदान स्वीकृत किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमारे विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है।

*३९-४०—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—[५ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[५ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*४२-४३—श्री कृष्णशरण आर्य—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में मछली पकड़ने के लिये तालाबों के ठेके की नीलामी

*४४--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मछली पकड़ने के लिए कितने तालाबों का ठेका नीलाम किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--७० तालाब ।

*४५--श्री महाराज सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त तालाबों का अलग-अलग से कितने का नीलाम हुआ है ?

श्री जगन प्रसादरावत--उपर्युक्त तालाबों का ठेका तीन समूहों में नीलाम किया गया है । तहसील भोगांव में १४ तालाबों का एक समूह १,०१५ रुपये में, तहसील करहल में ४८ तालाबों का दूसरा समूह २,३०० रुपये में और तहसील जसराना में ८ तालाबों का तीसरा समूह ५१० रुपये में नीलाम हुआ है ।

सीतापुर जिले में नीलगांव राजकीय कृषि फार्म की भूमि

*४६--श्री महाराज सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में नीलगांव के राजकीय कृषि फार्म के लिए जो भूमि प्राप्त की गयी है, वह कितने लोगों से और किन शर्तों के साथ प्राप्त की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सीतापुर जिले में नीलगांव राजकीय कृषि फार्म के लिए ८०.१० एकड़ भूमि ११ काश्तकारों को लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत एक्वायर की गयी है । उपरोक्त काश्तकारों को यदि वे चाहेंगे तो उनको भूमि के बदले में भूमि दे दी जायगी वरना उचित मुआविजा उनको मिल जायगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म है वह कितने एकड़ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१८७ एकड़ ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस राजकीय फार्म की ज्यादतियों की कोई शिकायत आयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कोई खास शिकायत नहीं आयी । यह अवश्य है कि जहां फार्म होता है वहां आस पास के किसानों को पशुओं के चराने में किस कदर असुविधा होती है वैसे किसानों को फार्म से मदद ही मिलती है ।

*४७--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

ज्वालापुर परगने के खादर में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*४८--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ज्वालापुर परगने के देहात में कितने पशु चिकित्सालय हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ज्वालापुर परगने में केवल एक पशु चिकित्सालय हरिद्वार में है ।

नोट:--तारांकित प्रश्न ४४ से ४६ तक राजा वीरेन्द्रशाह ने पूछे ।

*४९—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार ज्वालापुर परगने के खादर में पशु-चिकित्सालय खोलने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, इस समय एक परगने में एक से अधिक पशु-चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि ज्वालापुर परगने की खादर की देहात हरिद्वार के पशु चिकित्सालय से १५ मील से अधिक दूरी पर स्थित है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ठीक है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह बात सही है कि हरिद्वार के पशु-चिकित्सालय और इस देहात के बीच में २ नदियां पड़ती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को अधिक मालूम हो सकता है और जो कुछ वह कहते हैं मैं उसे सही मानूंगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या वहां की नगरपालिका ने कोई ऐसा सुझाव दिया है कि इस पशु चिकित्सालय को हरिद्वार से ज्वालापुर भेज दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है।

जिला प्रतापगढ़ के कुछ गांवों को रायबरेली में मिलाने का विचार

*५०—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिले की कुन्डा तहसील के कोथरिया ग्राम के बासियों ने उक्त ग्राम को रायबरेली जिले में शामिल करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र माल मन्त्री के पास भेजा है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गयी है।

*५१—श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कुछ ग्रामों, जैसे कोथरिया, वाजिदपुर, ब्रह्मौली आदि को जो कि रायबरेली जिले की सीमा के अन्दर घुसे हुए हैं, रायबरेली जिले में शामिल करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*५२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१९ अप्रैल १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*५३-५४—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१ अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५५—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।)]

*५६—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—[१२ अप्रैल १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में ट्रांस राप्ती एरिया काटकर अलग तहसील बनाने की योजना

५*७—श्री राजाराम शर्मा—क्या यह सच है कि बस्ती जिला की ट्रांस राप्ती एरिया काट कर अलग तहसील बनाने की योजना है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ५७ व ५८ श्री शिव नारायण ने पूछे।

श्री चरणसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*५८---**श्री राजाराम शर्मा**---यदि हां तो क्या तपागोपालपुर, तपासूकरा, तपा बेहलर तथा तपा मेहदावल, तहसील खलीलाबाद से काट कर तहसील बांसी में मिलाये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---इस विषय की पूरी छानबीन नहीं हो पाई है अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस प्रस्ताव की अन्तिम रूपरेखा क्या है ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह प्रश्न उसके विचाराधीन रहेगा ?

श्री चरणसिंह---यह काफी बड़ी बात है और उसके लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा सकती । उस पर बहुत विचार करना होगा । अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है ।

१९५१-५२ व १९५२-५३ में रोडवेज बस सर्विस से आय

*५९---**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस सर्विस से सन् १९५१-५२ में व १९५२-५३ में अलग-अलग कितनी आय हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९५१-५२ के आर्थिक वर्ष में रोडवेज बस सर्विस से ३,१२,९५,२०७ रु० की आय हुई और १९५२-५३ में २,९१,१२,२६२ रु० की हुई ।

*६०---**श्री रामहेत सिंह** (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि सन् १९५२-५३ के बजट के अनुसार बस सर्विस का किराया बढ़ने के बाद फिर उसमें तरमीम की गयी और किराया कम किया गया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---बजट से और बस सर्विसेज के किराये के रेंट से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । हां, अलबत्ता जो किराये से आय होती है वह बजट में दिखायी जाती है । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत गवर्नमेंट स्टेट कैरिजेज का किराया नोटिफाई करती है और वह रोडवेज व प्राइवेट आपरेटर्स दोनों के लिए लागू होता है । इस नोटिफाइड रेट के अन्दर हर एक आपरेटर को अख्तियार है कि वह चाहे जितना किराया ले । मोटर चलाने वाला उतना ही किराया लेता है, जितना कि मोटर इस्तेमाल करनेवाला आसानी से दे सकता है । यह हर एक रूट के लिए पृथक-पृथक होता है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ की बनिस्बत सन् १९५२-५३ में लगभग २२ लाख रुपये की आय में कमी क्यों हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुसाफिर कुछ कम मिले ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन दो सालों में रोडवेज से नेट प्राफिट कितना हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके आंकड़े मेज पर रख दिये गये हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मन्त्री जी सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में बैठने वाले मुसाफिरों की संख्या बतला सकते हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५९ व ६० श्री श्रीचन्द ने पूछे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ये आंकड़े भी दिये जा चुके हैं।

*६१-६२--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)--[१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३--**श्री श्रीचन्द**--[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*६४-६६--**श्री उम्मेदसिंह** (जिला गोंडा)--[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*६७-६८--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*६९--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--[१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७०--**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)--[१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७१-७३--**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)--[१९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में क्षतिग्रस्त लोगों को सरकारी सहायता

१--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष मिर्जापुर जिले में अग्निकांड से किसानों तथा अन्य लोगों के क्षतिग्रस्त होने की कितनी घटनायें हुईं और उनमें सरकार द्वारा कुल कितनी और किस किस प्रकार की सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह--इस वर्ष मिर्जापुर जिले में कुल ३० अग्निकांड की घटनायें हुईं जिनमें से ५ साधारण थीं। असाधारण घटनाओं में लकड़ी, बांस और अन्य प्रकार के मकान बनाने के सामान मुफ्त वितरित किये गये। २,१८७ गज कपड़ा मारकीन तथा ४ मन १२ सेर १० छटांक वजनी कमीज के कपड़े वितरित किये गये।

३१७ रु० ८ आ० Natural Calamities Relief Fund से लोगों को बाँटे गये। इसके अतिरिक्त २,४५० रु० की तकावी दी गई।

२-६--**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १ से ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का विद्युत् विभाग से सम्बद्ध द्वितीय प्रतिवेदन

आचार्य जुगल किशोर (जिला मथुरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होने के नाते और उसके आदेशानुसार समिति का दूसरा प्रतिवेदन विद्युत विभाग संबंधी मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर अपना निश्चय कब तक सदन के सामने रख सकेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो अभी पेश हुआ है। आप किसी दूसरे दिन पूछ लीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह तो दूसरा प्रतिवेदन पेश हुआ है। पहले के बारे में भी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--पहले के बारे में तो जवाब दिया जा चुका है। इसके बारे में आप फिर किसी दिन पूछ लीजियेगा।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं १९ वें नियम के अनुसार यह जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते का कार्यक्रम सदन का क्या है?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)--तीन चार दिन तो बजट ही है। २६ को गालिबन एप्रोप्रियेशन बिल होगा। ये तो मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं रहा तसदीक के साथ शाम को सदन को इत्तिला दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष--२६ को तो नान-आफिशियल डे है। आप शाम तक मुख्य मंत्री जी से पूछ कर बता दीजियेगा।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--इस बजट के संबंध में श्रीमन् मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ३ पर ४५ मिनटतथा अनुदान संख्या ४ और ६ को एक साथ ले लिया जाय और उसपर आध घंटा और सवा दो बजे के बाद न्याय प्रशासन अनुदान संख्या १५ लिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि तीनों अनुदान एक साथ ले लिये जायं अनुदान संख्या ३, ४ और ६ और उसपर सवा घंटे रहे।

श्री अध्यक्ष--आबकारी, स्टाम्प और रजिस्ट्री, इनका तो संबंध भी नहीं जमता। तो अब तरीका यह रहेगा अनुदान संख्या ३ के लिये ४५ मिनट, अनुदान संख्या ४ तथा ६ एक साथ ले लिये जायेंगे और उनके लिये आध घंटा तथा अनुदान संख्या १५ सवा दो बजे के बाद शुरू होगा।

अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की शिफारिस पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३, लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,१८,०५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इसके सिलसिले में जो पहली बात मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि जो १ करोड़ १८ लाख रुपये के खर्च की मांग की जा रही है वह असल में खर्च नहीं होगी बल्कि इसमें से ९० लाख रुपया जो पावर अलकोहल की कीमत है वह सरकार को फिर वापिस मिल जायगी और इसी तरह से ७ लाख ६३ हजार रुपये जो अफीम का खर्च है जो अफीम की खरीद में देना पड़ेगा वह भी सरकार के पास फिर वापस आ जायगा। असल मांग जो खर्च की इस विभाग के ऊपर है वह कुल २० लाख ४२ हजार २ सौ रुपये की है। अब असल चीज जिसके ऊपर हाउस को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गौर करना है वह इस विभाग की आमदनी का सवाल है। इस साल खयाल यह है कि इसमें हमको ५ करोड़ ४३ लाख ९० हजार रुपये की आमदनी का अन्दाजा है कि ३१ मार्च तक इतनी आमदनी हो जायगी।

२१ मार्च तक इतनी आमदनी होगी लेकिन आइन्दा साल हमने इस आमदनी को कम करके ५,३७,५८,६०० रु० कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जो इत्तलात इस वक्त गवर्नमेंट के पास आई हैं उससे खयाल है कि शायद हमारे आबकारी विभाग की आमदनी अगले साल और भी घटेगी। यह मामला कि आमदनी जो घट रही है उसके क्या असबाब हैं, उनकी निस्बत जाहिर है कि गवर्नमेंट को कुछ फिक्र हुई और उसने यह सोचा कि इसका पता लगाया जाय। चूंकि अभी थोड़े दिन हुये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट मिडिल आफ फरवरी में गवर्नमेंट के सामने पेश की। यह कमेटी हमारे कुछ आला अफसरान की थी। उसके मुताल्लिक इस किस्म के सवालात किये गये थे कि आया जो आमदनी घट रही है इसके असबाब क्या हैं, क्या इसमें डिपार्टमेंट के अन्दर तो कोई खराबी नहीं है, उन खराबियों को कैसे रोका जा सकता है या उस सिलसिले में और क्या किया जा सकता है। चूंकि अभी वह रिपोर्ट बिल्कुल ताजी आई है इसलिये गवर्नमेंट उसपर गौर कर रही है लेकिन उसके पढ़ने से ऐसा खयाल होता है कि आमदनी घटने की खास वजह यह है कि हमारे यहां की आर्थिक स्थिति में कुछ कमी हो रही है उसी वजह से शराब की जो आमदनी थी उसमें भी कमी हो रही है और यह मखसूस हमारे सूबे के लिये ही नहीं बल्कि और सूबों में भी ऐसा हो रहा है कि वहां पर जितनी आमदनी शराब से होती थी उसमें कमी होती चली जा रही है। जैसा कि मैंने पारसाल भी इस हाउस के सामने अर्ज किया था कि असल में तो हमको खुश होना चाहिये क्योंकि हमारी पालिसी यह है कि शराब का इस्तेमाल जितना भी कम से कम हो उतना ही अच्छा है। यह हमने प्रोहिबिशन का अपना उसूल बनाया है और इसी पर हम काम कर रहे हैं और जैसा कि इस हाउस को मालूम है कि ११ जिलों में हमने प्रोहिबिशन लागू कर रक्खा है। लिहाजा इस वजह से हमारी आमदनी का कम होना कुदरती बात है। अभी तक यह सब बातें हमारे जेरे गौर हैं लेकिन कोई आखिरी राय नहीं कायम हो सकी है। इसीलिये हमने अपनी प्रोहिबिशन पालिसी को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया है बल्कि हम देख रहे हैं कि आगे चलकर इस मामले में अपने सूबे की हालत को ठीक करने के लिये क्या करें और क्या-क्या जराये अख्तियार करें।

इमसाल जहां तक अलग अलग मखसूस किस्म की शराबों के इस्तेमाल का ताल्लुक है उनमें भी कमी हुई है। मसलन जो देसी शराब है उसका खर्चा ५१-५२ में ९,६४,९५५ गैलन था और ५२-५३ में उसकी कुल मिकदार ३,७४,७३४ गैलन रह गई। अफीम १९५१-५२ में १६,३०७ सेर खर्च हुई। सूबे भर में लेकिन १९५२-५३ में १०,४९५ सेर खर्चा हुई। इसी तरह से गांजे में ५१-५२ में ५,९७४ सेर का खर्चा हुआ और ५२-५३ में ५,५८२ सेर का खर्चा हुआ। हिन्दुस्तान की बनी हुई विदेशी शराब की किस्में जो हैं उनमें ५१-५२ में १,३४,९५६ एल० पी० गैलन खर्च हुई, जबकि ५२-५३ में सिर्फ ९५,३०५ एल० पी० गैलन सिर्फ खर्च हुई। इसी तरह से हिन्दुस्तान की बनी बियर का खर्चा ५१-५२ में १,१२,२११ एल० पी० गैलन था और ५२-५३ में सिर्फ ७८,४०७ एल० पी० गैलन रह गया। बाहर की जो शराब आती थी उसकी मिकदार भी कम हुई है। सन् १९५१-५२ में उसका खर्च २०,५३९ एल० पी० गैलन. था और सन् १९५२-५३ में १४,६२५ एल० पी० गैलन रह गया। जो बाहर की और किस्म की शराबें हैं उनकी मिकदार सन् १९५१-५२ में ६,३३७ बल्क गैलन थी और सन् १९५२-५३ में १,३७५ बल्क गैलन रह गयी। तो आप देखेंगे कि इन चीजों का इस्तेमाल, जहां तक हमारे गोडाउन्स से दूकानों को बिकने के लिये दी जाती हैं, बराबर कम होता जा रहा है। यहां नहीं बल्कि जो दूकानें शराब की हमारे सूबे में हैं उनमें २१ दूकानें जो देशी शराब की थीं वह हमने सन् १९५२-५३ में कम कर दीं और अप्रैल सन् ५४ से जो साल शुरू हो रहा है उसमें हमने पाँच दूकानें और घटा दी हैं। एक सुरेथी की दूकान जालौन में है, एक सायन की दूकान आगरा में है, एक कछौराघाट की दूकान आगरा में है, एक सेमरी की विदेशी शराब की दूकान

[श्री सैयद अली जहीर]

आगरा में है और एक देवा की दूकान मिर्जापुर में है, इन पाँच दूकानों को इस साल हम कम करने जा रहे हैं। बहरहाल, जो हमारी पालिसी प्रोहिबिशन की है उसके ऊपर हम बराबर चल रहे हैं और हमारा मकसद यह है कि आखिर में हम पूरे तौर से सूबे में प्रोहिबिशन लागू करें। आप अगर गौर करेंगे तो आप को मालूम होगा कि इस वक्त दो बड़े-बड़े सूबे मद्रास और बम्बई में मुकम्मल तौर पर प्रोहिबिशन है। उसके बाद अगर कोई सूबा है जहां पर थोड़ा बहुत प्रोहिबिशन पर अमल किया जा रहा है तो वह हमारा ही सूबा आता है। हमने ११ जिलों में और तीन मजहबी मुकामात पर नशाबन्दी कर रक्खी है। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमको यह इन्तजार है कि जो हमारे आस पास के सूबे हैं मसलन बिहार है, मध्य प्रदेश है, देहली है, पंजाब है इन जगहों पर कुछ कदम इस तरफ उठाया जाय। अगर हमने अपने यहां नशाबन्दी कर दी तो उसका नतीजा यह होगा कि वह वाकई नशाबन्दी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहां की आमदनी कम हो जायगी और हमारे आस पास के जो सूबे हैं वहां से शराब बदस्तूर नाजायज तरीके से आती रहेगी और उससे कोई ज्यादा फायदा हमको नहीं होगा तो एक बड़ी वजह हमारा नशाबन्दी की तरफ कोई बड़ा कदम न उठाने की यह है कि हमारे आस-पास के जो और सूबे हैं जहां कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां उन्होंने कोई बड़ा कदम इस तरफ अभी तक नहीं उठाया है। दूसरी वजह यह है कि जैसा हमने पारसाल अर्ज किया था कि हम देख रहे हैं कि जो हमने कदम उठाया है उसके नतायज क्या सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में जो हमने कुछ सवालात जारी किये थे और उनके जवाबात देहातों से, जहां जहां नशाबन्दी हो गयी है मंगाये थे। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गयी है। लेकिन वह रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं है। कोई ११ हजार जवाबात हमको मौसूल हुये थे। लेकिन उसमें से सिर्फ साढ़े १२ फीसदी जवाबात को हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जांचा गया और जाँचने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है वह १४७ टाइप्ड पेजेज की रिपोर्ट है। तो उन्होंने अभी पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरह से जाँचा नहीं है। लेकिन यह जो रिपोर्ट आई है उससे हमको यह अन्दाजा होता है कि जहाँ जहाँ पर शराबबन्दी की गयी है वहां लोगों में शराब की बहुत सी बुराइयां कम हो गयी हैं। यह नहीं, बल्कि वहां पर जो शराब के सलसिले में जरायम होते थे उनमें भी बराबर कमी होती रही है। मसलन उस रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि जो शराब की वजह से झगड़े हुआ करते थे, लड़ाई होती थी और आपस में मार पीट होती थी और एक बुरी फ़िजा कस्बों और देहातों में फैल जाती थी। उसमें यहां तक कमी है कि ७५ फीसदी झगड़े इस किस्म के अब उन जगहों के ऊपर नहीं होते जहाँ पहले हुआ करते थे और जिसकी वजह से और बहुत से जरायम होते थे। इसी तरह से उनकी एकोनामिक हालत के बारे में यह है कि जिन खानदानों ने शराब पीना छोड़ दिया है उनमें कम से कम ४८ फी सदी ऐसे खानदान हैं जिनकी आर्थिक दशा पहले से अब बदर्जहा बेहतर हो गई है। इसी तरह से हमने यह पता लगाया कि इन खान्दानों के कर्जे किस तरह से अदा हुये तो हमको यह पता चला कि कम से कम ८१ फीसदी केसेज में जो पहले शराब वगैरह का इस्तेमाल करते थे और कर्जदार थे अब उनकी हालत बेहतर हो गई है और वे अपने कर्जे के इंस्टालमेंट पाबन्दी के साथ अदा करते हैं और उनके कर्जे कम होते चले जाते हैं। इस बात को उन्होंने ताईद नहीं की है बल्कि उन महाजन लोगों ने भी ताईद की है जिनका रुपया उनके ऊपर बाकी था। जहाँ तक उनकी खुद एकोनामिक हालत का ताल्लुक है उसका कुछ बहुत ज्यादा पता हमें नहीं चला और इसकी वजह रिपोर्ट में यह बतलायी गयी कि मालूम यह होता है कि चूंकि चीजों के दाम बढ़ते चले गये हैं इस वजह से जिस जमाने की रिपोर्ट है उस जमाने तक उनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। लेकिन कर्जों की हालत बेशक बेहतर होती चली गई है। इसी तरह से उनकी तन्दुरुस्ती के मुताल्लिक भी हमारी रिपोर्ट यही है कि बीमारियों के ऊपर जो पैसा पहले उनका खर्च होता था उसमें भी कमी हो गई है। तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी पालिसी जो प्रोहिबिशन की है वह दस्तूर अपनी जगह पर कायम है और इधर हम बढ़ रहे हैं लेकिन हमने कोई और कदम सिर्फ वजह से नहीं उठाया है कि हमको अभी यह यकीन नहीं है कि हम क्या सूरत अख्तियार करें।

इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट के बारे में मैं बतलाऊंगा जरा सा कि जो आफिशल रिपोर्ट हमने आमदनी वगैरह की बनायी है उससे हमें यह पता चला है कि बाज सूरतों में ऐसा हो रहा है कि जो ठेकेदार लोग नीलाम में शराब का ठेका खरीदते हैं वे आपस में एक ऐसा रिंग बना लेते हैं कि हम ज्यादा दाम नहीं देंगे और उससे वे यह समझते हैं कि अगर हम आपस में एक दूसरे से समझौता कर लेंगे तो हमको सस्ते दामों में दुकानें मिल जायेंगी और हम ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। इस वजह से हम यह सोच रहे हैं कि जो मौजूदा तरीका नीलाम का है उसको हम कायम रखें या उसको बदल दें। और एक बात मैं हाउस को बतला सकता हूं कि चूंकि मार्च का महीना नीलाम का होता है और पहली अप्रैल से दुकानों के नये ठेके हो जाते हैं तो अगर किसी वजह से किसी जिले में या किसी जगह हमको यह पता चला कि हमको नाजायज तरीके से पूरी रकम नहीं मिली है तो वहाँ का सिस्टम बदल कर जो सरचार्ज सिस्टम कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट किसी को दूकान दे देगी और जितनी शराब वहाँ खर्च होगी उस पर जो ड्यूटी होगी वह गवर्नमेंट ले लेगी, उसको हम लागू कर देंगे। तो जिन बातों का इस वक्त हम मुकाबिला कर रहे हैं उनमें से मिनजुमला और बातों के यह भी एक चीज है कि हम चाहते हैं कि ठीक तरह से दुकानें चलें और कोई रिंग वगैरह बना कर गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिये अगर कोई कार्यवाही की जाय तो उसका इलाज हम फौरन कर सकें।

इसके साथ साथ बहुत सी शिकायतें हमारे पास इस क़िस्म की आती थीं कि शराब की दुकानें जितने वक्त तक उनको खुलना चाहिये उससे बहुत ज्यादा देर तक खुली रहती हैं। उस पर भी गवर्नमेंट ने गौर किया और हमने यह सोचा कि बजाय इसके कि ये लोग नाजायज तरीके से दुकानें खोले रहें, तो उनका वक्त जितनी देर खोलने का है उसमें भी कोई फर्क नहीं होना चाहिये। मसलन यह कि पहले दुकान २ बजे से रात के ९ बजे तक खुली रहती थी। लेकिन शिकायत यह थी कि वह १० और ११ बजे तक खुली रहती हैं और उनपर शराब बिका करती है। इस लिये गवर्नमेंट ने अब यह तब्दीली की है कि यह तय किया है कि बजाय २ बजे से रात के नौ बजे तक यह दुकानें खुली रहें उनका वक्त ३ बजे से रात १० बजे तक का कर दिया जाय ताकि कानून के अन्दर पाबन्दी हो सके और ऐक्साइज आफिसर्स भी इसरार कर सकें कि रात १० बजे के बाद कोई दुकान खुली न रहे।

हमारे यहां एक बड़ी दिक्कत यह हुआ करती कि गांजे के मुतालिक कि नैपाल से गांजा हमारे यहां स्मगिल होकर यानी चोरी से आया करता है और इसकी वजह यह है कि गांजा वहां इफरात से पैदा होता है और किसी किस्म का वहां कंट्रोल नहीं होता है। हमारी बहुत बड़ी सरहद नैपाल से मिली हुई है। हमारे यहां जो गांजा आता था वह राजशाही गांजा हुआ करता था। यह आसाम के उस हिस्से से आता था जो अब पालिसी में पाकिस्तान में चला गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे यहां अच्छा गांजा नहीं होता और नैपाल का गांजा अच्छा और सस्ता होता है क्योंकि हमारे यहां गांजे पर ड्यूटी होती थी और इसके अलावा कीमत ज्यादा ली जाती थी इसलिये हमारे यहां का गांजा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिये उसकी भी हम कुछ रोकथाम कर रहे हैं। हमने एक आफिसर मुकर्रर किया है गांजा स्क्वाड आफिसर जो कोशिश करता है कि हमारे यहां जो नाजायज गांजा आये उसकी वह रोकथाम करें। महज हमारे यहां ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार में भी यह सवाल दरपेश है। चुनांचे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा उन्होंने कहा कि अभी बड़ी भारी मुश्किल यह है कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन काफी मजबूत नहीं है कि वह इस चीज की रोकथाम अपने मुल्क के अंदर कर सके। इसकीवहज से वह लोग ज्यादा रोकथाम नहीं कर सकते है और एक चीज चली आ रही है उसी से जारी है लेकिन हमारी कोशिश है कि कोई न कोई सूरत निकाली जाय जिसकी वजह से हमारे यहां नैपाल से गांजा न आ सके।

इसी साल हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है कि जो हमारे अजलाय ऐसे थे....

श्री अध्यक्ष—इस अनुदान के लिये केवल ४५ मिनट है।

श्री सैयद अली जहीर—केवल ४५ मिनट ही हैं।

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप जरा मुख्तसिर में कह दें तो अच्छा हो।

श्री सैयद अली जहीर—मैं इसके लिये अर्ज कर रहा था कि वहां जो एक्साइज स्टाफ था ड्राई डिस्ट्रिक्टस में उसको हमने ले लिया है और उसका इंतजाम पुलिस के मुताल्लिक कर दिया है। हम यह देख रहे हैं कि यह ऐक्सपेरिमेंट कहां तक कामयाब होता है।

पावर अल्कोहल इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रही है। इस पर हम ९० लाख रुपया खर्च करेंगे खरीदने में और उतना ही रुपया हमें वापस भी मिल जायगा। लेकिन तब्दीली यह है कि हमारे यहां जो पावर अल्कोहल का २० प्रतिशत मिलाकर पेट्रोल में इस्तेमाल होता है वह महज हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि देहली, पंजाब, पेप्सू और विन्ध्य प्रदेश में भी जाता है। वहां भी मिलाकर इसकी बिक्री होने लगी है। यह ऐसी इंडस्ट्री है जो बराबर तरक्की कर रही है। इसके अलावा जो मोलेसेज बचता है वह बेचा जाता है आम लोगों को और इससे जो आमदानी होती है वह खर्च की जाती है उन लोगों पर जो मजदूर हैं। उनके रहन-सहन के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिये और इस किस्म के और दीगर इखराजात पर यह सर्फ की जाती है। इन अल्फाज के साथ में इस्तदुआ करूंगा कि हाउस इस मांग को मंजूर करे।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्दर एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो सदन के सम्मुख स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गया है इसके द्वारा १,१८,०५,८०० रु० की मांग की गयी है। यह इसलिए की गयी है, जहांतक मैं समझता हूं कि प्रान्त में एक व्यापक तरीके से लोगों का नैतिक स्तर नीचे गिराया जाय। इस अनुदान पर अपना मत रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम भारतीय पुरातन आदर्शों की तरफ, अपने धार्मिक आचार विचारों की तरफ पुरानी राज्य प्रणालिओं की तरफ भी ध्यान दें तो मानना पड़ेगा कि वेद से लेकर मनुस्मृति तक हमारे धर्माचार्यों नें, राजाओं ने इस विषय में जो अपना मत दिया है वह यही दिया है कि पीना पाप है, मद्य सेवन करना पाप है। बुद्ध भगवान ने तो यहां तक कहा कि मद्य सेवी के पास बैठना उसकी बातें सुनना महान घोर पातक है, पाप है और इससे दूर रहना चाहिये कि वह मनुष्य नहीं है जो जो मद्य पीता है। फिर इस अनुदान द्वारा सरकार अपने प्रदेश की जनता को पुरातन आदर्शों की तरफ़ ले जा रही है या उसको भट्टियों की तरफ चला कर, अपने कर्मचारियों के भत्ते और वेतन पर इतना रुपया व्यय कर सरकार राज्य की जिन्दगी को निम्न स्तर पर ले जाना चाहती है, यह विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय, आज की जो सरकार बनी है वह सरकार गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है और उस सरकार का दावा है कि वह गांधीवादी सरकार है। गांधी जी ने अपना एक जगह मत व्यक्त करते हुए यह कहा था कि,

"I hold drink to be more condemnable than thieving and perhaps even prostitution. Is it not often the parent of both?"

गांधी जी ने कहा कि शराब पीना, मद्य पीना बहुत ही हानिकारक है और यह चोरी से भी ज्यादा हानिकारक है। इसी आधार की प्रतिपादिता यह सरकार अगर शराब को खुले आम बाजारों मे बिकवा कर लोगों को प्रोत्साहित करती है पीने के लिए तो मजबूर हो कर कहना है कि यह अनुदान इसलिए है कि लोगों के नैतिक स्तर को गिराया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस अनुदान पर विचार करने के लिए किताब के पन्ने उलटने लगा तो मुझे याद आया सन् १९३० का जमाना जबकि हम गांजा और शराब की भट्टियों

को आगे धरना देते थे और हजारों की संख्या में गिरफ्तार होते थे, जबकि हजारों हुतात्मा हुए और मरे। आज उन्हीं हुतात्माओं के बलिदान की आधारशिला पर हमारी सरकार खड़ी है। आज हमारी सरकार होते हुए भी हम उन वादों को, गांधी जी के आदर्शों को और अपने पुराने आदर्शों को भुलाकर शराबखोरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।

सरकार ने दावा किया है कि शराब हम ११ जिलों में बंद कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि आप शराबबंदी करना चाहते है या नहीं। अभी माननीय मंत्री जी जब आपना भाषण दे रहे थे तो उहोंने कहा कि हमारी आमदनी कम हुई है, इसलिये हमको खुश होना चाहिये क्योंकि हमारा लक्ष्य है मद्य-निषेध और एक जगह थोड़ी देर बाद उहोंने कहा कि आस–पास के सूबों में मद्य-निषेध नहीं है इसलिए डर है कि कहीं हमारी आमदनी कम न हो जाय। यह बातें परस्पर विरोधी हैं। मैं सरकार से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि आप मद्य-निषेध चाहते हैं या नहीं। अगर आप गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं तो मद्य-निषेध आपके लिए आवश्यक है और अगर आप मद्य निषेध करना चाहते है तो आपको कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये।

अभी मैंने बजट के सिलसिले में देखा कि ११ जिलों में मद्य-निषेध प्रचारक जो रखे गये थे उनको हटा दिया गया है और उनका भार पुलिस को दिया गया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आंध्र में जो प्रोहिबिशन कमेटी बैठायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाय या बाम्बे प्रोहिबेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट पढ़ी जाय तो उसमें साफ लिखा है कि वहां पर पुलिस के लोगों ने ऐसे लोगों को जो भट्टी चलाते हैं,अवैध तरीके से इस काम को करते हैं, उनको बरी कर दिया या बरी करने की शाजिस की उन लोगों को पुलिस ने तरजीह दी, सच्ची इन्क्वायरी नहीं होने दी। तो इस काम को पुलिस को देकर माननीय मंत्री जी ने जो यह सोचा है कि इस तरह से ११ जिलों में शराब बंदी करके हम कामयाब होंगें मद्य निषेध में, तो यह उनकी गलत फहमी है। यदि यह आवश्यक है और सरकार यह चाहती है कि सारे सूबे में मद्य निषेध हो तो उसके लिये पहली आवश्यकता यह है कि जो शराब न पीते हों संस्कृत के विद्यार्थी या गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त कियें हों जिन्हें सदाचार की शिक्षा मिली हो उनको इस विभाग में नियुक्त किया जाय और मुझे उम्मीद है कि ये विद्यार्थी जो गुरुकुलों से निकलते हैं या वारधा वगैरह सदृष्य आश्रमों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, उनके सिपुर्द यह काम किया जाय तो वह समाज के स्तर को बदल सकते हैं।

इसके साथ ही साथ जो लोग रोटी की कमी होने की वजह से जीविका के लिए भट्टी चलाते हैं अवैध शराब बनाकर बेचते हैं या एक जिले से दूसरे जिले में ले जाते हैं, ले आते हैं उनकी रोटी का भी इन्तजाम करना चाहिये जिससे वह इस काम को न करें। इसके लिये आवश्यक है कि उनको जमीन दी जाय और दूसरे काम उनको दिये जायं जिससे वह अपनी रोजी चला सकें। और रोटी का प्रबंध कर सकें। रोजी के मामले में उनको सबसे पहला स्थान दिया जाय और अगर ऐसा किया जाय तो मद्य निषेध इस सूबे में सही तौर पर हो सकता है। लेकिन अगर यही इच्छा है कि अनैतिकता बढ़े, लोगों का स्तर नीचे गिरे और लोग शराब पी पीकर आपस में एक दूसरे से लड़ें, तब तो फिर जो विचार माननीय मंत्री जी ने सामने रखा है वह सही है और अगर ऐसा नहीं है सही माने वह मद्य निषेध को इस प्रान्त में लागू करना चाहते हैं तो मेरे सुझावों की तरफ ध्यान रखते हुये पूरे प्रान्त में पूरी तरह से एक नीति निर्धारित करें और सब जगह मद्य निषेध किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

*श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान सरकार ने भवन के सामने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा कि सरकार मद्य–

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

निषेध नहीं करना चाहती है। उन्होंने शायद माननीय मंत्री जी के व्याख्यान को समझा नहीं। हमारी सरकार धीरे-धीरे उस तरफ आ रही है कि मद्य निषेध प्रान्त में कर दिया जाय और इसके लिए जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि ११ जिलों में हम एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा कि सरकार अगर शराब बन्दी करना चाहती है तो उसे एक सख्त कदम उठाना चाहिये। और मद्य निषेध को एकदम से सभी स्थानों पर लागू कर देना चाहिए। शराब पीने से नुकसान है और हम चाहते है कि सारे प्रान्त में एक साथ और एक दिन यह बन्द किया जाय क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। आज जिन लोगों के पास ताड़ी की दूकानें हैं, जो पासी वगैरह हैं मैं अपने जिले की बात जानता हूं, जो पासी इस काम को करते हैं उनको इसका ठेका कभी नहीं मिलता और जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं उनको इसका ठेका दिया जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर इसको चलाना चाहती है तो जो इस पेशे के है उनको इसका ठेका दिया जाय। लेकिन आजकल बिलकुल डबलिंग होती है। प्राइवेट बिजनेस भी शराब के पीछे रहते हैं। मैं देखता हूं कि शराब लखनऊ से कानपुर चली जाती है और सरकार के जो वाच-मैन है वह भी उनसे मिले रहते हैं। आजकल जो प्राइवेट मेसेज और होटल्स वगैरह चलते हैं वहाँ पर भी शराब छिपे-छिपे चलती है। स्टेशनों पर देखिये, वहां पर भी लोग चुपके-चुपके पीते हैं। तो अगर इसको बन्द करना है तो मैं माननीय रामेश्वर लाल जी से कहूंगा कि वह आगे आवें और जनता में इसका प्रचार करें। जनता की तरफ से भी आवाज आनी चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि जितनी शराब बन्दी को जा रही है उतना ही ज्यादा लोग उसके पीने की तरफ झुके रहे हैं दिखायी दे मेहतरों के लिए कहा गया कि जिनके पास कुछ नहीं है वह शराब पीते है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है जो गुंडई में रहते हैं वही शराब पीते हैं, जिनके पास खाने को नहीं जो हरिजन गरीब वह शराब नहीं पीते हैं बल्कि जो अच्छे हैं जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, फैक्टरियाँ हैं वही लोग पीते हैं। इसके अलावा मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गाँजा और भांग पर बैन है, उसमें क्या होता है। मैंने देखा कि एक बहुत सुन्दर सुसज्जित स्त्री को अपने सीने पर गाँजा दबाये हुए पुलिस ने पकड़ा। और तब हमने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गाँजा है तो उसके लिए हमको और आपको मुल्क में निकलना पड़ेगा और मुल्क को बनाना पड़ेगा गाँजा शराब और चोरी करने की आदत को बन्द किया जाय। अकेली सरकार इसको नहीं बन्द करवा पायेगी और मैं यह भी चाहूंगा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वह ईमान्दारी से काम करने की कोशिश करें। इसी में देश का कल्याण है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय काफी महत्वपूर्ण है तो मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि सदन से कि यदि १५ मिनट और समय बढ़ा दिया जाय तो एक आदमी और बोल सकेंगे और इस पर अच्छी तरह से प्रकाश भी पड़ जायगा।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में राज्य आबकारी विभाग के ऊपर यह तीसरी बार बजट प्रस्तुत किया है। अगर तीन साल के हिसाब किताब को देखा जाय तो इस साल मालूम होगा कि सबसे ज्यादा इस अनुदान के लिए रुपया माँगा जा रहा है। एक करोड़, १८ लाख रुपया इस साल माँगा जा रहा है जबकि ५३-५४ का एक्चुअल एक करोड़ एक लाख था यानी १७ लाख रुपया ज्यादा इस साल माननीय मन्त्री महोदय, राज्य आबकारी के लिए मांग रहे हैं। जबकि सरकार की दिन ब दिन नीति यह कही जा रही है कि सरकार राज्य में शराब बन्द करना चाहती है। नशे की चीजों को बन्द करना चाहती है अगर इसके डिटेल को देखा जाय तो इक्विजक्यूटिव की स्थापना पर पिछले वर्ष के एस्टीमेटेड तखमीने से चार हजार ज्यादा लिया जा रहा है।

शराब की भट्ठियां—अगर इसको देखा जाय तो ८ हजार रुपया इस साल माननीय मन्त्री जी गत वर्ष से ज्यादा ले रहे हैं। राज्य आबकारी विभाग की सप्लाई को गई अफीम का व्यय अगर इसको देखा जाय तो एक लाख ७३ हजार रुपया इस विभाग के लिये माननीय मन्त्री जी अधिक

माँग रहे हैं। इसके बाद मोटर में प्रयोग करने के लिए पावर अल्कोहल की खरीद पर व्यय सात लाख माननीय मन्त्री जी ज्यादा ले रहे हैं इस तरह से अगर श्रीमन्, देखा जाय तो गत वर्ष से ९ लाख रुपया इस अनुदान पर ज्यादा खर्च होने के लिए माँगा जा रहा है।

केवल इसी को सामने प्रस्तुत कर मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार की जो नीति है वह शराब बन्दी की नीति है ? क्या सरकार की जो वर्तमान नीति है इससे शराब की बढ़ोत्तरी नहीं होगी? पारसाल हमने आँकड़े रखते हुये यह साबित किया था कि इन ११ जिलों में शराब बन्दी के बावजूद भी १९४२ से शराब साढ़े तीन गुना ज्यादा बढ़गई है। मुझे श्रीमन्, इस सदन में राज्य मन्त्रियों को सुनने का मौका मिलता है तो समय-समय पर काफी मन्त्री लोग हम लोगों को नसीहत देते रहते हैं। कुछ लोग तो गाँधी जी का नाम लेते हैं कोई मन्त्री महोदय पुरानी संस्कृति, धर्म और मजहब का भी नाम लिया करते हैं। तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जहां तक हमने कुरानशरीफ और हदीस को देखा है। कुरान में शराब के बारे में क्या लिखा है? मैं आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री जी की खिदमत में पेश कर दूं। श्रीमन्, इस वक्त मैं इसको इस लिए और ज्यादा जरूरी समझता हूं कि मंत्रीलोग जब प्रचारार्थ बाहर जाते हैं तो वह मंत्री जिस मजहबका मानने वाला होता है उसी इलाके में जाता है और कहता है कि वह उसी जमात का प्रतिनिधि है। जबकि जनरल एलेक्शन या दूसरे चुनाव होते हैं तो ऐसी चर्चा श्रीमन्, आपके कानों तक भी पहुंची होगी। तो श्रीमन्, कुरान शरीफ में लिखा है 'शराब जुआ और गैर खुदा के नाम पर कुर्बानी करना, पीर से जुआ खेलना यह सब नापाकी और शैतान का काम है। इससे बचो।' इसी तरह से श्रीमन्, हदीस में हर नशे की चीज को हराम माना गया है। मैं सम्मानित मन्त्री महोदय, से कहूंगा कि जो कम से कम कुरान पर विश्वास रखते होंगे उसकी आयतों में विश्वास रखते होंगे कि किसी मानी में राज्य सरकार को जितना पैसा पहले शराब पर दिया जाता रहा है उतना देना अनुचित समझेंगे और उससे बढ़ा कर देना तो और भी अनुचित होगा। जब माननीय मन्त्री महोदय, इस चीज (शराब बन्दी) को सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं और खुदा की आखिरी वाणी मानते हैं तो इस अनुदान पर एक भी पैसा माँगना उनके लिए अनुचित है। श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने आपकी विशेष अनुकम्पा से १५ मिनट का समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। मैं इन आँकड़ों को रख कर माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस अनुदान--राज्य आबकारी विभाग के लिए एक पैसा भी सदन से न मांगें। सात साल का समय किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिये काफी है। जिस तेजी से, जिस रफ्तार से श्रीमन्, समय भागा जा रहा है उसको सामने रखते हुये सात साल का समय बहुत काफी है। श्रीमन्, अगर इसके बाद यह देखा जाय कि जिलों में किस तरह सरकारी कर्मचारी शराब की इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं तो मालूम यही होता है कि उधर से तो माननीय मंत्री जी ने आँख मूंद ली है। मैं पूर्वी जिलों से आने वाला हूं। नैपाल का बार्डर वहाँ पर है। वहाँ के मंत्री से बातचीत करने का मौका मुझे मिला और उनका कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूत नीति अख्तियार करती तो नैताल से एक छंटाक गाँजा यहाँ न आ पाता। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि राजस्व में कमी है। योजना की सफलता से राजस्व में कमी होती है। जब राजस्व में कमी होती है तब भी सरकारी कर्मचारियों पर खर्च बढ़ता जाता है। भट्टी के लिए, शराब बनाने के लिये ज्यादा रुपये खर्च करने की तजवीजें पेश की जाती हैं इन दोनों में परस्पर विरोध है। लाल बत्ती हो गई। मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री से फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपनी शराब योजना को बुनियादी तौर से तबदील करें और इस तरह से चलायें कि सारी जनता का कोआपरेशन (सहयोग) मिले और सारे सूबे में शराब कतई बन्द हो जाय।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, किसी वस्तु का माप-दण्ड अपेक्षित हो जाता है जब उसका प्रत्यक्ष संबंध जनता के जीवन से होता है। विश्व के विचारकों ने जनतंत्र में किसी वस्तु के औचित्य के लिये नैतिकता को ही

[श्री अमरेशचन्द्र पाँडेय]

मापदंड माना है। श्रीमन्, यह आबकारी का अनुदान जिसे माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन के समक्ष स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है इस दृष्टि से नैतिकता के स्तर से अत्यन्त गिरा हुआ अनुदान दिखाई देता है। इसलिये मेरे लिये आवश्यक हो जाता है कि मैं इसका विरोध करूं। यह श्रीमन्, यह प्रदेश शताब्दियों से आबकारी की विभीषिका से जल रहा है और ऐसी आशा थी कि स्वतंत्रता के सूर्य के उदय होने के पश्चात् यह कालिमा हमारे प्रदेश से हमेशा के लिये मिट जावेगी और इस प्रदेश में ऐसे समाज का पुनर्निर्माण होगा जिसमें आबकारी नाम का अभिशाप न होगा। लेकिन इस आबकारी के अनुदान को उसी रूप में इस सदन के समक्ष देख कर अत्यन्त दुख और वेदना होती है। इस सदन के समक्ष कितनी भी अनुदानें सरकार की ओर से उपस्थित की गईं उनमें से वे सब अनुदानें या तो इस प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली थीं या नैतिकता की ओर अग्रसर करने वाली थीं। लेकिन यह अनुदान विपरीत रूप में हमारे सामने उपस्थित किया गया है। यह अनुदान अनैतिकता का प्रचार करता है। एक ओर सरकार Temperence Day मनाती है। मद्य-निषेध आन्दोलन चलाती है और दूसरी ओर आक्शन के द्वारा मद्य का प्रचार करती है और जनता का शोषण करती है। या तो सरकार यह घोषित कर दे कि उसका विश्वास मद्य-निषेध आन्दोलन में नहीं है और या तो वह इस आन्दोलन को True spirit में में चलावे। परस्पर विरोधी बातों से काम चलने वाला नहीं है और Fundamentals या बुनियादी उसूल जब स्पष्ट नहीं होते तो भयंकर खतरा उत्पन्न कर देते हैं। इस संबंध में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये। यह किसी जनतांत्रिक सरकार के लिये शोभनीय नहीं हो सकता कि जनता को शराब पिलाकर जनता में अनैतिकता का प्रचार करके आमदनी की जाय और रुपये को एकत्रित किया जाय। मैं अभी हाल ही में नैनीताल गया था। वहां पर मैंने बोट हाउस क्लब को देखा। चाहे इसको आप दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से लेकिन मुझे उसे देखने का अवसर मिला। वहां मैंने अनैतिकता के नग्न नृत्य को देखा; पाशविकता का तांडव देखा जिसके स्मरणमात्र ही से रोमांच हो जाता है। जब हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने को सभ्य कहलाने का दावा करते हों उनपर मद्य का इस प्रकार कुप्रभाव पड़ जाता है तो हमारे प्रदेश की भोली-भाली जनता के ऊपर मद्य का किस प्रकार कुप्रभाव पड़ता है उसकी आप कल्पना न [illegible] मुझे पूर्ण आशा है कि इस संबंध में कोई निश्चित कदम उठाया जायगा और इस प्रदेश की जनता को अनैतिकता के गर्त में गिरने से बचाया जायगा।

श्रीमन्, इन सिद्धांतों की चर्चा के साथ-साथ मैं कुछ विभागीय त्रुटियों की ओर भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस आबकारी विभाग में चार प्रकार से आमदनी होती है। 1.Auction system, 2. Tree-Tax—system 3. Farming system 4. Outstill system, इनमें आक्शन का सिस्टम बड़ा ही त्रुटिपूर्ण है। इस आक्शन सिस्टम के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह सरकार प्रति वर्ष अपने विभागीय कर्मचारियों की अनैतिकता की क्षमता का इम्तहान लेती है। आप किसी भी जिले में देखें कि जो आबकारी इन्सपेक्टर होते हैं वह आक्शन के समय पर बड़े परेशान होते हैं कि किसी प्रकार से पिछले साल जो आमदनी हुई थी उससे कम कहीं न हो जाय। इस कारण वह किसी भी प्रकार से लोगों को फांसने की चेष्टा करते हैं और लोगों से बोली बुलवा कर आक्शन को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जब बोली बोलने के लिये वहां पर उस जिले में उनको आदमी नहीं मिलते हैं तो वह दूसरे जिलों से बुलवाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस आक्शन सिस्टम को खत्म कर देना चाहिये क्योंकि इस सिस्टम से बड़ा नुक्सान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां सर—चार्ज सिस्टम होना चाहिये और वह भी Graduatede surcharge के तरीके पर होना चाहिये। सब से अच्छा तो यह होगा यदि सरकार इस बोल्ड स्टेप को उठा सके कि सरकार के द्वारा दुकानें खोल दी जायं और कोटा सिस्टम से वह मद्य बेचा करे। इससे यह होगा कि बहुत से लोग शर्म के मारे परमिट नहीं प्राप्त करेंगे और इससे शराब पीना काफी कम हो जायगा।

एक्साइज डिपार्टमेंट के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्साइज इन्सपेक्टर के लिये प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहां १० एक्साइज कमिश्नर हैं जिनके नीचे यह इन्सपेक्टर काम करते हैं। इन्सपेक्टरों के प्रमोशन का कोई न्यायपूर्ण तरीका अपनाना चाहिये।

जैसा मैंने निवेदन किया था कि सरकार उनकी अनैतिकता की क्षमता का इम्तहान लेती है। स्पष्ट तो यह है कि अगर कोई इन्सपेक्टर ईमान्दार हुआ और बंगलिंग नहीं की तो वह निकम्मा समझा जाता है और जो अधिक से अधिक रुपया एक्साइज डिपार्टमेंट में लाने की चेष्टा करते हैं उनकी तभी अधिक से अधिक तरक्की होती है। वैसे कोई नियम आदि वहां पर उनके प्रमोशन के लिये नहीं है। फेरी सुपरवाइजर्स को जिनका काम अच्छा है उन्हें मुस्तकिल इक्साइज इन्सपेक्टर्स बनाना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि स्पष्ट नीति इस विभाग में अपनायी जाय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष में यह अनुदान अभिशाप के रूप में न आकर हमारे सामने बरदान के रूप में आवेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। इस विभाग की हालत यह है कि अगर इस विभाग की पुलिस विभाग से तुलना की जाय तो मालूम होगा कि यह उससे भी बढा चढ़ा है। आज माननीय मंत्री जी ने इस सदन में इस विभाग के लिये जो अनुदान पेश किया है जैसा कि अमरेशचन्द्र जी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे सामने यहां मांग नहीं आनी चाहिये थी लेकिन इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तिका के पेज २ में यह लिखा है जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं कि "कंजम्पशन कम हो रहा है" लेकिन अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है। कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसका नतीजा यह है कि इलिसिट डैस्टिलेशन इतना हो रहा है कि जिसका कोई चैक नहीं है उसका कारण वहां के एक्साइज इंसपेक्टर और पुलिस के कर्मचारी हैं जिनका माहवारी बंधा हुआ है। एक एक्साइज इंसपेक्टर का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिये जिसको १२० रुपया वेतन मिलता है वह कैसे ऊंचे स्टैंडर्ड से रहता है और मोटर साइकिल रखता है। मेरी कंस्टीटुऐंसी में ४०० दूकानें हैं गांजे और शराब इत्यादि की, जिनमें से बहुत सी समय से पूर्व खोली जाती हैं। वहां की जनता ने मुझ से शिकायत की और मैंने एक आदमी से भांग मंगाई और मैंने स्वयं जाकर देखा कि दूकान खुली हुई है। वहां के इंसपैक्टर ने कहा कि एम० एल० ए० होते कौन हैं, उनको दूकान पर क्या चढ़ने दिया। मैंने मंत्री महोदय को लिखा और कहा गया कि कार्यवाही की जायगी। लेकिन १ फरवरी का पत्र होने पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं कनविन्स्ड हूं कि वहां के थानेदार और एक्साइज इंसपेक्टरों का माहवारी बंधा हुआ है। जो ठेका देनेवाले होते हैं वे कहते हैं कि अगर ४० हजार का या ५० हजार का ठेका है तो वह कहते हैं कि हम तुमको २० हजार में दिलवा देंगे अगर तुम हमको १० हजार दे दो। इस प्रकार ये कर्मचारी सरकार की हानि कर रहेहैं। हर जगह आज गांवों में भट्ठियां चल रही हैं। अगर किसीने वहां के इंसपेक्टर साहब को और पुलिस वालों को रुपया नहीं भेजा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके यहां रस के घड़े रखवा कर पकड़ कर इस तरह एक चमार जिसका १८ वर्ष का जवान लड़का मर गया था उसे पकड़ा गया। आपकी एडवाइजरी कमेटियां बनी हैं। इसका मुझे भी पत्र मिला लेकिन आज तक नहीं मालूम कि उसकी मीटिंग कोई हुई भी। मेरी कंस्टीट्यूऐंसी में एक ३० साल के ठेकेदार थे। नोटीफाई किया गया किसी जगह आक्शन होने का और चुपके से कर दिया गया दूसरी जगह। एक श्री तेजपाल सिंह हैं।

श्री अध्यक्ष—कृपया किसी का इस प्रकार नाम न लें।

श्री नेकराम शर्मा—थैंक्स। मैंने उनकी शिकायत की। जहां आक्शन होना चाहिये था वहां नहीं हुआ और दूसरी जगह किया गया क्योंकि फीरोजाबाद के कोई जानपहचान के ठेकेदार थे और उनको ठेका दिया गया। मंत्री महोदय इसका पता लगावें तो पता चलेगा कि क्यों हमारी रैवेन्यू का लास होता है। इसके अन्दर आप लिखने को कुछ भी लिख दें लेकिन वास्तव में कनजम्पशन अधिक हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, हमारे आनरेबिल मेम्बर देवरिया ने कोई ऐसी खास बात नहीं कही जिसके खिलाफ मैंने कहा हो, यह जाहिर है कि शराब बुरी चीज है। चाहे कुरान को ढूंढ लीजिये चाहे और किसी मजहबी किताब को देख लीजिये इसकी बुराई हर जगह मिलेगी। हमारे लिये हमारा कांस्टीटयूशन ही काफी है उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट की यही पालिसी होगी कि लोगों की सेहत को दुरुस्त करने के लिये जितना भी हो सके किया जाय और यह कि आखिरकार प्राहीबीशन पूरी तरह से लागू किया जाय और उससे जो सेहत की खराबी होती है उसको रोका जाय। इसके बावजूद भी अभी तक एक मुस्तकिल पालिसी नहीं निकल पायी। आंध्र में जो कुछ हो रहा है वह सब आप जानते ही हैं। वहाँ एक तरफ तो भूख हड़ताल हो रही है कि शराबबंदी कायम रक्खी जाय और दूसरी तरफ ५-५ हजार के जलूस निकाले जा रहे हैं कि शराबबन्दी को सूबे से खत्म किया जाय। इस तरह की हालत हो रही है। बहरहाल कोई न कोई आखिरी फैसला पूरे देश को इसके लिये लेना पड़ेगा। लेकिन यह कहना कि फौरन ही कोई फैसला किया जाय, मेरे खयाल में यह कहना मुनासिब नहीं होगा और उसका अमलदरामद करना भी मुश्किल होगा और यह देर इसी वजह से हो रही है। इसी वजह से कोई मुस्तकित पालिसी इस सूबे में अभी तक अख्तियार नहीं की जा सकी है।

श्री राजनारायण जी ने एक तरफ तो कहा कि हम खर्चा बहुत कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह कि प्राहीबीशन सूबे भर में कर दिया जाय, जाहिर है कि अगर हम सूबे भर में प्राहीबीशन कर दें तो खर्चा और भी बढ़ेगा। जबतक पूरा प्राहीबीशन नहीं होता है तब तक कुछ आमदनी होती है और कुछ खर्च होता है, लेकिन जब प्राहीबीशन हो जायगा तो खर्चा ही खर्चा रह जायगा। हर जगह नशाबन्दी के लिये अफसरान को रखना होगा। इसलिये यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि खर्चा बढ़ रहा है। इसके बाद आनरेबिल मेम्बर ने यह भी कहा कि ऐक्साइज इंसपेक्टर को तरक्की का कोई जरिया नहीं है। ऐक्साइज इंसपेक्टर के लिये सिवाय असिस्टेंट ऐक्साइज कमिश्नर के और कोई तरक्की नहीं है। इसके बारे में अभी ऐसा किया गया है कि एक सेलेक्शन ग्रेड रक्खा गया है जिसमें साढ़े बारह फीसदी लोग रखे जायेंगे। इन लोगों को इस्पेशल तनख्वाह दी जायगी तथा उसमें वे आफीसरान होंगे जो अपने फरायज को ईमानदारी से अंजाम देंगे। उसके लिये कुछ लोगों के नाम चुने गये हैं लेकिन उन पर दोबारा गौर हो रहा है। इसी तरह से श्री नेकराम शर्मा जी ने भी करप्शन की शिकायत की। यह तो बहरहाल एक ऐसी शिकायत है जो करीब करीब हर विभाग के सिलसिले में गवर्नमेंट के खिलाफ की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वह इससे बिल्कुल पाक व साफ है लेकिन जाहिर है कि हम उसी वक्त सजा दे सकते हैं, या पकड़ सकते हैं या सख्त से सख्त बर्ताव कर सकते हैं जब कोई चीज हमारे सामने साबित हो। जो दो बातों की मिसाल उन्होंने दी, एक तो यह कि जिस दिन जहाँ पहले नीलाम होने को था वहाँ नीलाम न होकर दूसरे दिन दूसरे कोर्ट में नीलाम हुआ और दूसरी शिकायत उन्होंने यह की कि दूकानें ज्यादा देर तक खुली रहती हैं। मैंने इन दोनों मामलात के मुताल्लिक तहकीकात की और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक मेरी तहकीकात है, जो इत्तिला मुझे जिले से आयी है उससे मालूम हुआ कि उसमें कोई बहुत ज्यादा गलती किसी अफसर की नहीं है। दूसरी जगह नीलाम के लिये एलान हो गया था और जिस दिन नीलाम था उस दिन वहां एक चपरासी मुअइयन कर दिया गया था कि अगर कोई रूश वहां आवे तो उसको वह दूसरे कोर्ट में भेज दे। वहाँ के कलेक्टर को इसकी इत्तिला थी और उनके इल्म में ये सब बातें हुईं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—उस कोर्ट में क्यों नहीं नीलाम हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—फाइल तो उसकी ऐक्चुअली मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है या तो कोई अफसर वहाँ नहीं रहा होगा या इस किस्म की कोई बात थी जिसकी वजह से उस दिन उस कोर्ट में नीलाम नहीं हुआ। लेकिन उसका एलान पहले कर दिया गया था और कलेक्टर के इल्म में यह बात थी। अगर किसी को कोई तकलीफ या शिकायत थी तो वहां कलेक्टर मौजूद थे, अगर उनको इत्तिला हो जाती तो वे उस तकलीफ को फौरन ही दूर कर देते।

इसी तरह से जो उन्होंने दूसरी शिकायत की उसके मुताल्लिक भी मैंने तहकीकात की, मैंने दरियाफ्त किया तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें किसीकी कोई गलती नहीं है। इसी तरह से मैं यह अर्ज करूंगा कि बहरहाल जो भी इस किस्म की शिकायतें हमारे पास आती हैं उसको हम फौरन तहकीकात करते हैं और जो भी जरायें हैं उनके जरिये हम इस बात की बराबर कोशिश करते हैं कि जो इस किस्म की खराबियां हमारे डिपार्टमेंट में हैं वे रफा हो जायं। मैं एलानिया तौर पर कहता हूं कि अगर किसी और मेम्बर का इत्तिला में इस किस्म की कोई खराबी आये तो उसकी इत्तिला दें, मैं उसकी तहकीकात करने के लिये हमेशा तैयार रहता हूं और आयन्दा भी तैयार रहूंगा।

श्री राजनारायण जी ने भी बनारस के मुताल्लिक एक शिकायत की। उसके मुताल्लिक भी मैंने तहकीकात की और अभी तक फाइल मेरे दफ्तर में रखी पड़ी है ताकि अगर वे मुझसे पूछें तो मैं बतला सकूं कि वहाँ की क्या रिपोर्ट है। इसी तरह से तिवारी जी ने भी कुछ मामले मेरे पास भेजे थे। उसकी तहकीकात भी मैंने कराई है और उसके मुताल्लिक जो बातें हैं वह मैं उनकी इत्तिला के लिये बतला सकता हूं। बहरहाल जो हमारे इमकान में हैं उसे हम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इसमें सभी की सहायता और सहयोग की जरूरत है। इसी तरह से प्रोहीबिशन के लिये जनता के ख्याल को बदलने और उनको इस तरफ राग़िब करने के लिये आमादा हों तभी इसमें कामयाबी हो सकती है। अकेले गवर्नमेंट या महज वजीर गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकता है। सभी को मिल जुलकर ही इन तकलीफों और शिकायतों को दूर करना है।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने उस केस को पकड़ा और इंसपेक्टर के खिलाफ नोट लिखा। क्या माननीय मंत्री जी ने उस नोट को मंगा कर स्वयं देख लिया है?

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जवाब तो दे चुके हैं।

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त कोई फाइल तो मेरे सामने नहीं है लेकिन उसके मुताल्लिक जितनी भी जरूरी बातें थीं सबको मैंने देख लिया है लेकिन जो खराबी असल में है उसका तजकिरा इस हाउस में करना मुनासिब नहीं है।

[श्री सैयद अली जहीर]

बात यह है कि बाज वक्त जो तरीका अख्तियार किया जाता है वह इस प्रकार का होता है कि मुमकिन है कि सही बात भी हो तो वह गलत हो जाती है लेकिन अगर दूसरा तरीका अख्तियार किया जाता तो वह बात गलत नहीं होती। इस तरह से उसका कोई नतीजा नहीं होता है। बहरहाल जो भी होता हो अब उसके मुताल्लिक यह कार्यवाही कर दी गयी है कि वक्त बदल गया है और हमने अहकामात जारी कर दिये हैं कि वक्त की पाबन्दी की जाय और आयन्दा किसी किस्म की कोई चीज उसके खिलाफ बेवक्त न की जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है और अपने अपने बहुमूल्य सुझावों को माननीय मंत्री जी को दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण पहले भी और इस बार भी बड़े गौर से सुना और उसके अनन्तर इस नतीजे पर पहुंचा कि जो अनुदान उन्होंने उपस्थित किया है उसको स्वीकृत कराने के लिये कटिबद्ध हैं, लेकिन मैं भी आज सदन की एक तरह से परीक्षा हो लेना चाहता हूं। सदन में बहुत से शास्त्री, आचार्य, सिद्ध, बौद्ध तथा जैन हैं जो अपने अपने धर्म की डींगें हांकते हैं। सब धर्मों में, बाइबिल में, वेद में, वेदान्त में, पुराण में, निरुक्त में, उपाख्यानों में यहां तक कि कुरान में और हदीस में भी मद्यनिषेध को धर्म माना गया है। यह तो हमारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण गांधीवादी होने के नाते सदन का और इस कांग्रेस की सरकार का भी यही रहा है तो मैं आज इन सब नाते, धर्म के नाते भी अपील करता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य तो धर्म के नाम पर अपील करते हैं सदन को लेकिन यह तो सेकुलर स्टेट है। धर्म के नाम पर सदस्यों से अपील नहीं की जा सकती?

श्री रामेश्वरलाल--अध्यक्ष महोदय, आचार्य, जैन, बौद्ध, सन्यासी सभी सदन में हैं, सब अपने अपने नामों के आगे जो विशेषण लगाते हैं कोई जैन, कोई आचार्य, कोई शास्त्री हैं इसलिये मैं उस नाते अपील करता हूं किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना अथवा भेदभाव फैलाने से मेरा तात्पर्य नहीं है। और यह अपील एक प्रकार से परीक्षा है क्योंकि सब धर्मों में और धार्मिक पुस्तकों में भी तथा हमारे विद्वानों की भी यही राय है और हमारी सरकार की गांधीवादी नीति भी यही कहती है कि पूर्णतः मद्यनिषेध हो इसीलिये आज यह परीक्षा है। इस सदन में बहुत से कटौतियों और अनुदानों पर बहसें हुईं और उन पर विभिन्न लोगों ने अपने और अपनी पार्टी के विचार रखे लेकिन यहां पर तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका भी लक्ष्य पूर्ण मद्यनिषेध है लेकिन उनका रास्ता है ११ जिलों में शराब बन्द करके, और पुलिस के हाथ में ताकत देने के बाद पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का और वह समझते हैं कि इससे हो जायगा लेकिन पिछले सालों के बजटों को देखने से मालूम होता है कि जबसे इस सरकार के हाथ में ताकत आयी क्रमशः कुछ लोगों को कर्मचारी वर्ग के नाम पर रखा गया उनको फिर हटाया गया फिर पुलिस के हाथ में ताकत दी गयी और यह सब यही सिद्ध करता है कि पूर्ण मद्यनिषेध करने का सरकार का इरादा नहीं है। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापिस नहीं लेता हूं और सचाई की परीक्षा के लिये सदन में रखता हूं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ––

पक्ष में––१५

विपक्ष में––५३।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३––राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८––राज्य आबकारी) के अधीन १,१८,०५,८०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––माननीय न्याय मंत्री अनुदान संख्या ४ तथा अनुदान संख्या ६ दोनों को एक साथ पेश कर दें।

अनुदान संख्या ४––लेखा शीर्षक ९––स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६––लेखा शीर्षक ११––रजिस्ट्री

श्री सैयद अली जहीर––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४––स्टाम्प (लेखा शीर्षक ९––स्टाम्प) के अन्तर्गत ६,४०,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६––रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११––रजिस्ट्री) के अन्तर्गत ९४,१४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों विभाग बहुत छोटे हैं और इनमें गौर करने की चीज खर्चा नहीं है बल्कि आमदनी है। इसमें ६,४०,७०० रु० स्टाम्प के लिये मांगे गये हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हुई है, परसाल गोया, ५,०१,६०० रु० मांगे गये थे। इसकी बढ़ोत्तरी की वजह यह है कि इस साल इसकी आमदनी भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी बढ़ने की वजह से हमको ज्यादा रुपया स्टाम्प के खरीदने में खर्च करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ जो हम कमीशन वगैरह देते हैं स्टाम्प बेंचने के लिये वह भी ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा इसके खर्च में इजाफा हो गया है। लेकिन इसकी आमदनी अगले साल २ करोड़ ६८ लाख रखी गयी है बरखिलाफ २ करोड़ ६५ लाख के जो मौजूदा साल में थी। इस वजह से इससे जाहिर है कि हमारी आमदनी ३ लाख के करीब बढ़ गयी है और इसकी वजह यह है कि जो कमी जमींदारी के खात्मे के बाद हो गयी थी और जो स्थिति गड़बड़ थी वह रफ्ता रफ्ता ठीक हो रही है और स्टाम्प वगैरह की आमनी रफ्ता-रफ्ता बढ़ रही है।

क़रीब क़रीब यही सूरत रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी है। उसकी भी आमदनी में कुछ थोड़ा सा इजाफा है और खर्च में भी कुछ थोड़ा सा इजाफा है लेकिन वह बरायनाम है। रजिस्ट्री के मुताल्लिक मुझको सिर्फ एक बात बतानी है और वह यह है कि एक नयी स्कीम गवर्नमेंट के जेरे गौर है जिससे देहातों में भी जो मामलात

[श्री सैयद अली जहीर]

हों उनको रजिस्ट्री पंचायतों के जरिये हो सके । हमारे यहाँ दरोग़ हल्फी और ग़लतबयानी बहुत हुआ करती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि देहातों में जो लोग अपना मामला और मुआहिदा किया करते हैं उसको रजिस्ट्री करा लिया करें और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हालत कुछ बेहतर हो जायगी। हम यह चाहते हैं कि पहले पहल इलाहाबाद में रूरल रजिस्ट्रेशन की स्कीम को लागू किया जाय और वहाँ देखा जाय कि उसका अमलदरामद कैसा होता है जाहिर है कि ऐसे मामलात में बड़ी चीज जो होती है वह यह होती है कि जो कागजात रजिस्ट्री के हों उनकी हिफ़ाजत की जाय, दफ्तर में उनमें कोई रद्दोबदल न होने पावे और वह अच्छी तरह से रखे जावें। इन सब बातों पर ग़ौर किया जा रहा है और यह ख्याल है कि जब कायदे कानून बन जायेंगे तब इस स्कीम को हम लागू कर सकेंगे। इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि यह दोनों डिमांड्स मंजूर की जायं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप ही आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों अनुदानों के अधीन एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, अनुदान संख्या ५ का विश्लेषण करते हुये पहली बात जो हमको दिखलाई देती है वह यह है कि सरकार ने जो पिछले साल इस बात का दावा किया था कि स्टैम्प ऐक्ट में जो हम वृद्धि कर रहे हैं वह कोई टैक्सेशन नहीं है। उससे कोई आमदनी में वृद्धि नहीं होगी, यह सरकार का दावा बिल्कुल ग़लत साबित हुआ है और वास्तव में जो स्टैम्प की दरों में वृद्धि की गई उससे सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी। इसकी मिसाल के लिये मैं केवल एक ही उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि जहां सन् १९४७-४८ से लगातार सरकार की स्टैम्प रेवेन्यू घट रही थी और लगातार सरकार रिपोर्टों में कहती रही थी कि मुकदमों की कमी की वजह से यह रेवेन्यू घट रही है वहां पर सन् १९५१-५२ से आज तक ४३ लाख रुपये की वृद्धि स्टैम्प रेवेन्यू में हुई है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार सन् १९५१-५२ में २ करोड़ २५ लाख रुपये की आमदनी स्टैम्प रेवेन्यू से सरकार को हुई थी और आज २ करोड़ ६८ लाख रुपये की है। इससे यह साबित होता है कि स्टैम्प की दर बढ़ाने की जो नीति सरकार की रही है वास्तव में वह अदालतों में जनता को सस्ता न्याय मिलने से जनता को वंचित करने की नीति रही है। स्टैम्प रेवेन्यू जो २५ परसेंट समय समय पर बढ़ाया गया वह केवल इसलिये बढ़ाया गया था कि मुद्रा स्फीति का मुकाबिला किया जाय। आज सरकार एक तरफ तो यह दावा करती है कि मुद्रा स्फीति को हमने रोक लिया है, अब बाजार भाव स्थिर हो चुके हैं तो जब आज मुद्रा स्फीति नहीं है तो मैं इस बात की मांग करूंगा कि जो २५ परसेंट सरचार्ज इस गवर्नमेंट ने सन् १९४३ में और फिर सन् १९४६ में बढ़ाया और जो स्टैम्प ऐक्ट सन् १९५२ में सरकार ने लागू किया उसमें रद्दोबदल किया जाय और स्टैम्प ड्यूटी को घटाया जाय। इस सम्बन्ध में अगर माननीय मंत्री जी वांचू कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपीलेट कोर्ट फ़ी को आधा कर दिया जाय। वांचू कमेटी रिपोर्ट के पेज ७५ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि :--

"While we feel that it may not be possible to reduce court fee in original suits and the lawyer's fee in the present circumstances, court fee of appeals may be reduced to half in cases where ad valerem court fee is payable to courts of appeal."

तो जब वांचू कमेटी की रिपोर्ट के दृष्टिकोण से मुद्रा स्फीति का मुकाबिला करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती और जनता को सस्ता न्याय पहुंचाने के दृष्टिकोण से, इन दोनों दृष्टिकोण से मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वह स्टैम्प ऐक्ट को दोबारा दोहराने की चेष्टा करें।

जहां तक रजिस्ट्रेशन के दफ्तरों का ताल्लुक है, २४१ रजिस्ट्रेशन आफिसेज इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। उनकी एक अजीब हालत है। कुछ आफिसेज तो ऐसे हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज एक्स आफ़िशियो रजिस्ट्रार का काम करता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सब-रजिस्ट्रार मौजूद है वह सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट का भी काम करता है और रजिस्ट्रेशन आफ़िसर का भी काम करता है और तीसरी श्रेणी के आफ़िसेज ऐसे हैं जिनमें न सब-रजिस्ट्रार हैं न रजिस्ट्रार है। बल्कि रजिस्ट्रेशन क्लार्क्स हैं उनको बिना अलाउन्स दिये हुये एक्स आफीशियो सब रजिस्ट्रार मान लिया जाता है। वह रजिस्ट्रेशन क्लार्क का भी काम करते हैं और सब-रजिस्ट्रार का भी करते हैं। नतीजा यह होता है कि इस प्रकार के त्रिमुखी इंतजाम से करप्शन की भावना बढ़ती है और रजिस्ट्रेशन होने में देर होती है और न्याय भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। सब रजिस्ट्रार सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स का भी काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि यह किस तरह से किया जाता है। क्या इसके नियम तथा योग्यतायें हैं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ला ग्रेजुयेट्स हैं उनको हम सब रजिस्ट्रार के अलावा सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट का काम भी दे देते हैं। आया उनमें योग्यता है या नहीं, कोई नियम या कम्पटीशन इस सम्बन्ध में नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि रजिस्ट्रेशन विभाग को ठीक ढंग से चलाया जाय।

माननीय मंत्री जी ने रूरल रजिस्ट्रेशन की बात को भी रखा है। हमारी पार्टी की तरफ से जवाब दिया जाता रहा है कि इसको अगर ठीक तरह से चलाया जाय तो विकेन्द्रीयकरण शासन की इकाइयों को मजबूत करने में यह काफी हद तक पंचायतों के प्रति जनता का विश्वास रखा जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने नहीं बतलाया कि वह स्कीम है क्या, उन्होंने केवल हिंट दे दिया है। यह भी नहीं बतलाया कि उनको पंचायतें किस प्रकार रखेंगी और कोई रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में नहीं आई है स्टाम्प या रजिस्ट्रेशन के संबंध में, इसलिये मैं ब्योरे के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन के सामने ब्योरा रखें।

एक बात की ओर और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दो सालों में माननीय मंत्री जी के विभाग ने २० रजिस्ट्रेशन आफिसेज को इकोनामी के नाम पर बन्द किया। उनमें से दो की दुबारा खोलने की नौबत आ गई है। इगलास जिला अलीगढ़ में और जालौन में दुबारा रजिस्ट्रेशन आफिसेज को खोलने जा रहे हैं। इसलिये कि जनता को कुछ कारणों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो कहूंगा कि इस बात की नौबत बाकी १८ जगहों पर भी दुबारा खोलने की जरूरत पड़ेगी। इकोनामी के नाम पर ऐसे रजिस्ट्रेशन आफिसेज को बन्द कर देना और देहात की जनता को रजिस्ट्रेशन के मामले में दर दर की ठोकरें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

खिलाना और भ्रष्टाचार को आफिसर्स की मर्जी पर छोड़ देना कहां तक उचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन आफिसेज का पुनर्संगठन हो और सब रजिस्ट्रारों को मुकद्दमे का काम न दिया जाय। अगर रजिस्ट्रेशन क्लार्क्स को रजिस्ट्रार बनाया जाय तो उनको सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाय। यह स्पष्ट नीति इस सम्बन्ध में हो सकती है।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी माननीय नारायणदत्त जी ने जो अपने विचार स्टाम्प के सम्बन्ध में रखे हैं, उसके सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा कि स्टाम्प फीस वही पहले की रखी जानी चाहिये। मैं जहां तक समझता हूं मैं जानता हूं कि इस वक्त मामले इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि जनता में मुकदमे लड़ने की एक आदत सी पड़ गई है। इसको देखते हुए अगर कुछ फीस बढ़ाकर जबकि सुनवाई के लिये कोर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट्स का खर्चा बरदाश्त करना पड़ता है, अगर कुछ कोर्ट फीस बढ़ गई है तो ज्यादा हर्ज की कोई बात नहीं है और इसपर ज्यादा विवाद भी नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात हमारे दोस्त ने जो दूसरी मद है रजिस्ट्रेशन की, उस पर ऐतराज किया है। आपके भाषण को जो मैंने समझा वह यह है कि आपने डायरेक्ट अटैक सब-रजिस्ट्रारों पर कि उनको सैकिन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स दी जाती है, इसपर किया है। सरकार ने जो यह काम किया है वह बहुत ही अच्छा किया है। इधर के लोगों की और उधर के लोगों की और जहां तक मेरा ख्याल है कि प्रान्त के योग्य व्यक्तियों की सबकी यही राय है कि जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव अलग-अलग होनी चाहिये। सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में होता है, उसका एक्जीक्यूटिव पावर्स से कोई संबंध नहीं रहता है। जब तहसीलदारों को सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स देते हैं और सब रजिस्ट्रार को एक्जीक्यूटिव की पावर्स नहीं है, सिर्फ मुकदमे सुनने का अधिकार हो तो इससे अच्छा जुडीशियरी को इक्जीक्यूटिव से अलग करने का और क्या हो सकता है।

हां, यह हो सकता है कि कुछ जगह करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो क्योंकि यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सब रजिस्ट्रार दूध के धोये हैं। लेकिन जो करप्शन वाले लोग हैं उन पर निगाह रखी जाय और उनको सजा भी मिलनी चाहिये। लेकिन एक उसूल को रख कर, सिर्फ इसलिये कुछ लोग करप्शन करते हैं, इससे उस उसूल से हट जायं, अच्छा नहीं है। जहां तक योग्यता का सवाल है, मैं समझता हूं कि सब रजिस्ट्रार जो मुकर्रर होते हैं वह एल० एल० बी० होते हैं और तब उनको सेकिंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जाती है। तो यह योग्यता कम तो नहीं होती, काफी योग्यता है। इसके साथ साथ मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से तहसीलदार ऐसे होते हैं जिनको सेकेंड क्लास की पावर मिली हुई है कि जो बी० ए० भी नहीं हैं। उनको भी आप इसी कैटेगरी के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देते हैं। मैंने तो इस दिशा में बहुत जानने की कोशिश की और इसलिये मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने तो बार असोसिएशन से भी यह जानने की कोशिश की थी कि उनको सब रजिस्ट्रार्स के बारे में क्या राय है। मेरे पास यू० पी० की बार असोसिएशंस की एक लिस्ट है और मेरे पास २४-२५ बार असोसिएशंस ने अपनी राय भेजी और उन्होंने यह बताया कि उन सब रजिस्ट्रार्स का काम सैटिस्फैक्टरिली चल रहा है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने बदनीयती के साथ अपनी राय जाहिर की हो, क्योंकि जो वकील लोग होते हैं हर जिले के वह अधिकतर क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं और माइन्यूटली हर बात को देखते हैं। मैंने उनके जरिये जो ओपीनियन गैदर की उसको देखते

हुए तो यही लगता है कि वे लोग यह मांग कर रहे हैं कि उन सब रजिस्ट्रार्स को फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा न्यूट्रल कोई बाडी नहीं हो सकती, जिस जुडीशियरी की तरफ हमारा कदम उठ रहा है। अगर माननीय नारायणदत्त जी इसको जानना चाहेंगे तो मैं उनको यह दिखा सकूंगा। मैंने अखबारों के कटिंग्स भी देखे और यह मालूम करता रहा कि जनता की राय इस सम्बन्ध में क्या है। तो जनता की राय पर भी जब निगाह डाली तो यही मालूम हुआ कि बहुत से लोग फ़ेवर में ही राय रखते हैं, मैं नहीं जानता कि वह क्यों अखबारों में निकालते हैं। मगर जब किसी चीज को अच्छा समझते हैं तभी वह निकालते हैं। एक आध कटिंग इस समय भी मेरे पास मौजूद है। जैसे ६–२–५४ को नेशनल हैरेल्ड में जो छपा था उसकी कटिंग मेरी फाइल में मौजूद है, बड़ी अच्छी फाइल है। तो उसमें काफी अच्छी ओपीनियन देखी और फ़ेवरेबिल ओपीनियन देखी। तो एक उसूल को खत्म कर देना कि करप्शन है, इस चीज को मैं अच्छा नहीं समझता और मेरा ख्याल है कि श्री नारायणदत्त जी भी इससे ऐग्री करेंगे कि उसूल ठीक है। अगर कोई सब-रजिस्ट्रार गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिये।

मुझे एक बात और मालूम हुई कि जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनकी यू० पी० की एक असोसिएशन बनी हुई है और ये लोग खुद आनरेरी तौर पर उसके जरिये किसी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ इन्क्वायरी कराते हैं। अगर कोई उनकी बिरादरी का मैजिस्ट्रेट सब-रजिस्ट्रार, कोई ग़लत काम करता है तो उसको धौंसते हैं और मुझे यहां तक मालूम हुआ कि गवर्नमेंट को भी उन्होंने किन्हीं सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कुछ बातें लिखी थीं कि यह खराबी चल रही है और फलां को पनिश्मेंट मिलना चाहिये। तो इन सब बातों को देखते हुए और इनके काम को देखते हुए, मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जाता सिर्फ जो फैक्ट्स इकट्ठे किये उनके आधार पर भी मुझे लगता है कि उसूल तो अच्छा है और इसमें इकोनामी भी है। दूसरे आनरेरी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करते हैं तो उनके लिये चपरासी और पेशकार अलग से मुकर्रर करते हैं, लेकिन उतने ही रुपये में ये सब-रजिस्ट्रार उन्हीं चपरासी और स्टाफ से काम चलाते हैं।

दूसरी बात यह है कि आजकल आपको शिकायत होगी कि डिप्टी कलक्टर्स और तहसीलदार जब दौरे पर दूसरी जगह जाते हैं तो पब्लिक परेशान हो जाती है और आपके पास शिकायतें आती हैं, लेकिन इनका आफिस जो होता है वह सेंटर पर रहता है और पब्लिक को परेशानी नहीं होती।

इसके अतिरिक्त मैंने एक और बात भी जानने की कोशिश की कि जितने इनके मुकदमे होते हैं उनकी जब अपीलें हुईं तो ९० और ९५ प्रतिशत इनके मुकदमे बहाल रहे, इनके फ़ेवर में केसेज रहे। तो वह जो काम कर रहे हैं वह यह शो करता है कि वह बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि उनके केसेज की अपीलें बड़े जजों के पास जाती हैं। अगर उनके मुकदमे खराब हों तो वह उसको उलट दें और उनके खिलाफ फैसला हो जाय, लेकिन मैंने जो देखा है उससे यह पता लगता है कि फ़ैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कि उनका काम बहुत अच्छा है और नारायणदत्त जी ने जो अपोजीशन में एक बात उठायी है तो मैं उपाध्यक्ष जी आपके जरिये माननीय नारायणदत्त जी जो कि प्रोग्रेसिव अपने को कहते हैं उनका ध्यान दिलाऊंगा और मेरा ख्याल है कि वह इससे सहमत होंगे और इनके पक्ष में अपनी राय रखेंगे। मैं इस मेहरबानी के लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं और यह आग्रह करता हूं कि इधर अवश्य ध्यान रखेंगे।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

मैंने यह भी सुना है कि पावर्स को एक्सटेंड करने का सवाल उठ रहा है। तो उसको एक्सटेंड जरूर किया जाय। इससे जनता को लाभ हुआ है और मैं फिर कहता हूं कि अगर करप्शन है तो उसको दूर करना चाहिये लेकिन जो एक उसूल है उस उसूल को नहीं तोड़ना चाहिये। इन शब्दों के साथ में फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, नारायणदत्त जी ने यह सवाल उठाया है कि स्टैम्प से आमदनी बहुत बढ़ गयी है और इसकी वजह यह बतायी है कि चूंकि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है लिहाजा आमदनी ज्यादा हुई है। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जहाँ तक स्टाम्प ड्यूटी का ताल्लुक है उसमें तो जो बिल मैं यहाँ लाया था, सारे हाउस को पता है, उसके जरिये से सिर्फ यह हुआ था कि जैसे अगर तीन आना है तो उसका चार आना कर दिया जाय। जब जो मल्टिपुल चार का हो तो उसका स्टाम्प बना दिया जाय तो इसके बाद यह जरूर हुआ कि हमारा खर्चा कुछ कम हो गया लेकिन इसकी वजह से कोई सबस्टेंशियल इंक्रीज हुआ हो, तो उसका न तो इरादा था और न यह हुआ है। वह तो महज राउन्ड आफ था जो बढ़ाया गया था। दूसरी बात यह है कि यह सब जो ड्यूटी बढ़ी है तो ज्यादातर यह सही है कि मुकदमों से भी आमदनी स्टाम्प में होती है लेकिन उसके अलावा बहुत से और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि स्टाम्प किया जाता है और उसका असर यह नहीं है लाजिमी तौर पर कि खामखाह मुकदमों के जो अखराजात हैं उनमें इजाफा किया गया। असली वजह जो है वह यह है कि अब इस डिपार्टमेंट की तरफ से और ज्यादा सख्ती की जाती है, और ज्यादा निगरानी इस बात की की जाती है कि बहुत सी ऐसी जगह जहां स्टाम्प लगना चाहिये था और वहाँ स्टाम्प लोग नहीं लगाते थे या कम स्टाम्प लगाते थे तो उसका पता नहीं चलता था लेकिन अब इसकी निगरानी और सख्ती की जाने लगी है और जहाँ लोग नहीं लगाते हैं, वहाँ उनसे वसूल किया जाता है। तो असल वजह यह है कि हमने अपने डिपार्टमेंट में इसका ज्यादा खयाल किया है कि जो ऐसी जगहों के ऊपर और बहुत से कागजातों के ऊपर कम स्टाम्प लगाये जाते हैं वह नहीं होना चाहिये और बराबर इंस्पेक्टर वगैरह जा करके जांचें और देखें। जहाँ कमी हो उसको वसूल करें। तो आमदनी बढ़ने की असल वजह यह है और आखीर में तो उनसे यह कहूंगा कि यह तो वह जानते हैं और इस देश का हर एक नागरिक जानता है कि हम कितने बड़े-बड़े काम इस वक्त अपने देश की भलाई के लिये उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो अगर किसी ऐसे विभाग से हमको थोड़ा बहुत आमदनी हो रही है तो कम से कम अभी यह मौका नहीं है कि उसमें किसी किस्म से उस आमदनी में कमी की जाय। इस वक्त तो हमको और सोच करके कोई रास्ता निकालने की जरूरत है कि जिसके जरिये से हमारे प्रांत में कोई और जरिया आमदनी का निकले कोई और ऐसा टैक्स हम लगावें कि जिसको लोग आसानी से बरदाश्त कर सकें और उसके जरिये से हम अपने देश को ऊंचा करने के लिये, जो हमारा पांच वर्ष का नकशा है उसकी तकमील करने के लिये रुपया पा सकें। तो अभी इसका मौका नहीं है कि इसमें कमी की जाय। और यह भी इसमें नहीं है कि कोई गैरमामूली बार जनता के ऊपर हो जिससे उसको तकलीफ पहुंचे और जिसको कि जनता बरदाश्त न कर सकें।

रजिस्ट्रेशन के मामले में यह कहा गया कि आज तीन तरह के रजिस्टरिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं एक वह जहाँ कि रजिस्ट्रार होता है, एक वह जहाँ सब-रजिस्ट्रार होता है और एक वह जहाँ क्लर्क होता है। तो इसका तो इन्तजाम इस प्रकार है कि यह काम के ऊपर मुनहसर है कि वहाँ कितना काम है किस दफ्तर में। बाज में काफी काम नहीं है और बाज में तो ऐसा था कि कुछ काम नहीं था वहाँ और उनको हमने खुद खत्म कर दिया। बहरहाल एक दो जगह के लिये जरूरत महसूस हुई, मेम्बरों ने हमसे कहा कि इन जगहों पर फिर से कायम करने की जरूरत है, चुनान्चे जब हमने महसूस किया कि यहाँ जरूरत है तो वहाँ

हमने फिर कायम कर दिया और अगर कोई ऐसी मिसालें आयेंगी कि वाकई जनता को तकलीफ हो रही है तो वहाँ के लिये भी सरकार गौर करने को तैयार होगी। लेकिन यह जो तीन ग्रेड्स है यह तो महज इस वजह से हैं कि काम के ऊपर मुनहसिर हैं।

अगर कोई ऐसा दफ्तर है जिसकी आमदनी बहुत कम है और बहुत थोड़े कागजात रजिस्ट्री होते हैं तो जाहिर है कि वहाँ एक क्लर्क से काम चल सकता है। यह जरूरी नहीं है वहाँ पर सबरजिस्ट्रार मुकर्रर किया जाय। लेकिन अमूमन सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में रहते हैं।

कुछ जिक्र इसका भी आया रूरल रजिस्ट्रेशन की स्कीम के मुताल्लिक। मैंने अपनी तकरीर में भी अर्ज कर दिया था कि इस स्कीम की आखिरी शक्ल बनकर हमारे सामने अभी नहीं आयी है। उस पर अभी गौर हो रहा है और जाहिर है कि जब स्कीम आयेगी तो उसकी इत्तला इस हाउस और माननीय सदस्य को भी होगी।

हमने तजुरबे के तौर पर और इम्तहान के तरीके पर कुछ सब रजिस्ट्रारों को मजिस्ट्रेटी का काम और सेंकेंड क्लास पावर्स दी हैं। इस पर आखिरी फैसला अभी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। यह मामला जेरे गौर है। लेकिन आइन्दा साल के लिये वह सब–रजिस्ट्रार जो एल० एल० बी० हैं और जिनको अभी तक मजिस्ट्रेटी के अख्तियारात हैं उनको जारी रखा जायगा। आइन्दा भी वह उसी तरह से काम करेंगे। यह कहना कि यह सब-रजिस्ट्रार काम कैसा करते हैं और आया काबिल इत्मीनान है या नहीं मेरे खयाल से यह जरा क्ब्लअजवक्त है। जब यह ग्रांट गुजिश्ता साल पेश की गयी थी तो यहाँ इस पर दोनों तरह की राय जाहिर की गयी। लेकिन गवर्नमेंट उस एक्सपेरीमेंट को जारी किये हुये है। यह नहीं है कि जो एक दफा मैजिस्ट्रेट हो जाय वह हमेशा ही रहे। बराबर उसके काम की जाँच करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं। अगर किसी के मुताल्लिक यह इत्तला मिली कि उनका काम ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी पावर्स वापस ले लेती है। इस तरह की बातें तो होती हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम देख रहे हैं और हमारा इरादा है कि इसको जारी रक्खेंगे। असली वजह उसकी यह है कि बहुत सबरजिस्ट्रारों के पास पूरा काम नहीं होता। उनका वक्त बच जाता था। इसलिये जरूरत थी कि उनको दूसरा काम दे दिया जाय और मुझे खुशी है कि अब तक जहाँतक गवर्नमेंट को मालूम है जो कुछ काम हुआ है इतमीनानबख्श है। लेकिन इतना इतमीनानबख्श है कि मुस्तकिल तौर पर यह काम जितने ला ग्रैडुएट सबरजिस्ट्रार हैं उनको दे दिया जाय या जितने इस वक्त इस काम को कर रहे हैं उनको मुस्तकिल तौर से यह काम दे दिया जाय, इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इस साल के लिये इस एक्सपेरीमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है।

मुझे उम्मीद है कि माननीय नारायणदत्त जी अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे क्योंकि जो उनके शुकूक थे वह रफा हो गये हैं, और दोनों विभागों की माँग स्वीकार की जायगी।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि हमारी आमदनी तो कोई खास बढ़ी नहीं बल्कि हमारा खर्चा घटा है। मैंने फिर जब रिपोर्ट को देखा तो मालूम हुआ कि खर्चा भी बढ़ा ही है। माननीय मंत्री जी जरा बतलायें कि खर्चा कहाँ घटा है। १९५१–५२ में ४ लाख ८६ हजार खर्चा था और अबकी साढ़े छः लाख तक पहुंचने जा रहा है। तो खर्चा घटा नहीं है। बढ़ा ही है। आमदनी तो स्पष्ट रूप से ४३ लाख रुपये बढ़ी है। अगर माननीय मंत्री जी बजट मेमोरेंडम में जो एक्स्पलेनेशन दिया हुआ है उसको पढ़ने की तकलीफ गवारा करेंगे तो उसमें लिखा है कि स्टैम्प ऐक्ट के कारण और नयी स्कीम जो बनायी गयी है उसके कारण मुकदमे कम होते हुये भी आमदनी बढ़ी है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक मामले पर माननीय मंत्री जो बिलकुल चुप्पी साध गये। मैंने कहा था कि वांचू कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुकदमों पर जो जनता का खर्चा होता है उसको सस्ता करने के लिये अपील का कोर्ट फीस आधा कर दी जाय। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर कर ही लिया है। तो फिर माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर देना क्यों नहीं उचित समझा यह वही जानें। लेकिन मैं अब भी समझता हूं कि शायद वह इसको मंजूर कर लेंगे। जहाँ तक सब रजिस्ट्रार का ताल्लुक है माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने शायद मुझे गलत समझा। मैंने उस पोस्ट को खत्म करने की बात नहीं कही। मैंने यह कहा कि सब रजिस्ट्रारों के पद के साथ-साथ मैजिस्ट्रेटी के पद को रखना और कोई एलाउन्स न देना इससे क्या होता है यही होता है कि वे समझते हैं कि एक काम करना है गवर्नमेंट का इसलिये वे कर देते हैं। सब रजिस्ट्रार जब खाली हो तो उसको सैकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट का काम दिया जाय और कोई सुविधा न हो। सरकार ने दो साल से इस संबंध में तजुरबा कर रही है, सरकार को मालूम हो गया होगा कि सब-रजिस्ट्रार से मैजिस्ट्रेट का काम लेना चाहिये या न लेना चाहिये।

दूसरी बात जो उन्होंने क्लेरिफाई नहीं की कि वह यह कि नये सब-रजिस्ट्रार तो एप्वाइन्ट करना बन्द कर दिया है और एक्स आफिशियो क्लर्कस से ही सब रजिस्ट्रार का काम ले लेते हैं। तो उसके लिये कोई नियम भी है या नहीं और उसको कोई एलाउन्स भी दिया जाता है या नहीं और कोई ग्रेडिंग होगा या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत थी।

रूरल डेवलपमेंट स्कीम आप इलाहाबाद में चला रहे हैं, किस रूप में आप उसे चलायेंगे उसका भी स्पष्ट चित्र माननीय मंत्री जी रख दें तो अच्छा होगा।

†**श्री सैयद अली जहीर**––उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वांचू कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है उसकी हर सिफारिश पर गवर्नमेंट ने विचार किया। उसकी बहुत सी चीजों को माना और बहुत सी चीजों को नहीं माना। उन पर अलग-अलग एक-एक फैसला हुआ। जहाँ तक यह सिफारिश थी कि अपील में कोर्टफीस कम कर दी जाय मैंने उसके जवाब में यह बतलाया कि हमको रुपये की ज्यादा जरूरत है लिहाजा कोई ऐसी सिफारिश जिसके जरिये से हमारी आमदनी घटे उस को इस वक्त मंजूर करना हम मुनासिब नहीं समझते न सूबे के मफाद के लिये और न अवाम के मफाद के लिये। लिहाजा वह सवाल इस वक्त नहीं उठता।

जहाँ तक क्लर्कस का ताल्लुक है उनको अलग से, जब वह सब रजिस्ट्रार का काम करते हैं, तो एलाउन्स दिया जाता है। जहाँ पर थोड़े बहुत डाक्युमेंट होते हैं वहाँ पर क्लर्क ही इनचार्ज होता है लेकिन जहाँ वह सब रजिस्ट्रार का काम करता है वहाँ उसको एलाउन्स दिया जाता है।

सब रजिस्ट्रार के बारे में शिकायत की गई कि उनसे मैजिस्ट्रेटी का काम तो लिया जाता है लेकिन कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता। अगर किसी सब रजिस्ट्रार से ये अख्तियारात ले लिये जाते हैं तो वे चाहते हैं कि उनको ये अख्तियारात हासिल हों। कम से कम इससे उनकी इज्जत बढ़ती है। वे समझते हैं कि इससे उनका असर बढ़ता है। वे देश का काम करते हैं। अब वह जहनियत नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिये काम किया जाय और काम न हो तो खाली बैठे रहें और दूसरा कोई काम न करें और बेकार रहें यह मुनासिब समझा गया कि उनको मैजिस्ट्रेटी का काम भी दिया जाय और उसको उन्होंने मंजूर किया। उनकी तरफ से कोई डिमाँड भी नहीं है कि कोई एलाउन्स उनको इसका दिया जाय और न गवर्नमेंट इसको जरूरी समझती है।

रूरल डेवलपमेंट स्कीम अभी फायनल नहीं हुई है, जब फायनल हो जायगी तो उसकी इत्तिला आपको दे दी जायगी। कोई टाइम तो नहीं बतला सकता लेकिन अनकरीब वह लागू

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जायगो। मेरे ख्याल में सब बातों का जवाब हो गया है। शायद नारायण दत्त जो अपना कटमोशन वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४–स्टाम्प (लेखा शीर्षक–९स्टाम्प) के अन्तर्गत ६,४०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६–रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११–रजिस्ट्री) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६–रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११–रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १४,१४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १५–लेखा शीर्षक २७–न्याय प्रशासन

†**श्री सैयद अली जहीर**––मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५–न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक) २७–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,२२,४३,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस माँग को पेश करते हुये मुझे बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करना है। यहां पर यह महसूस किया जा रहा है कि जो मौजूदा तरीका एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का है उसकी तब्दीली की जरूरत है। इसके साथ-साथ यह भी अहसास है कि इसमें कोई ऐसी तब्दीली करें जिसकी वजह से जनता का जो अदालतों पर एतमाद है वह किसी किस्म से कम न हो बल्कि वह एतमाद बदस्तूर कायम रहे। उस तब्दीली की यह वजह है कि हमारे यहां जो मौजूदा सिस्टम है वह हमारे यहां पुराने जमाने से अंग्रेजों ने कायम किया हुआ था और उसीको काम में लाते जा रहे हैं। इसको पढ़े लिखे लोग कानूनदां लोग, और जिनका कानून से वास्ता पड़ता है वह तो इसको समझते हैं और एक हद तक क़दर करते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी जनता ने अभी तक न तो उसकी बारीकियों को और न उसकी टेक्निकलिटीज को अभी तक समझा है और न वह यह समझते हैं कि इसके जरिये से उनको वाकई इन्साफ या न्याय जिसकी तसवीर उनके दिमाग में रहती है वही हासिल हो सकती है। बल्कि समझा यह जा रहा है कि मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं एविडेंस ऐक्ट के मुताबिक जब तक गवाही बन्द कमरे में न ली जाय तब तक उसको अदालत मंजूर नहीं कर सकती है। वह कानून किसी का भी बनाया हुआ हो लेकिन उस पर अभी यह पाबन्दी आयद है। इसको जनता नहीं मानती है। बहरहाल अब इस बात की जरूरत है कि अगर हमको जरूरत हो तो कुछ ऐसी तब्दीली अपने कानून में करें जिनकी वजह से जनता अच्छी तरह से समझ सके हमको अपने यहां जनता को इस बात को बतलाने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि कानून में जो मुख्तलिफ किस्म की सख्तियां हैं इसकी कुछ वजह है और असलियत है और क्यों इनको इसमें रखा गया है और क्यों यह हमारे लिये लाजिमी हैं। इससे क्या फायदा है इस बात को बतलाने की जरूरत है। इस बात को समझकर ही हम तरक्की कर सकते हैं और अपने देश के अन्दर सच्चा न्याय कायम कर सकते हैं। इस फर्क को मिटाने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन इसके साथ साथ हमको बहुत फूंक-फूंक कर और समझकर कदम उठाना है। बहरहाल इसी ख्याल से कि किस्म की तब्दीली की जाय। वांचू कमेटी को

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

क़ायम किया गया और उससे रिपोर्ट मांगी गयी चुनान्चे उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है । उसकी बहुत सी सिफारिश ऐसी हैं कि जिनको हमने लागू कर दिया और जिनके ऊपर अमल होचुका है । मसलन् इस किस्म के हुक्कमात जारी किये हैं कि दफ्तरों में जो आफिसर हैं वह बराबर अपने दफ्तरों में जाकर ज्यादा से ज्यादा मुआयना करें और यह देखा करें कि उनके दफ्तर में किस तरह से काम हो रहा है । वहां पर किसी किस्म का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है । जमानत की दरख्वास्तों का जल्द फैसला किया जाय और मुकद्दमों को बढ़ाया न जाय । इसी तरह यह भी अहकामात जारी कर दिये गये हैं कि जहां तक हो सके गवाहों को जरूरत से ज्यादा दिन न बुलाया जाय और मुकद्दमे की बहस और फैसले के लिये लम्बी तारीखें रखीं जावें । ये कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिनसे अफसरान जल्दी और सहूलियत करके जनता को आसानी बहम पहुंचा सकते हैं । हमने सिविल और सेशन्स जजेज की तादाद भी बढ़ाई है, पहले मुंसिफ २०२ थे अब २१७ हैं, सिविल सेशन्स जज १५ के ४५ हो गये हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जजेज ३० से ३७ हो गये हैं । मुमकिन है कि हमको कुछ और डिस्ट्रिक्ट जजेज डिमांड के मुताबिक मुकर्रर करने हों । हमने सिविल लाज रिफार्म्स ऐंड अमेंडमेंट बिल हाउस के सामने पेश किया था जिसके जरिये हम तब्दीलियां करना चाहते हैं एवीडेंस ऐक्ट में, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, प्रांविशल स्माल काज कोर्ट, सिविल प्रोसीजर ऐक्ट और लिमिटेशन ऐक्ट वगैरह में । वह बिल सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो गया है और गालिबन इस भवन में आइन्दा तारीखों में ही आ जायगा । आपको मालूम है कि हमारे यहां कुछ अदालतों में जूरी और बाज में असेसर बैठते हैं । वांचू कमेटी ने भी यही कहा था कि जूरी सिस्टम हालांकि इतने दिनों से हमारे यहां चल रहा है लेकिन यह कामयाब नहीं रहा है । जूरी सिस्टम बगैर किसी कानून के मंसूख हो सकता था और उसे हमने खत्म कर दिया है ।

हायर जुडिशल सर्विस के रूल्स, यानी हमारे सिविल और सेशन्स जजेज की तनख्वाहें क्या होंगी और उनकी नौकरी की शरायत क्या होंगी, इस मामले को भी खत्म कर दिया गया है और रूल्स शाया होकर उनपर अमलदरामद भी हो रहा है ।

एक चीज जो मुझे पेश करनी है हाउस के सामने वह यह है कि हमने इस बात की भी कोशिश की है कि अजला में जिन अदालतों की इमारतों की हालत अच्छी नहीं है उन्हें फिर से बनाया जाय । चुनान्चे इसके मुताल्लिक आपको इस बजट में एक जगह नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर, कुछ रकमें मिलेंगी । चुनान्चे ग्रांट नं० ३० में, पब्लिक वर्क्स है, इसके मुताल्लिक आपको कुछ रकमें मिलेंगी और कुछ ग्रांट नं० ४५ आउटले आफ सिविल वर्क्स के सिलसिले में मिलेंगी । काफी रुपया हमने इस काम के लिये पारसाल भी रखा था और इस साल भी रख रहे हैं । गुजिश्ता साल में एक और तरमीम हुई है वह यह है कि जौनसार भावर और देहरादून के अजला में जो अदालतें हैं (रेवेन्यू व क्रिमिनल कोर्ट्स) दीवानी का काम करते थे । मुंसिफी अदालतें दीवानी अदालतें वहां नहीं थीं । इसके लिये एक कमेटी बैठी थी जिसके सभापति उपाध्यक्ष महोदय ही थे । उस कमेटी ने यह राय दी कि वहां इसी किस्म की अदालतें जैसी कि सूबे में और जगहों पर हैं, कायम की जायं । चुनान्चे इस पर अमल दरामद हो रहा है और जो पुराना सिस्टम है वह खत्म हो गया है । अब सिवाय टेहरी गढ़वाल और मिर्जापुर जिले के तैमूर रेंज के कुछ थोड़े से हिस्से को छोड़ कर तमाम सूबे में जुडीशियरी सिस्टम लागू कर दिया गयाहै । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस मांग को हाउस के सामने पेश करता हूं कि वह इसको स्वीकार करे ।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि कटमोशन के लिये २० मिनट का समय कर दिया जाय क्योंकि समय काफी है । इसके लिये दो घंटा रक्खा गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात जो मुझे माननीय मंत्री जी से कहनी है वह यह है कि इस विभाग की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आयी है जिससे हम पता नहीं लगा सकते कि कहां कहाँ और क्या क्या कार्यवाही हुई है। और यह जो वांचू कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने रक्खी गयी है, उनके १४२ रिकमेंडेशन्स में से किन किन पर कार्यवाही की गयी है, उसका भी पूरा पूरा विवरण माननीय मंत्री जी नहीं दे सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस है काफी पेंडिंग डिपार्टमेंट है। इससे हमें काफी रुपये की आमदनी होती है। जो वांचू कमेटी की रिपोर्ट है उसके १०१ पेज पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उस पर उन्होंने कहा है कि सन् ४७ में रेवेन्यू १,४८,२९,२५९ रुपया था और खर्च १,००,९३,००० रु० था और बाकी बचत रही ४७,३८,१८४ रुपया। इसी तरह से सन् ४८ में ५०,१४,९५२ रुपया बचत रही और ४९ में ५५,९७,८२० रुपये की बचत हुई। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हमें काफी आमदनी होती है। हमारे प्रांत की जनता इंसाफ पाने के लिये ही इतना रुपया देती है जब हमारी सरकार को इस विभाग से इतनी आमदनी है तो पता नहीं चलता कि सरकार ने जनता को क्या सुविधायें प्रदान की हैं। हमारी अदालतों की हालत यह है कि लिटीमेंट्स जब वहां जाते हैं, वहां उनके बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं है। दूसरी ओर यह सोचा जाता है कि हमारी हाईकोर्ट की ऐसी बड़ी इमारतें होनी चाहिये कि जिससे जनता को यह महसूस हो कि यह टेंपिल आफ जस्टिस है और यहां हमारे साथ इंसाफ होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले एक लिफ्ट थी। फिर तीन लिफ्ट्स लगायी गयीं उसके बाद १० का प्रपोजल हुआ गरमी के लिये वहां पर कूलर्स लगाये गये हैं। अब इन कमरों को ऐअर कंडीशन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। जहां पर हाईकोर्ट में इस तरह का ख़याल रक्खा है तो मैं चाहता हूं कि हमारे जिलों के कोर्ट्स में भी इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये। वांचू कमेटी की जो यह रिपोर्ट है उस पर वाल्यूम वन लिखा हुआ है। मुझे आशा थी कि वाल्यूम दो और तीन भी शायद निकले लेकिन अभी तक कोई वाल्यूम हमारे सामने नहीं आया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा इसको साफ कर दें।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह साफ कर देना चाहता हूं कि वाल्यूम टू में सिर्फ ऐवीडेंसेज हैं और कुछ नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सन् ५२ में यह रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई जिसको २ साल हो गये हैं लेकिन जो रिकमेंडेशन्स थे उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। कुछ रिकमेंडेशन्स ऐसे थे जिन पर गवर्नमेंट के आर्डर्स होने थे, और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में कानूनों में संशोधन होना था। सिविल लाज अमेंडमेंट बिल इस हाउस के सामने है जिसमें ७-८ क्लाज ऐसे हैं जिनको बदला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी हम बहुत दिनों से आशा कर रहे थे। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जुडीशियरी को ऐक्जीक्यूटिव से बिलकुल अलहदा कर दिया जाय। मद्रास और बाम्बे में यह लागू हो चुका है। वांचू कमेटी की भी यही सिफारिश है कि सेपरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम ऐक्जीक्यूटिव इज वेरी अर्सेन्शियल। उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है और जो लिबरटी हमें संविधान के द्वारा दी गई है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिये। जो जुडीशियरी हमारे यहां है अगर वह न होती तो आज हम जाने कहां होते। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जुडीशियरी को ऐक्जीक्यूटिव से अलहदा कर दिया जाय। ऐसा तो कर दिया जाय। ऐसा तो बहुत दिनों पहले ही हो जाता लेकिन इस सरकार को अपने पर ही भरोसा नहीं है। सरकार यह समझती है कि जनता का इसके ऊपर भरोसा नहीं है और इस प्रकार वह एक्जीक्यूटिव के जरिये से ही जनता को दबाये रख सकती है। इसीलिये वह एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी को अलहदा करने के लिये तैयार नहीं है। जहां तक हमारे जुडीशियल

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह का संबंध है, वह बहुत ही कम है। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बिलकुल भी कंट्रोल नहीं होना चाहिये क्यों कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जस्टिस करने वाले होते हैं इसलिये उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का किसी प्रकार का भी दबाव नहीं होना चाहिये तथा उनकी तनख्वाहें किसी प्रकार भी कम नहीं होनी चाहिये। आज उनकी तनख्वाह का स्टार्ट ३०० रुपये से होता है और हर दो साल पर २५ रु० तरक्की देकर ५०० रु० पर खत्म हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जुडिशयरी को एक्जीक्यूटिव से बिलकुल अलहदा किया जाय और सारे सूबे के अन्दर ऐसा किया जाय। अगर उनके पास मैजिस्ट्रेट्स कम हों तो सरकार दूसरे मैजिस्ट्रेटों से ही इस काम को ले और उनका ग्रेड वही होना चाहिये जो कि डिप्टी कलेक्टरों का होता है ताकि उनको आगे तरक्की करने का मौका मिल सके।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने बेल मंजूर करने की बात कही। आज हालत यह है कि आज हमारे जेलों में अन्डर ट्रायल भरे पड़े हैं और हमारे जेलों के अन्दर कैदियों के अधिक हवालाती हैं आज जरूरत इस बात की है कि इनवेस्टीगेशन का इन्तजाम ठीक से किया जाय। उसके लिये अलहदा से पुलिस अफसर होने चाहिये जो केसेज का ठीक से निरीक्षण करके सही रिपोर्ट दे सके। वांचू कमेटी ने इस बारे में लिखा है कि आज हाईकोर्ट में जो ज्यादा केसेज पेंडिंग पड़े हैं वे इसीलिये हैं कि हमारे यहां जजों की संख्या कम है। कंस्टीट्यूशन के मुताबिक हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में २४ जज होना बहुत आवश्यक है। इन जजेज के लिये तो इतना काम है कि वह ऐक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते। आज हमारे केसेज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़े हैं वे तब तक पूरे नहीं किये जा सकते जब तक कि उनके लिये अलग से जजेज न मुकर्रर किये जायं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन केसेज को डिसपोज आफ करने की बात सोचें। हाईकोर्ट के अन्दर २४ जज अवश्य ही रक्खे जायं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने जो ऐटीट्यूड इंडिपेंडेंस का दिखाया है, उस पर हमें गर्व है और हम जानते हैं कि आज हमारे प्रांत की जो गरीब जनता रहती है तथा जो अभी तक एक्जीक्यूटिव के चंगुल में फंसी हुई है, उसके चंगुल से बचने की अगर कोई आशा कर सकता है तो वह शायद हम अपने इस हाईकोर्ट के द्वारा ही देखते हैं।

हमें खुशी है कि हमारा हाईकोर्ट इस मामले में बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है? जब फैसला हो जाता है हाईकोर्ट का उसके खिलाफ तो सरकार अमेंडिंग बिल लाकर उस कानून को बदलने की कोशिश करती है। यह नहीं करती कि स्वयं उस गलती को मानकर उसको खत्म करने की कोशिश करे बल्कि अमेंडिंग बिल लाकर कानून को ही बदलने की कोशिश करती है।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जूरी ट्रायल के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है लेकिन हमारी वांचू कमेटी की रिपोर्ट में एक सजेशन यह भी दिया गया था कि असेसर्स का जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाय। यह तरीका बड़ा खर्चीला है। एक जज स्वयं अकेले बैठ कर फैसला कर ले। जब अंग्रेजी हुकूमत यहां थी तो अंग्रेज यहां के कस्टम्स यहां की भाषा नहीं समझ सकते थे इसलिये इस संस्था की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन वह बहुत कास्टली है। वांचू कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यह संस्था बहुत खर्चीली है और उसका खत्म हो जाना चाहिये। उसकी अब हमारे यहां बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद करप्शन की बात है। कचहरियों में हम सब देखते हैं कि इश्तिहारों में लिखा है कि घूस देना और लेना पाप है और उसमें सजा हो जायगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज भी अदालतों के अन्दर करप्शन बहुत है और बहुत बढ़ा हुआ है। मैं उसका कारण तो नहीं जानता कि क्यों बढ़ा है लेकिन है। वह कम नहीं हुआ है बराबर बढ़ता ही गया है। बावजूद हमारी सरकार के हिदायतों के डिस्ट्रक्ट कोर्ट्स में अब भी मैजिस्ट्रेट ठीक टाइम पर उपाध्यक्ष

महोदय नहीं आते हैं। उसका कारण यह है कि जब हमारे मन्त्रिगण जिलों में दौरों पर जाते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों का सारा समय इनके इन्तजाम में लग जाता है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे मिनिस्टर साहबान का जिलों में दौरों पर जाना आवश्यक नहीं है उन्हें जरूर जाना चाहिये लेकिन इसके माने यह नहीं है कि सारी डिस्ट्रिक्ट की मेशीनरी उनके दौरे का कार्य करती रहे। अब अप्रैल का महीना आ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, महीने में पन्द्रह पन्द्रह दिन तक मैजिस्ट्रेट कोई अदालत में नहीं बैठ सकता। कभी कोई मिनिस्टर साहब आयेंगे, कभी कोई मिनिस्टर साहब आयेंगे। मैं यह नहीं कहता कि वे न आयें बड़ा अच्छा है वे आयें लेकिन उनके इन्तजाम के लिये एक अलग मैजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया जाय ताकि वे मिनिस्टर्स साहबान भी तो मैजिस्ट्रेटों के कामों को देख सकें। तो मेरा सजेशन यह है कि एक बिलकुल अलग से मैजिस्ट्रेट टूर वगैरह के काम के लिये मुकर्रर कर दिया जाय ताकि वह उसका इन्तजाम देख ले और मैजिस्ट्रेट अपनी अदालतों में बैठें और जनता का कष्ट दूर करें इसका आज नतीजा क्या हुआ है कि कितने ही अपील के केसेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में पड़े हुये हैं जिनका फैसला वे नहीं कर पाये हैं।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी महत्व की बात यह है कि हमारे जिलों में जो गवर्नमेंट एडवोकेट बनाये जाते हैं। उनके सिलसिले में गवर्नमेंट की एक डेफिनिट पालिसी होनी चाहिये। सरकार यही फैसला कर ले कि यह पार्टी पोस्ट होगी तो फिर गवर्नमेंट कांग्रेस की है तो कांग्रेसमैन जो हों उसी को गवर्नमेंट ऐडवोकेट होना चाहिये। इस पालिसी को ऐक्सेप्ट कर लें तो भी अच्छा हो और अगर पार्टी पोस्ट नहीं करना चाहते तो फिर इस बात का ख्याल करना ही होगा कि किसके पास सबसे अधिक योग्यता उस पोस्ट के लिये है। होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर को आप ४० रुपया पर हियरिंग देते हैं लेकिन जो पैनल आफ लाइअर्स होते हैं उनको १६ रुपये पर हियरिंग देते हैं तो कोई भी सीनियर ऐडवोकेट उसके लिये आगे बढ़ना पसन्द नहीं करता जब वह जानता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर को ४० रुपये पर हियरिंग दिया जाता है औरों को १६। और इस तरह से कभी भी कोई सीनियर ऐडवोकेट वह काम करने के लिये खड़े होने को तैयार नहीं होगा।

इसके साथ ही साथ जब गवर्नमेंट ऐडवोकेट का ऐप्वाइंटमेंट होता है तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिकमेंडेशन मांगी जाती है और जब कोई झगड़ा होता है उन दोनों के रिकमेंडेशन्स में तो यह तय करना मुमकिन नहीं होता है लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रिकमेंडेन्शस को आप मानते हैं। तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज को फोर्स क्यों करते हैं कि वह अपनी रिकमेंडेशन दे जब उसकी बात नहीं मानना चाहते। उससे पूंछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लखनऊ का यही मामला पड़ा हुआ है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की और डिस्ट्रिक्ट जज की राय म अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं तो इस लिये अभी तक हमारी सरकार फैसला नहीं कर पाई है।

श्री सैयद अली जहीर—लखनऊ का कौन सा मामला है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—लखनऊ के मामले में अभी तक कोई फैसला [illegible] कर सके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज की रायें अलग-अलग हैं। [illegible] तरह से मेरठ का मामला है। मेरठ में एक जगह गवर्नमेंट ऐडवोकेट की जगह खाली हुई। मेरठ के जो असिस्टेंट गवर्नमेंट ऐडवोकेट हैं उनका भी नाम आया यहां और जो सीनियर पैनल आफ लायर्स में थे उनका भी नाम आया। जिस लायअर को डिस्ट्रिक्ट जज ने रिकमेंड किया था उनको नहीं लिया गया और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिकमेंड किया था वे ले लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आजकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस तरह से इनफ्लूएन्स्ड् हो जाते हैं, कोई भी एम० एल० ए० जाकर सिफारिश कर सकता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज एक ऐसा आफिसर है जिसको इनफ्लूएन्स करना जरा मुश्किल है। मेरठ के असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट जो थे उनके लिये डिस्ट्रिक्ट जज ने लिखा था कि वह गवर्नमेंट प्लीडर के लिये अनफिट हैं लेकिन दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि इनको गवर्नमेंट

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

प्लीडर रख देना चाहिये हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज उनको नहीं चाहते थे। इस लियेइस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की एक निर्धारित पालिसी होनी चाहिये कि आया जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी उस पार्टी का आदमी रखा जायगा या और कहीं से रखा जाय। अगर यही तय हो जाय कि पार्टी का आदमी रखा जायगा तो इसमें दो फायदे होंगे। एक फायदा तो यह है कि आजकल कांग्रेस की मेम्बरी का इनरोलमेंट हो रहा है इस लिये जिले में जितने लायर्स है वह सब कांग्रेस में भर्ती हो जायेंगे इस ख्याल से शायद फिर उनका भी नम्बर आ जाय। एक फायदा तो यह है और दूसरा फायदा यह है कि हमको भी कोई शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा क्योंकि जब दूसरी गवर्नमेंट कभी आयेगी तो वह अपने आदमी मुकर्रर कर लेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी एक स्पष्ट नीति निर्धारित करले क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट जज की राय मांगी जाती है तो फिर उसकी राय की कद्र होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं तो कैसे दूं क्योंकि वह कर तो कुछ रहे नहीं हैं। वांचू कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी हुई है उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दी थीं डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर कितने केसेज और कितनी अपीलें पड़ी हुई हैं उसे पूरा करने की ओर माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इसे पूरा करने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते थे कि रजिस्ट्रार्स को अगर मैजिस्ट्रीरियल पावर्स दी जाँय और उनसे अगर ठीक काम लेने की आशा की जाय तो इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें कुछ एलाउन्स दिया जाय [illegible] शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री नेकराम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष मैंने अपने माननीय मन्त्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना। अपने भाषण में उन्होंने यह कहा कि हमारा जो न्याय प्रशासन है उसमें बड़ी भारी तब्दीली की जरूरत है लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि ऐसी तब्दीली करने के लिये उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाये हैं या उठाने जा रहे हैं। उन्होंने केवल एक बात का जिक्र किया कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ इन्सट्रक्शन्स ईशू कर दिये हैं और उसी के अनुसार बिल पर विचार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँतक भ्रष्टाचार की बात आती है और जहाँ तक न्याय की बात आती है, देहातों की जनता आज भी त्राहि-त्राहि कर रही है और इस मंहगे न्याय के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। अदालतों में फैले हुये भ्रष्टाचार के लिए वहाँ के अफसरों के सामने वहां के पेशकार रिश्वत लेते हैं उसके संबंध में वाँचू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो सरकार की तरफ से इन्सट्रक्शन्स दिये गए हैं उनके सम्बन्ध में क्या हुआ? क्या सरकार ने कोई रिपोर्ट माँगी? और अगर माँगी तो उन कर्मचारियों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर जिनकी अदालतों में खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी चलती है उसका कौन जिम्मेदार है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने उनके कैरेक्टर रोल में क्या इंटरी की? एक तरफ कहा जाता है हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये तुले बैठे हैं और दूसरी तरफ जनता यह कहती है कि मंहगा न्याय है। जब जनता अदालतों में पहुंचती है और पांच बजे के क़रीब घड़ी की सुई पहुंचती है तो दो चार पाँच रुपया पेशकार को दे कर के तारीख डलवा दी जाती है। इस प्रकार बारबार तारीख बढ़ती रहती है और मुक़दमा मुल्तवी होता रहता है और इस प्रकार मुक़दमा मुल्तवी होने से वही होता है जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है "जस्टिस डिलेड ऐंड जस्टिस डिनाइड"। वास्तव में यह बात होती है कि मुक़दमा चलता रहता है और महीनों और सालों कोई फैसला नहीं हो पाता है। वर्षों की अपीलें पड़ी हुई हैं, गवाह या तो होस्टाइल हो जाते हैं या बहुत से गवाह मर जाते हैं या जो गवाह मौके की गवाही देना चाहते हैं उनके दिमाग से वह बातें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सालों के बाद खत्म हो जाती है। एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ किसान सौ सौ मील और ५०, ५० मील और २५, २५ मील चल करके आता है और शाम को निराश हो करके गांव लौटता है बल्कि लौट भी नहीं पाता है, शाम हो जाती है और रात में वहीं रहता है, फिर कहीं दौरे पर तारीख पड़ती है तो दौरे पर जाता है, उसके बाद फिर हेडक्वार्टर पर तारीख डाल दी जाती है और वह वहाँ आता है। आज अफसरों की यह मनोवृत्ति है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनकी कोशिशें कितनी ही अच्छी हों, कितना ही दिल से वह सुधार करना चाहते हों, लेकिन इन छोटे कर्मचारियों की नीयत जबतक ठीक नहीं होगी तबतक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक तरफ पुलिस मंत्री महोदय ने बताया कि क्राइम्स घट रहे हैं और रेवेन्यू मन्त्री जी ने बतलाया कि मुकदमें घट रहे हैं और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि मुकदमे फैसला नहीं होते हैं और स्टाफ बढ़ रहा है। आज माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि स्टाफ बढ़ा दिया है। अपीलें तीन तीन साल से पेंडिंग पड़ी हैं और केसेज दो दो चार चार साल से चलते रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सेशन में ट्रायल होता है कि लगातार मुकदमा चलता रहता है जब तक गवाही खत्म न हो जाय, उसी तरह से यहाँ भी शुरू कर दिया जाय। अगर कहीं मुकदमा मुल्तवी करना पड़े तो दैट रिपोर्ट मस्ट कम टू दी गवर्नमेंट ऐण्ड दी मिनिस्टर कंसर्न्ड।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के बारे में हम हमेशा विरोध कर[illegible] आज हम उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। जिस तरह से आज वह मुकदमें कर रहे हैं उसके बारे में रोज शिकायतें आती हैं।

मेरे जिले के जो गवर्नमेंट प्लीडर हैं उनके बारे में मुझे दो एक बातें अर्ज करनी हैं। एटा के एक गवर्नमेंट प्लीडर हैं। उनके वहां कुछ रिश्तेदार प्रैक्टिस करते हैं। वह चिट्ठी लिखते हैं कि मिस्टर रघू इस मुकदमें को तुम देख लेना और फिर जिस केस में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सजा देता है वह केस सेशन में छूट जाता है। उनकी दस्तखत की हुई चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। वहाँ के गवर्नमेंट प्लीडर चिट्ठी लिखते हैं, आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूं।

"My dear Ragghu,

Kishori is in trouble. Please advise him and do his work. He is my oldest client. You know he claims very friendly relations with me."

यह हालत है। यही नहीं एटा में एक रेवेन्यू आफिसर महोदय थे। उनको डाउटफुल इंटेगरिटी के लिए इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्हीं को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल नियुक्त कर लिया गया। जो रेवेन्यू आफिसर होने के योग्य नहीं था, उसका नामिनेशन लिस्ट में नाम आ जाता है और सन् ५३ में उसकी नियुक्ति असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल के पद पर हो जाती है। यह एक धांधली है। कांग्रेस सरकार को और मिनिस्टर महोदय को बदनाम करने के जिम्मेदार छोटे कर्मचारी हैं।

जुडीशल, मैजिस्ट्रेट्स की भी शिकायतें आती हैं। उनको परमानेंट करना बहुत जरूरी है और यह भी जरूरी है कि उनको जजों के मातहत कर दिया जाय। जब तक वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत रहेंगे तब तक न्याय ठीक तरह से नहीं हो सकता है और जो जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव के सेप्रेशन का सवाल है वह भी हल नहीं हो सकता है जबतक उन पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल रहेगा। उनके बारे में रिश्वत की शिकायतें आती हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम हैं, वे अभी टेम्पोरेरी हैं, वे समझते हैं कि पता नहीं निकाल दिये जायं। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि उनको डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत कर दिया जाय।

इसके साथ साथ जूरीज के बारे में भी हमारे मंत्री जी ने बतलाया कि जूरीज को खत्म कर दिया गया है। तो अभी एक रिपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की गवर्नमेंट आफ इंडिया को गई थी। उन्होंने कहा कि १०० में ९५ केसेज जूरीज की वर्डिक्ट बिल्कुल ठीक रही। तो

[श्री नेकराम शर्मा]

ऐसी हालत में तो इस चीज का एक्सपेरीमेन्ट करना चाहिये था। असेसर्स को लोग चाहते भी नहीं हैं लेकिन वे अभी तक मौजूद हैं। लोग चाहते नहीं, वारेंट निकलते हैं तब असेसरी के लिए मजबूरन आना पड़ता है।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने न्याय प्रशासन का अनुदान उपस्थित है। इसके सम्बन्ध में अभी हमारे मित्र नेकराम शर्मा जी ने कुछ आनरेरी आफिसर्स और स्टाइपेंडरी आफिसर्स के विषय में कहा। जहां तक मैं देखता हूं मैं कोई ज्यादा भेद आनरेरी आफिसर्स और स्टाइपेन्डरी आफ़िसर्स में नहीं पाता क्योंकि आनरेरी आफ़िसर्स में भी बहुत से खराब हैं और बहुत से अच्छे हैं और स्टाइपेंडरी आफ़िसर्स में भी बहुत से खराब हैं और बहुत से अच्छे हैं। तो यह तो जैसा हमारा वातावरण है, जैसी परिस्थिति में हम हैं या जैसा हमारा जनरल कैरेक्टर है, समाज का कैरेक्टर है, नेशन का कैरेक्टर है उसी प्रकार के हमारे आफिसर्स हैं। हाँ, कुछ शिकायत न्याय के देर से होने की है और यह शिकायत बहुत देर से है। हाई कोर्ट में ८-८, १०-१० साल से फ़र्स्ट अपील्स पड़ी हुई हैं, क्रिमिनल रेवीजन और अपील्स बहुत बड़ी तादाद में पड़ी रहती है। इसके अलावा अगर किसी फौज़दारी के मुक़दमें में दो, तीन, पाँच साल बाद सजा भी पाते हैं तो उसका जो असर होना चाहिये वह बाक़ी नहीं रहता। इसी तरह सिविल जजेज की हालत है। इसलिये कोई न कोई तरीक़ा आपको जल्दी से सोचना पड़ेगा, हाईकोर्ट को सोचना पड़ेगा जिससे मुक़दमें ज्यादा से ज्यादा एक साल के अन्दर फैसल हो जायं और जो न्याय परिपाटी है उसमें आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। जो मौजूदा न्याय की परिपाटी है उसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह पुरानी परिपाटी जैसी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है उसी तरीक़े से चल रही है, वही पुराने सिविल और क्रिमिनल लाज चल रहे हैं, उनमें तब्दीली करते हुये हम घबराते हैं। जहाँ तक लायर्स का सवाल है, एक किताब मैंने देखा उसमें भी यही लिखा है कि लायर्स चाहे कितने ही बड़े आदमी हों चाहे जितना ही क्रांति में हिस्सा लिया हो, जहाँ तक लाज की तब्दीली का संबंध है, इसके बारे में जब वे बातें करते हैं तो हमेशा पेसिमिस्टिक होते हैं, वे पीछे की तरफ जाते हैं, जो मौजूदा परिपाटी होती है उसमें तब्दीली करते हुये उनको एक भय सा लगता है। यही हालत आजकल हमारी हो रही है कि हम आजकल की परिपाटी के अन्दर कोई कमी नहीं करना चाहते हैं हमेशा याद रखिए कि रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा और जो भी क्रांति होती है उसमें रिस्क लेना पड़ता है और जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है और जो डरा करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि आपको न्याय की परिपाटी के अन्दर बहुत तेजी के साथ तब्दीली करनी चाहिये। जापान का न्याय का प्रशासन भी आपके सामने है, उसकी तरफ आप देखिये। वहाँ पर क्या होता है? मुश्किल से एक या दो दिन के अन्दर मुक़दमा खत्म हो जाता है। समरी लिखी गई और फिर जजमेंट दे दिया और उसके बाद अपीलेट कोर्ट होता है और उसी वक्त उससे पूंछ लेते हैं कि तुम्हें अपील करना है या नहीं। अगर अपील करनी होती है तो फाइल ऊपर भेज देते हैं और अगर जजेज को या अपीलेट जजेज को इस बात की जरूरत पड़ती है कि वे अपने सामने विटनेसेज के हाव भाव को देखें तो वह भी देखने का मौक़ा मिलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। इस प्रकार से आपको भी जो आपके यहाँ न्याय की परिपाटी है उसमें तब्दीली करनी चाहिये। अब यह समझ में नहीं आता है कि ट्रांसलेशन की परिपाटी अब भी क्यों जारी है जबकि हमारी हिन्दी भाषा हो गई है। हमारी लिपि देवनागरी हो गई है। हमारे देश की भाषा देवनागरी हो गई है और हमारा सब काम जब हिन्दी में होता है तो फिर यह चीज क्यों रखी जाती है और इस ट्रांसलेशन की अब क्या जरूरत है। इसमें महीनों और वर्षों लग जाते हैं और इसमें खर्चा भी बहुत होता है। इसलिये अपने यहाँ की न्याय की परिपाटी में इस तरह से तब्दीली की जानी चाहिये कि लोअर कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी न्याय हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्लियामेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो तब्दीली जरूरी थीं उनमें से कुछ को ले लिया है और वह उनके साम ` हैं मसलन असेसर की ट्रायल को खत्म करने के सवाल को मान लिया ह और भी कई बातें हैं जिनके होने से जनता को न्याय मिलेने में सहायता मिलेगी। यह चीज शुरू कर दी गई है। मैं आशा करता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी ऐक्ट के रूप में आ जायगा।

मैं सदन से दरखवास्त करूंगा कि आज हमें अजसरेनी अपने लाज को देखने की जरूरत है और जो हमारे पुराने लाज हैं उनमें हमें बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी दिलेरी के साथ चेंजेज करने की जरूरत है जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी और सस्ता न्याय मिल सके और लोगों को न्याय के अन्दर विश्वास पैदा हो। इस प्रकार से हमें काम करना चाहिये। श्री नेकराम जी शर्मा ने ठीक ही कहा है कि लोअर कोर्ट्स में मुक़दमें महीनों और वर्षों पड़े रहते हैं एक गवाह होता है और तारीख़ लग जाती है, फिर दूसरा गवाह होता है और तारीख लग जाती है फिर तीसरा गवाह होता है और फिर तारीख़ लग जाती है इस तरह से कभी कभी ८-८ गवाह होते हैं तो मुक़दमों में वर्षों लग जाते हैं और ग़रीब जनता परेशान होती है। अक्सर लोअर कोर्ट्स लायर्स की सहूलियत के लिहाज से तथा उनको फीस दिलाने की नियत से मुक़द्दमों को लम्बे खींच देते हैं।

मुझे याद है कि एक मैजिस्ट्रेट जो स्टीपेंडरी मैजिस्ट्रेट था। वह एक क्रांतिकारी था उसने मुकदमों को जल्द फैसला करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वहाँ की बार ने उसकी शिकायतें कीं कि यह तो हमारा काम ही खत्म किये दे रहे हैं, तारीख नहीं डालते हैं। वास्तव में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसको पुल किया और उससे कहा कि तुमको इस तरह के मुकदमों को जल्दी नहीं निबटाना चाहिये क्योंकि इससे लायर्स को नुक्सान पहुंचता है और उनकी शिकायतें हैं। इस तरह से इनमें हमारे लायर्स शामिल हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं और हमारी जनता भी शामिल है जो बड़े बड़े टैक्टिक्स अख्तियार करती है। इससे मुक़द्दमों में देरी होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें लाज में तब्दीली करनी है।

जहाँ तक सवाल रिश्वत का है वह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हमारा मारेल बढ़ेगा वैसे वैसे यह चीज हमारे बीच में से दूर होती चली जायगी। लेकिन मुक़द्दमों में जो देर होती है उसके लिये हमें अपनी न्याय परिपाटी पर ध्यान देना है और इस प्रकार की अपने न्याय की प्रणाली रखें जिससे मुक़द्दमों का जल्दी से जल्दी फैसला हो जाय। चीन में एक मुकदमा हुआ वहाँ पर शहादत वगैरह ली गई और दो दिन में फैसला हो गया और मुलजिम को फांसी की सजा दे दी गई और वहीं पर उसको दफना दिया गया। वहाँ इंसाफ हो गया और लोगों को भी विश्वास हो गया यह कहना कि हमारा डैमोक्रैटिक सिस्टम है इसमें देर होता ही है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका इससे क्या सम्बन्ध है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें अपनी न्याय प्रणाली में हिम्मत और दिलेरी के साथ तब्दीली करनी चाहिये।

† **श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने आनरेबिल मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं जो आपने यह अनुदान पेश किया है और उनको मुबारकबाद देता हूं। इसके बाद अपने विरोधी भाई श्री मदनमोहन जी ने व्याख्यान दिया। बहुत सी बातें वह कई बार कह चुके हैं, इसलिये इस चीज को दोहराना ठीक नहीं है। इसलिये मैं जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

मैं तो अपने चंद सुझाव पेश करूंगा। जो शिकायतें हैं वह ठीक हैं। इसे हाउस के मेम्बरान भी महसूस करते हैं, गवर्नमेंट भी महसूस करती है। खैर यह तय है कि अपनी न्याय प्रणाली में हमें आवश्यक सुधार करने चाहिये ताकि पैसा कम लगे और सही फैसला हो लेकिन प्रश्न है कि हो कैसे? मेरा सुझाव यह है कि एक सब कमेटी बनानी चाहिये जो इस पर गौर करे कि विधान में क्या क्या तरमीम की जाय जिससे फैसले में जल्दी हो। कभी कभी ऐसा

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मौका आता है कि कानून ही दिक्कत में डाल देता है, इसलिये डिले हो जाती है। यह कहना कि डिमाक्रैसी है, प्रजातंत्र है, लिहाजा हम लूटेंगे, तो डिमाक्रैसी तो पब्लिक की भलाई के लिये होती है। अगर उससे पब्लिक को भलाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा चेंज किया जायगा। "सर्व भूत हिते सत्यम', सत्य वही है जिससे सब का कल्याण हो। लेकिन जिस न्याय से कष्ट होता है, वह न्याय नहीं रहा।

मेरा एक सुझाव यह है कि हमारे मंत्री महोदय या और जिम्मेदार अफसर शक्ल बदल कर लोगों में घूमें। मैं अर्ज करता हूं कि श्री विचित्रनारायण शर्मा क्यू में जा कर खड़े होते हैं और बस में सफर करते हैं। अगर वहाँ काम अच्छा हुआ तो उसकी तारीफ की और अगर ग़लती हुई तो सजा दे देते हैं। न जाँच, न पड़ताल, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी प्रार्थना है कि पुराने जमाने के राजा लोग बेवकूफ नहीं थे जो शक्ल बदल कर घूमा करते थे और पता लगाया करते थे। मैं तो कहता हूं कि अगर मंत्री महोदय शक्ल बदल कर पता लगायें और क्लार्क की ग़लती हो तो बड़ा अफसर पकड़ा जाय। क्योंकि जब मैंने पकड़ा तो तुमने क्यों नहीं पकड़ा यह उनसे कहा जाय। शक्ल बदल कर जाँच की जाय और ग़लती मालूम होने पर सजा दी जाय।

दूसरी बात यह है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में बड़ी शिकायत है। सभी आनरेरी मैजिस्ट्रेट बुरे नहीं होते। अच्छे बुरे तो हर तबके में हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट हमें मिल सकें हमको उनसे फायदा उठाना चाहिये। मैं जानता हूं कि बहुत से सरकारी अफसर चाहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत करें। मैंने देखा है कि वह रिटायर होने वाले हैं और आनरेरी आप का काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ आफर हुआ और उन्हीं के पास दूसरी तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी का खत जाता है कि आप रिटायर होने वाले हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल हों, हम आपको पार्लियामेंट के लिये खड़ा करना चाहते हैं। तो इस तरह के आफर भी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अफसर कहे कि हम वर्क करना चाहते हैं और आप चाहते हैं काम कराना तो उनको काम में लगाइये, उनको यूज कीजिये लेकिन इस तरह नहीं कि हाईकोर्ट से लोग रिटायर हों तो आप उनसे रास्ते बनवाएं, सड़क बनवाएं और फावड़े चलवाएं। यह ग़लत है। "उम्र तो सारी कटी इश्के बुतों में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमाँ होंगे।" उनकी जिन्दगी कट गयी कलम घिस्ते घिस्ते, जजमेंट लिखते लिखते और आप उनसे चाहें खेत गोड़वाना तो वह उनसे नहीं होगा। उनको आनरेरी जज बना दीजिये। अगर हाईकोर्ट के जज रिटायर हो रहे हैं तो उनसे कहिये कि दो साल और अपना वक्त दे दीजिये और इन केसेज को मेहरबानी करके कर दें। तो जो आपके केसेज बक़ाया पड़ रहे हैं वह बिना पैसे फैसल हो जायंगे। जिस वक्त स्वराज्य नहीं हुआ था सरकारी अफसर कहते थे कि आधी पे मिले तो ब्रिटिश सरकार काम का छोड़ कर आप का काम करेंगे। एक अफसर की शिकायत होने पर सब का दिल तोड़ा जाता है, यह ग़लत है। इनमें अच्छे लोग भी हैं जो गरीबी की जिन्दगी बहस करते हैं। लड़के की शादी, बच्चे की फीस के लिये रुपये की जरूरत होती है और रुपया उनके सामने आफर होता है, लेकिन नहीं लेते हैं। तो जिनको सरकार समझे कि हमारा अफसर ईमानदार है तो उसको कहीं काम करने का मौका दिया जाय।

इस सिलसिले में यह भी अर्ज करना है कि कुछ वकील भी रखे जायं और जैसे फौजदारी के मुकदमें में सरकार हेल्प करती है, उसी तरह ऐसा वकील दिया जाय सरकार की तरफ से जो उनके केसेज को ले ले, पे सरकार दे और जब मुकदमें की डिग्री हो जाय तो सरकार फीस ले ले। बहुत से लोग ग़रीबी के कारण मुक़दमें नहीं लड़ सकते। अगर हमारी सरकार मेहरबानी करके हर जिले में कुछ वकील मुकर्रर कर दे जो कि गरीबों के मुक़दमों को लड़ें और डिग्री हो जाने के बाद फीस लें तो इसमें ग़रीबों को बहुत फायदा हो सकता है।

और यह भी मैं अर्ज करता हूं हुजूरवाला, कि जो अफसर हिन्दी जानने के बावजूद अंग्रेजी में जजमेंट लिखते ह, उनको वार्निंग दी जाय, हाईकोर्ट के जजों को बात छोड़िये मैं जिले की बात कह रहा हूं कि उनसे कहिये कि यदि आप हिन्दी जानने के बावजूद अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं तो अंग्रेज बहादुर तो इंग्लैंड चले गये, आप क्यों अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी हिन्दी का व्यवहार होगा वर्ना १५ वर्ष के बाद भी हिन्दी नहीं आ पायेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी से जल्दी हिन्दी व्यवहार में आ जायेगी और हुजूरवाला, घबराने की बात नहीं है। हमने तो वह दिन देखा है कि जब कपड़ा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, पर अब पग पग पर यह सब चीज मिलने लग गयी है। उनपर आपने कंट्रोल कर लिया है। तो उसी तरह से न्याय विभाग भी कंट्रोल में आ जायगा। अब तो गुलामी गई। अब यह भी ठीक हो जायगा।

श्री चन्दसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की मैं प्रस्तुत अनुदान के लिए बधाई देता हूं। बहुत सी बातें इस सदन में कही गई जिनके अन्दर काफी तथ्य हैं। मैं आगे और बात नहीं करना चाहता। केवल मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ५२ जिलों की अपीलें सुनी जाती हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जबकि लखनऊ में इलाहबाद हाईकोर्ट की एक बेंच बैठती है क्या कारण है कि पहाड़ के जिले, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ और लखनऊ तक जितने जिले आते हैं, इन जिलों की अपील लखनऊ में न सुनी जाय। मैं समझता हूं कि दूर दूर से जो लोग आते हैं और लखनऊ के स्टेशन से ही इलाहाबाद जाते हैं, उन लोगों को दुगुना किराया पड़ता है और दुगुना उनका खर्च होता है। जिले से भी वह अपने वकीलों को ले जाते हैं और उनपर भी उनका खर्च पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि लिटिगेंट पब्लिक को काफी सुविधा इस दिशा में दी जानी चाहिये और उनके रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिये। जबकि सस्ता न्याय लखनऊ में मिल सकता है तो क्यों बाकी रेल इत्यादि का ज्यादा खर्चा दे कर उनको इलाहाबाद जाने को मजबूर किया जाय। इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि बहुत जल्द इन जिलों की अपीलों को सुनने की व्यवस्था लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच में की जानी चाहिये। यह जनता के लिये बहुत फायदेमन्द होगा और इससे इस सरकार के ऊपर जनता का विश्वास और भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा।

दूसरी बात मैं अपने जिले की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उस जगह से आता हूं जो कि तिब्बत की बार्डर पर है और जहां की अदालतें पहाड़ की कन्दराओं के अन्दर ऐसे स्थानों पर हैं जहां बड़े बड़े अधिकारियों को जाने का कम मौका मिलता है। वहां की लिटिगेंट पब्लिक के मुकदमें जल्दी तय नहीं हो पाते। जब कभी दौरा होता है तो सारे के सारे अदालतों के अधिकारी मंत्री महोदय के पीछे जुलूस बनाकर चले जाते हैं और पब्लिक के मुकदमें पड़े रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो बहुत ही अनुचित बात है। अदालत छोड़कर मुकदमों को छोड़कर, लिटिगेंट पब्लिक को तकलीफ देकर और उनको नुकसान पहुंचाकर मंत्री महोदय के पीछे दौड़ना मैं समझता हूं कि यह तो मुल्क के साथ अन्याय है और यह न्याय के साथ घोर अन्याय है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि कोई भी अदालत का अधिकारी जोकि मुकदमों को करता हो, वह जनता के समय को जाया न करे। क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है उस लिटिगेंट पब्लिक की जेब से उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व है।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन अदालतों में आप जाकर देखिये। कभी सप्राइज विजिट करिये तो आपको मालूम होगा कि अधिकारी के आने का कोई समय नहीं है जबकि कानून के मुताबिक हर अधिकारी को १० बजे पंचुअली अदालत में आ जाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी हुकूमत में अदालतों में उतना डिसिपलिन और डिकोरम रहता था उस डिसिपलिन और डिकोरम का नामिनेशन कम से कम मेरे जिले में मिट चुका है। यह महान् दुख की बात है। हमारे अधिकारी ठीक वक्त पर अदालतों में जायें

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इसके लिए सर्कुलर जारी होना चाहिए और यह भी पूंछना चाहिए कि क्या वजह है कि इतनी लम्बी लम्बी तारीखें डाली जाती हैं। वकील लड़ते हैं और कई दिनों तक फैसले नहीं दिये जाते हैं। यह कैसे मुमकिन है कि आर्गूमेंट जिस दिन दिये जांय उस दिन फैसला न सुनाया जाय तो उनको कैसे उचित न्याय मिल सकता है? क्या अधिकारी खुदा हैं जो उनको हर बात याद रहे। बहुत सी चीजें तो नोट भी नहीं की जातीं। माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

चौथी बात जो मैंने अपने जिले में नोट की है वह यह है कि वहां इतनी अदालतें करदी गयी हैं कि उनके लिए काम ही नहीं है सब-रजिस्ट्रार्स को भी मैजिस्ट्रेसी की पावर्स दे दी गयी हैं। मैं समझता हूं कि इतनी अदालतों को रखना बेकार है जबकि काम का कोटा वहां कम है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी मैजिस्ट्रेसी की पावर्स दी गयी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। इसके फैक्टस मंगाए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह से जिलों के अन्दर बेकाम अफसरों को रखना उचित नहीं है। इतने आफिसरों को जिले में रखा जाय और उनके पास कोई काम न हो मैं समझता हूं कि यह पब्लिक एक्सचेकर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमारे जिले गढ़वाल के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जजी तो है लेकिन पौड़ी हेडक्वार्टर होते हुए भी वहां पर वह अभी तक शिफ्ट नहीं की गयी। इससे लिटिगेंट पब्लिक को बड़ा दुख है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के कारण वहां पर हर सुविधा है। वहां पर शिफ्ट करना सैंक्शन भी हो गया। वहां पर किराये के मकान की भी व्यवस्था भी की गयी। लेकिन अभी तक कोर्ट शिफ्ट नहीं की गयी। मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लिटिगेंट पब्लिक जोकि बहुत बड़े पैमाने पर सरकार को रेवेन्यू देती है और अदालतों में न्याय पाने के लिए कीमत अदा करती है तो क्या वजह है कि उसका वह हक सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि यह लिटिगेंट पब्लिक के साथ ज्यादती होगी अगर मैं इस सदन में उनके दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार से प्रार्थना न करूं। मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है।

†श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय सीताराम शुक्ल की तकरीर की सख्त मुखालिफत करता हूं और उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि इस खाक मुसलमां होने की उम्र में वह जजों को किताब लिखने के लिए सलाह दें। उनके अनुभव से सारा देश लाभ उठाये। उनका मुकदमा फैसल करते करते इतनी उम्र बीत गयी तो इस उम्र में उनको फैसला करने का आनरेरी मैजिस्ट्रेट के ओहदे पर दिया जाय यह बड़ी ओछी बात मालूम होती है। मैं माननीय शुक्ल जी से कहना चाहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने का जो लुत्फ है उससे बाज आयें तो अच्छा है। मैं तो यह पूरी तरह से कहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने की प्रथा बन्द होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब प्रजातंत्र आता है तो उसके साथ कुछ स्वाभाविक चीजें जन्मती हैं। उसमें से मैं समझता हूं कि एक बात तो है ही। मनुष्य आखिर मनुष्य है और मनुष्य को शक्ति मिलती है और पावर मिलने के बाद उसके भ्रष्ट होने की गुंजाइश रहती है। मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति इसके ऊपर है कि पावर होते हुए भी वह भ्रष्ट होने से बचा रह सकता है बिना किसी चेक के। मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ नहीं कभी। इस सरकार के बारे में मेरी यही धारणा है कि बेहतर यह है कि शासन जो हो उसके ऊपर कोई लगाम हो, शासन बेलगाम होकर जनता को पीसे नहीं। वह लगाम यह है कि शासन का असर न्याय विभाग से

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलग हो जाय। विधान निर्मात्री परिषद् ने कुछ हमारी राय से यह पास नहीं किया, आर्टिकल ५० में लिखा हुआ है कि हमारी एक्जिक्यूटिव जुडीशियरी से अलग होनी चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जजों की सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति की स्वीकृति से होती हैं। राष्ट्रपति भी तो इस सरकार का विश्वासपात्र है। तो उस राष्ट्रपति के ऊपर सरकार विश्वास करे और मैं समझता हूं कि केवल राष्ट्रपति के ऊपर ही विश्वास नहीं बल्कि जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, जो हमारी जुडीशियरी है उस पर भी उसी तरह से विश्वास करें जैसे कि वह सूबे के ५१ कलेक्टरों पर करती है और यह समझती है कि ये शासन के खम्भे हैं। अगर ऐसा सरकार करेगी तो मेरी तो यह धारणा है कि इस मुल्क का भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में कुछ अच्छे लोगों की राय है कि व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रताएं दबायी जा रही हैं। अभी एंथानी साहब जो आल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसियेशन के प्रेसीडेंट हैं उन्होंने पिछली दस फरवरी को बम्बई में कहा कि प्रेस ऐक्ट पास होने के बाद आज देश में सिविल और पर्सनल लिबर्टी पर सरकार धीरे धीरे अधिकार करती जा रही है। एक्जिक्यूटिव उसको छीन लेना चाहती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि इसको छीन कर सरकार अपना ही नुकसान करेगी।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अंडरट्रायल की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या उन्होंने कभी इस बात को देखा है कि मुल्जिमों की तारीखें पड़ा करती हैं उस दिन वे हाजिर किये जाते हैं। वे कभी हाजिर नहीं किये जाते। साल, डेढ़ साल और वे मुलाजिमान हवालातों में पड़े रहते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाते, इसलिए मैजिस्ट्रेट की निगाह उनपर नहीं पड़ती। यह क्या पर्सनल लिबर्टी को छीनना नहीं है। हो सकता है कि वह आदमी छूट जाय और उसके ऊपर मुकदमा साबित न हो। एक आदमी मामूली से जुर्म में जेलखाने में रहता है और साल डेढ़ डेढ़ साल जेलखाने में सड़ता है। तो उनकी पर्सनल लिबर्टी को छीनना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार केवल इतना ही कर दे कि जितने भी लोग अन्डर ट्रायल्स को भी ठीक समय पर अदालत में पहुंचादें तो यह बड़ा भारी काम होगा।

मैं एक आध सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव ऐसे हैं कि जिनकी तरफ माननीय न्याय मंत्री का ध्यान भी है। देवरिया जिले में कुशीनगर में जजी के लिये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। उनसे इस बात की दरख्वास्त करने में कि वहां पर जजी हो वहां के सभी लोगों की राय है चाहे वह कांग्रेस के हों या हम हों। तो मंत्री जी इस बात पर गौर करें और इस बात पर फैसला करें कि वहां पर जजी हो। लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है तो उनको बहुत लाभ होगा।

आखिर में मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार बम्बई की तरह से सोचें मद्रास की तरह से नहीं कि जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग करने में संकोच न करे। जो डाइरेक्ट प्रिन्सिपल हमारी विधान निर्मात्री परिषद् ने स्वीकार किया है उसको पूरा करने में हमारी सरकार आगे बढ़े। तो सरकार दूसरों के लिये आदर्श बन सकती है तो फिर बम्बई और मद्रास की सरकार से पीछे रहना इस सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

†**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वजीर इन्साफ को मुतवज्जह करना चाहता हूं कि वह बातें जो उन्होंने शुरू में बतलायीं उनके लिये मैंने देखा कि चारों तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुकदमों का फैसला जल्दी

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी]

किया जाय । यह सही है लेकिन ऐसा न हो कि सबूत भी न लिया जाय और जो जरूरी कार्यवाही है वह भी न हो और सिर्फ जल्दी की वजह से उलटा सीधा फैसला कर दिया जाय । इस तरीके से नहीं करना है बल्कि यह बात भी काबिले लिहाज होनी चाहिए कि जो अदालतें जिनके यहां हजारों मुकदमें फैसले के लिये पड़े रहते हैं अगर किसी फरीक को कोई मुश्किल पड़ जाय तो सुनवाई नहीं करती हैं । कोई भी फरीक एक लहमें के लिये भी अपना मुकदमा टालने के लिये तैयार नहीं हो सकता है । जहां तक इन्साफ का सवाल है इस पर आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से जो हालत थी उसकी तरफ बराबर तवज्जह दिलायी गयी । गांधी जी जिस वक्त अब से करीब बीस साल पहले इलाहाबाद में जब आये थे तभी यह कहा गया था कि इन्साफ की कीमत कम होनी चाहिये । मैं तो यह समझता हूं कि अगर एक परसेंट भी इसपर अमल कर लिया जाय तो हमारे वजीर साहब मुबारक-बाद के मुस्तहक हो सकते हैं । इन्साफ जहां तक भी हो मुफ्त मिलना चाहिये । गरीब आदमी को अगर पैसा खर्च न करना पड़े और उसको इंसाफ मिल जाय तो यह बहुत वजनी बात होगी । वजीर साहब ने जितने भी कानून के दायरे बतलाये उसके अन्दर फंसने के बाद बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है और बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और कम से कम इन्साफ उसको मिलता है । यह वाकया है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । मैं आपसे अर्ज करूं कि यू० पी० के अन्दर मेरा तजुर्बा है कि ज्यादा से ज्यादा शिकायत लोगों को इस तरह की है । मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उनमें बहुत इन्साफ के लिये हजारों मुकदमें पड़े रहते हैं और बहुत देर में फैसला करते हैं । जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि अदालतों में, वजीर साहब ने फरमाया कि हुकुम भेज दिया है कि ठीक वक्त पर वह अदालत में आया करें और जल्दी फैसला करें । तो यह चीज जरूर हो लेकिन उल्टा सीधा फैसला करना या बिला वजह किसी को परेशान करना सही नहीं है ।

जहां तक जबान का ताल्लुक है कि अंग्रेजी को खत्म करने उसकी जगह हिन्दी को आना चाहिये मेरे ख्याल में इसमें दो राय नहीं हो सकती । लेकिन अदालतों के अन्दर कानून के मामलों में लाखों किताबें हिन्दुस्तान में मौजूद हैं जो अभी तक हमारी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अंग्रेजी में मौजूद हैं । तो हमको उन किताबों को आंखें मूंद कर छोड़ देना किसी तरीके से भी हिन्दुस्तान के लिये फायदेमन्द साबित नहीं होगा । इब्तदाई कोर्ट में पूरी फीस देना होती है और उसके बाद हाईकोर्ट में सेकिंड अपील में जाने पर पूरी कोर्टफीस लगा कर हम दरख्वास्त दे सकते हैं । जज साहेब की समझ में आया और चाहा तो १ मिनट में ९०,९० हजार की अपीलें रिजैक्ट कर दी गयी हैं । यह मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी अगर आप इसमें गौर करने का हुकुम दे दें । यह मैं आपको बतलाता हूं कि अगर गवर्नमेंट खून भी जनता का निचोड़ ले, लेकिन कभी भी वह नहीं कहेगी कि मेरी झोली भर गयी है । फकीर और गवर्नमेंट कभी नहीं कहते कि हमारी झोली भरी हुयी है । इसलिये आपको रुपया और कामों से बचाकर इसमें लगाना होगा । ऐसा हुकुम आप दे दें कि पहले आधी कोर्ट फीस लगाकर दाखिल अपील हो सके और फिर दाखिल होने पर आधी बकिया फीस दे दी जाय । फौजदारी और दीवानी दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिये । फौजदारी में जल्दी की हिदायत आप जारी कर सकते हैं । दीवानी में यह मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उनको कागजात जमा करने होते हैं और नकलें वगैरह लेनी होती हैं । हमारे वजीरे इंसाफ खुद एक कामयाब वकील रह चुके हैं । वह खुद भी जानते होंगे कि वकील लोग इलतवा के लिए दरख्वास्त देते हैं तो दूसरे हाथ में मुट्ठी बन्द होती है और जब पेशकार को रिश्वत मिल जाती है तो काम होता है । यह रिश्वत बन्द होनी चाहिये । दूसरे, अगर आप यह हुकुम जारी कर दें कि जितनी दरख्वास्तें अदालतों में दी जाती हैं उनकी नकल एक फरीक दूसरे फरीक को दे, तो इससे भी बहुत रिश्वत और तवालत बच जायगी ।

*श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)––अध्यक्ष महोदय, कटमोशन के सिलसिले में जो तकरीरें हुयी हैं उनमें दो तरह के एतराजात किये गये हैं। एक तो यह कि हमारा मौजूदा सिस्टम ग़लत है। हमारी सरकार ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था कि जो तरीका अंग्रेज छोड़ गया था उसमें जरूर खराबी है, यानी यह कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलहदा होनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने वांचू कमेटी बनायी, जिसकी निहायत मेहनत और जांफिशानी के साथ तैयार की हुयी रिपोर्ट हमारे सामने आयी। मैंने उसमें देखा है कि कुछ सिफारिशात तो ऐसी हैं जिन पर फौरी तौर पर अमल हो सकता है और दूसरी ऐसी हैं जिनके लिये काफी वक्त की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को यह भी देखना है कि हमारी फाइनेंशल पोजीशन कहां तक इस बात के लिये मदद करती है कि हम उन सिफारिशात पर अमल कर सकें। जहां तक फौरी तजवीज का ताल्लुक है। मैं समझता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने इस बात को वाजय कर दिया है कि फौरी तजावीज को अख्तियार कर लिया गया है और मुख्तलिफ कोर्ट्स को मुख्तलिफ हिदायत दे दी गयी हैं। जहां तक जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा करने की बात है उसके भी इन्तजामात किये जा रहे हैं। जहां जहां मुकदमात ज्यादा देरीना हो गये हैं वहां वहां के लिये हिदायत जारी कर दिये गये हैं। जहां जहां कोर्ट्स की कमी थी या कोर्ट्स कायम नहीं थे वहां वहां नये मुंसिफों के तकुर्रात किये जा रहे हैं। जहां जहां ज्यादा मुकदमात पड़े हुए थे वहां वहां बहुत से जज साहबान मुकर्रर किये गये हैं। वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश है उसमें इस किस्म की जरूरियात बतलायी गयी हैं कि जबतक हम मुतालिकीन कानून में कोई तरमीम न करें उससे पहले हम कोई काम नहीं कर सकते हैं सरकार के सामने एक कमेटी बैठी हुयी थी उसने चन्द कानूनों में तरमीमात करने के लिए सजेशन्स दिये हैं। उन तरमीमों के बाद वांचू कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामत हो जायगा। माननीय मन्त्री जी की तवज्जह मैं इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि बाज मर्तबा हाईकोर्ट इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम स्टाफ में कमी करें, जल्दी में ऐसी तजावीज ले आते हैं कि किसी खास मुन्सिफी को कम कर दिया जाय। मैं इस सिलसिले में मंत्री जी की तवज्जह अमरोहा की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके लिए यह सिफारिश की गयी है कि उसको एबालिश कर दिया जाय क्योंकि वहां काम बहुत कम है। लेकिन होता ऐसा है कि कोई आफीसर तो जल्दी से काम करता है और कोई धीरे धीरे काम करता है। अमरोहा की मुंसिफी में पुराने तजुर्बेकार मुंसिफों ने मेहनत से जल्दी काम करके मुकदमों को निबटाने की कोशिश की, यही वजह है कि पुराने मुकदमों की तादाद वहां कम है और बादिउलनजरी में वहां कम मुकदमे होते हैं, लेकिन वाकया यह है कि वहां काफी मुकदमे होते हैं और वहां के मुंसिफ निहायत तेजी से काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस ओर मबजूल कराना चाहता हूं कि अमरोहा की मुंसिफी को कम न किया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर तवज्जह फरमायेंगे।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब माननीय गेंदासिंह जी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि वह अपना भाषण विलायत में दे रहे हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जिस प्रकार से ऊंचे सिद्धांतों की बात न्याय प्रणाली के विषय में वे इस सदन में कह रहे थे मानो कि वह एक सैकड़ों वर्ष से आजाद मुल्क में बोल रहे हों। मैं तो उनसे यह उम्मीद करता था कि आज वे इस न्याय के बजट के समय भाग करते वक्त किसानों की दिक्कतों और तकलीफों को बयान करते जो उनको इस न्याय प्रणाली के कारण उठानी पड़ रही हैं। अध्यक्ष

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

महोदय, उन्हें तो केवल यही कहने के लिये मिला और सिर्फ इसलिये कि सरकार पर कुछ छींटाकशी करने को मिल जाय, वैयक्तिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज व पर्सनल लिबर्टी की खातिर । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या यह मुनासिब नहीं था कि वे सरकार का ध्यान उन सैकड़ों सुधारों की ओर आकर्षित करते जो हमारे हिन्दुस्तान में होना बाकी हैं तो बजाय उसके दिखावे के भाषण और सिद्धान्तों की उड़ान से गरीबों को किस प्रकार से सहारा और सही रास्ता मिल सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों से देखा है और समझा है तथा इस बात को दिल में महसूस किया है कि आज किसान मारे मारे फिरते हैं और केवल इन्हीं सिद्धान्तों के कारण जिसका कि मैं अभी आपके द्वारा दो एक उदाहरण दूंगा और उससे किसी प्रकार को कोई राहत नहीं मिलती है । उदाहरण के लिये जैसे इस समय फसल का वर्ष है, कोई आदमी जो किसानों को तंग करना चाहता है, आकर दिवानी के अन्दर मुकदमा दायर कर दिया और दीवानी अदालत में जो बैठता है उससे वकील साहब ने जाकर अपने तरीके से कुछ बातचीत की और उस फसल के लिये इंटरिम इंजेक्शन इश्यू हो गया । खड़ी हुई फसल, तैयार फसल को एक चपरासी ने जाकर रोक दिया और वह किसान का सारा परिवार वर्षों के लिये भूखों मर जाता है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारे माननीय मंत्री जो इस बात का पता लगाने की फिक्र करें तो केवल इसी न्याय प्रणाली पर आज हजारों किसानों के घर बेदाने के होते जा रहे हैं । मजबूरन उसे कुछ नहीं मिलता है । अदालत का मामला ठहरा, कोई जबान भी नहीं खोल सकता और जबान अगर खोले भी तो मालूम नहीं क्या हो सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदा सिंह का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कहा क्या यह सब नहीं है कि आज इन अदालतों के अन्दर ऐसे इन्सान बैठते हैं जिनका जमीन और खेतों से कभी कोई मतलब नहीं रहा और न पुश्त दरपुश्त कोई मतलब था ? जब कि वे आज केवल किताबों को पढ़कर, शाम को पतलून पहने हुए टेनिस बाल लेकर खेलने के बाद हंसते हुए मजाक में किसानों की वर्षों की कमाई मिनटों में लुटा देते हैं । ये अदालतें आज हमारे यहां मौजूद हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि भूल जायं थोड़ी देर के लिये इस बात को कि एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलग करना है । जब मुल्क में ऐसा मौका आयेगा तब तो सेपरेशन हो ही जायगा । लेकिन आज इस नयी मिली हुई स्वतंत्रता में हमें सुधारों की स्थापना करनी है तो क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि इस न्याय प्रणाली को थोड़े दिनों के लिये रोक दिया जाय और एक्जीक्यूटिव तरीके से ही इस मामले को तय किया जाय ? अगर चीन के अन्दर कार्यकर्ताओं द्वारा जमीन का मामला हल किया जा सकता है तो क्या यह बात ठीक नहीं होगी कि इस देश में जो नयी भूमि व्यवस्था कायम की जा रही है उसका प्रचार एक्जीक्यूटिव के द्वारा यहां करा सकें ? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह भी इत्तिला है और यह पता है कि जिस सन् १३५९ फसली में कब्जे के ऊपर शोरगुल मचा था और जिसकी मैंने इस सदन में तारीफ की थी और विरोधी दल के सदस्यों ने तारीफ की थी । सेक्शन ४ में जो कुछ भी किसानों को मिल चुका है उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उसके द्वारा किसानों को कब्जा दिलाया जायगा और हम आशा करते थे कि दीवानी अदालतों में भी इसका खयाल किया जायगा लेकिन जहां तक मुझे पता है जो कुछ भी सेक्शन ४ में फसली सन् १३५९ के जरिये किसानों को मिला है दीवानी अदालतों में उसका मजाक उड़ाया जाता है और जो कुछ भी अधिकार किसानों को मिला हुआ है वह भी छिनता चला जा रहा है । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब वक्त आ गया है जब कि वे इसपर गम्भीरता के साथ सोचें । आज हमें सोचना यह है कि इस देश में न्याय बहुत महंगा है और वह बहुत देर में मिलता है और जो कुछ मिलता भी है वह बिगड़ कर मिलता है । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि गरीब आदमियों को तो कोई इंसाफ इस सिविल कोर्ट से नहीं मिलता है । तीन, चार और पांच पांच वर्ष तक मुकद्दमें चलते रहते हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान के

पास दो तीन बीघे या पांच बीघे खेत हो और अगर कोई पुराना जमींदार, लठैत या ज्यादा पैसे वाला उसे तंग करने लगे तो मजबूर होकर या तो उसे अपना मुकदमा ही उठा लेना पड़ता है या सुलह करके खर्च और कुर्की से बचने के लिये फिक्रमन्द होना पड़ता है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो ऊंचे ऊंचे सिद्धान्तों की बातें हैं उनको छोड़ दीजिये और हमारे प्रान्त को इन पतलूनबाज मैजिस्ट्रेटों, मुंसिफों, जजों और वकीलों के पंजे से बचाने की कृपा कीजिये ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष आज उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी समझता हूं कि जितना रुपया इस अनुदान में मांगा है वह बहुत नाकाफी है । वह इसलिये कि जहांपर उन्होंने यह जिक्र किया है कि किस ढंगसे न्याय की दिक्कतों को वह दूर करना चाहते हैं, किस तरह से यहां की जनता जो प्रचलित न्याय का ढंग है उससे न्याय नहीं पाती है । उसको ठीक करने के लिये एक बड़ी रकम की नितान्त आवश्यकता है । उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय की इमारतों को ठीक तथा व्यवस्थित करने के वास्ते उन्होंने प्रस्तुत अनुदान में कुछ रुपया रखा है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् १९४५ में लोकल गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के द्वारा एक जेनरल लेटर तमाम जिले की दीवानी कचहरियों के जजों की सेवा में भेजा था और उसमें यह जिक्र किया गया था कि जितनी दीवानी की कचहरियां हैं, उनमें कहां कहां इमारत के सिलसिले में खराबियां है, उनकी क्या क्या आवश्यकतायें है लिखकर भेज दें । मैं बस्ती जिले का निवासी हूं वहां जब फुलफलेज्ड जजी नहीं थी तो वहां जिला सिविल कोर्ट्स एक लम्बी जेल की बैरेक जैसी खपड़ैल की छत से बनी हुई इमारत थी । उसी अवस्था में वह आजकल भी है जबकि वहां फुलफलेज्ड जजी है और उनके सबार्डिनेट आफिसर्स भी वहां रहते हैं । सन् १९४५ में श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद जी जो सौभाग्य से हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं । बस्ती में उस वक्त सौभाग्य से जज थे । उन्होंने २,०५,१५८ रुपये का तखमीना लगाकर बस्ती की जिला दीवानी अदालत की इमारत को बनवाने के लिये एक मसविदा अथवा प्लान भेजा था । उसके बाद सन् १९४९ में जस्टिस वलीउल्लाह साहब ने भी अपने जांच नोट में लिखा था कि बस्ती में जो जिला दीवानी अदालत की इमारत है वह डिप्लोरेबुल कंडीशन में है और वहां के रिकार्ड्स बरसात में खपड़ैल की छत के टपकते रहने से खराब हो जाते हैं और उनके नष्ट हो जाने का भी अंदेशा है । यह सही है कि इस बजट में सरकार ने कुछ रुपया ऐसी इमारतों को सुधारने के लिये रखा है लेकिन वह बहुत नाकाफी है और उसमें बस्ती का दुर्भाग्यवश नाम भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बस्ती जजी की इमारत को बढ़ाने और बनाने के लिये जितने सम्भव साधन हों उनको जुटाने में शीघ्रातिशीघ्र उद्यत हों। यह और भी आवश्यक इसलिये है कि उसी संकुचित इमारत में खलीलाबाद मुंसफी भी जोड़ दी गयी है । इसके ही साथ लाइअर्स (वकीलों) के ठहरने, विश्राम के लिये भी जरूरत है । दुख है कि लिटीगेंट्स (मुवक्किलों) के ठहरने के लिये कोई समुचित जगह नहीं है । अतः जो अनुदान न्याय सम्बन्धी इस वक्त पेश है उसमें से कुछ रकम निकाल कर बस्ती की जजी की इमारत को देने की कृपा करें । आइंदा के लिये भी यदि कुछ काम बाकी रह जावे तो उनको विचारना है कि किस तरीके से इतने बड़े जिले की जो खासी आमदनी अपने रेवेन्यू से सरकारी कोष में देता है उसकी दीवानी अदालत को दुरुस्त करना है । टैक्स लगाकर जैसे और अच्छे कामों में सरकार खर्च करती है उसी तरीके से बस्ती जजी की इमारत की तामीर में सरकार को अवश्य मदद करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात गौरतलब और है कि इस सदन में सर्व समाज के स्तर की बात कह दी जाती है कि समाज ही हमारा ऐसा है कि जिसकी वजह से जो बुराइयां अदालतों में फैली हुई हैं वह मुश्किल से रोकी जा सकी हैं । उन्हें समाज की खराबी से रोक नहीं पाते हैं, लेकिन यह आश्चर्य की बात है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्रान्तिकारी परिवर्तन के बजाय वे फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं । लेकिन यह संतोष की बात नहीं है इन बड़े बड़े अफसरों के

[श्री रामकुमार शास्त्री]

नाक के नीचे, खेद है कि भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला हुआ है और वे उसको हटाने में एकदम सफलीभूत नहीं हो पा रहे हैं । अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे कि उनका पेशकार रिश्वत न ले जुडिशियल आफिसर चाहे कि उसका अहलकार जो है वह रिश्वत न ले या दीवानी अदालत जिसकी बहुत प्रशंसा है और सत्य है अगर वहां का जज चाहे कि उसका अहलकार रिश्वत न ले तो कैसे रिश्वतखोरी रह सकती है । क्या आज इस बात की शिकायत नहीं है कि इन अदालतों में भ्रष्टाचार है रिश्वतखोरी का बाजार गरम है । अध्यक्ष महोदय, प्रचलित भ्रष्टाचार के लिये यह कह करके मौन रहना कि चूंकि समाज की स्थिति बिगड़ी हुई है इसलिये हम उसको सम्हाल अथवा रोक नहीं सकते हैं, यह एक बड़ी निन्दाजनक बात मालूम होती है । इसलिये हम माननीय मन्त्री जी से चाहते हैं कि वह इस प्रकार का कोई बहाना न करें क्योंकि अब यह सरकार जनतन्त्र सरकार है इसलिये कोई भी ऐसे बहाने को सहज में मानने के लिये तैयार नहीं होगा । जनता अब इस बात को कदापि मान नहीं सकती है चाहे नाना प्रकार की दिक्कतें कितनी ही क्यों न हों कि भ्रष्टाचार आगे बढ़ता जाय । हम इस प्रदेश की गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक सिद्धान्त पर चलाना है । अतः माननीय मन्त्री जी यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकते हैं कि हम ने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा के ढंग पर प्राप्त की है न कि रक्तपात क्रान्ति से । इसलिये हमारी प्रगति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी । इससे काम हर्गिज हर्गिज नहीं चलेगा । दुख है कि हमारे यहां का न्याय ऊंचे ढंग का और सरल नहीं रहा बल्कि वह न्याय महंगा ही होता चला जा रहा है । अब हमें उसमें क्रान्तिकारी सुधार करना परमावश्यक है ।

*श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । "Judiciary is guardian of citizen s rights and custodian of public right" अगर हम इस चीज को देखें और जिस तरीके पर हमारे प्रदेश में न्याय किया जा रहा है उससे तुलना करें और कांस्टीट्यूशन की तरफ भी देखें तो जमीन आसमान का फर्क मिलता है । हम आज कोई भी मुकदमा जब दाखिल करते हैं तो हमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है और अपील जब हम करते हैं तो पहली अपील जब होती है तब भी और जब दूसरी अपील होती है तब भी हम कोर्ट फीस देते हैं । इसके अलावा हम यह देखते हैं कि मुद्दई और मुद्दालय दोनों की हालत बड़ी खराब हो जाती है जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में जब हमारा देश गुलाम था और जिस तरीके से वह हमें चूसते थे वही प्रथा आज भी कायम है । हमें याद आता है अध्यक्ष महोदय कि दो बिल्लियां एक बंदर के यहां कुछ रोटियों के झगड़े के निबटारे के लिये गई थीं । तो बंदर सारी रोटियां खा गया और जो बचीं उनके लिये कहा कि यह हमारी फीस है, उसी तरह की चीज आज हम अदालतों में पाते हैं । हमें अफसोस है अध्यक्ष महोदय, जब हम इंगलैंड की तरफ देखते हैं कि वहां पर तो फ्री जस्टिस दी जाती है लेकिन वह अंग्रेज जोकि यहां शासन कर रहे थे उन्होंने यहां कोर्ट फीस लगाई थी, हालांकि आज अंग्रेजी शासन नहीं है फिर भी वह प्रथा हमारे यहां जारी है । हम तो यह उम्मीद करते थे कि हमारे देश में भी जब स्वतंत्रता आयेगी तब हमें फ्री जस्टिस मिलेगी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वह न्याय मंहगा होता जा रहा है । अभी तक जब दफा ६४ के मुकदमें रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते थे तो ८ आने फीस ली जाती थी, लेकिन आज जब कि सिविल कोर्ट्स को पावर दे दी गई हैं तो हम देखते हैं कि डेक्लेरेटरी सूट्स के नाम से वे सिविल केसेज को दाखिल करते हैं । और १८ रु० १२ आने फीस देनी पड़ती है । इस तरह से अध्यक्ष महोदय, आप सोचें कि एक किसान जिसकी भलाई के लिये रेवेन्यू कोर्ट्स की पावर खींचकर सिविल कोर्ट्स में भेजी गई है उससे हम कितना न्याय दे सके हैं । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, न्याय आज इतना महंगा हो गया है वह जितनी हमें कोर्ट फीस मिली है उसी से जान सकते हैं । १३५९ फसली में दफा ४ के मुताल्लिक जितने डिस्प्यूटस थे उनके लिये कहा गया था कि हाकिम परगना मौके पर जायेंगे और देखेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और जिन लोगों के नाम कब्जा बहुत दिनों से चला आ रहा है लेकिन अगर पटवारी के कागजात में इन्ट्री नहीं होगी तो इंक्वाइरी करके अपना फैसला देंगे और उन्हीं के नाम से इन्दराज हो जायगें। लेकिन आज देखा जाता है कि परिणाम बिल्कुल उल्टा हो रहा है । एस० डी० ओ० मौके पर जाता है । एक फस्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से हम यह उम्मीद नहीं करते कि वह किसी तरह का करप्शन करेगा या अन्याय करने की कोशिश करेगा । यह सब होते हुए आखिर में होता यह है कि पटवारी का जो पुराना इन्दराज होता है वही जारी रहता है । यह एक अनोखी चीज चल रही है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत नुकसान है । हमारे देश का किसान यह उम्मीद कर रहा था कि जब हाकिम परगना मौके पर जायगा तो न्याय मिलेगा और जो उसकी परेशानी है वह दूर हो जायगी लेकिन वह परेशानी बढ़ती ही जा रही है ।

अब एक चीज और यह देखी जाती है कि जहां तक सेशन ट्रायल का सवाल है पहले जूरी के जरिये ट्रायल होता था । यह खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी ने जूरी ट्रायल खत्म कर दिया । लेकिन असेसर्स के जरिये जो ट्रायल होता है उसके लिये वांचू कमेटी की रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो उसमें साफ लिखा है कि असेसर्स ट्रायल की जरूरत नहीं है । पहले अंग्रेज और फारेन कंट्री से जजेज आते थे । उनके लिये यह जरूरी था कि न्याय के वक्त ऐसे आदमी बिठलाये जायं जो उनको यहां के कस्टम्स और रीति रिवाज के मुताल्लिक बतला सकें । लेकिन अब सही तरीके पर न्याय देने के लिये उनकी जरूरत नहीं है । इस चीज के लिये हजारों रुपया हमारे प्रदेश का खर्च किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि जूरी के साथ-साथ असेसर्स ट्रायल भी खत्म होना चाहिये । इससे जो हमारा रुपया बेकार खर्च हो रहा है वह भी बचेगा ।

सेशन ट्रायल जो होता है उसमें मैजिस्टीरियल इंक्वायरी होती है और जितने मुकदमे सेशन कोर्ट में सुने जाने चाहिये उन्हीं का बयान इन दोनों जगह यानी मैजिस्ट्रेट के यहां और जज के यहां सुना जाता है और जहां तक फार्मल विटनेसेज का सवाल है मैं समझता हूं कि जैसा वांचू कमेटी ने रिकमेंड किया है कि अगर सेशन कोर्ट में यह चीज देखी जाती है तो ज्यादा अच्छा होता है । जहां तक फैक्टस का सवाल है, अगर सरकार चाहे तो फैक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां देखा जाय और जजेज के यहां भी, लेकिन यह इस तरह की अनामली है जिससे डिले होती है और लोग परेशान किये जाते हैं ।

अभी गेंदासिंह जी ने रिमांड वगैरा के मुताल्लिक कहा । रिमांड के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि मुझे मालूम है कि हमारे गाजीपुर जिले का एक कैदी बलिया में एक डकैती के केस में था । वह बलिया से गाजीपुर लाया गया और उसका दो तीन महीने का रिमांड लिया गया । किसी मैजिस्ट्रेट ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों रिमांड लिया जा रहा है । बाद में जब यह दरख्वास्त दी गयी कि उसका अन लाफुल कंफाइनमेंट हो रहा है तब इंक्वायरी के बाद वह रिहा किया गया । इस तरह से आंख बन्द करके रिमांड लिया जाता है । वैसे तो हमारे ला के अन्दर यह दिया गया है कि सिकेंड या थर्ड रिमांड जो दिया जाय उसपर स्ट्रिक्टली आर्डर्स पास किये जांय, लेकिन यह जो हमारे प्रदेश के अन्दर मौजूद है उनसे कठिनाई बढ़ती जा रही है और जितने मैजिस्ट्रेट हैं वह आंख बन्द करके अपने दस्तखत पुलिस की रिपोर्ट पर कर देते हैं और यह ख्याल नहीं करते हैं कि कुछ मामला है या नहीं । इस तरह की परेशानी बढ़ती जा रही है । इस संबंध में हमारे माननीय विधान सभा के दो सदस्यों के मुताल्लिक प्रिविलेज का क्वेश्चन उठाया जा चुका है ।

अब एक चीज और है कि इस स्वतंत्रत भारत में हम यह उम्मीद करते थे कि हर आदमी के राइट्स का खयाल किया जायगा, लेकिन दफा ४९७ और ४९८ के ऊपर जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किये गये हैं उनसे हम यह देख रहे हैं कि जो जजेज के पावर्स हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है । अगर हम उनको ज्यादा पावर्स दें इस माने में हमारे जो राइट्स हैं उनको किसी तरह से वह सेफगार्ड कर सकें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता और इस तरह से हमें ज्यादा फायदा भी होता ।

*श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, जो तजवीजें इस विभाग के सिलसले में इस विधान सभा में पेश हुईं वह सब मैंने बड़े ग़ौर से सुनी । मुझे यह तसलीम है कि हमारे प्रान्त में दिवाने के जो मुकदमे होते हैं, खास कर अगर वे बड़े मुकदमे होते हैं तो उनमें अक्सर देर हो जाती है लेकिन अगर यहां के सदस्य ग़ौर करें तो वे देखेंगे कि उस देर में बहुत कुछ हिस्सा वकीलों का और खुद फरीकेन का होता है । अक्सर देर की वजह यह होती है कि एक फ़रीक को फ़ायदा होता है जितना ही मुकदमा देर में हो, वह जायदाद पर क़ाबिज है, जानता है कि जायदाद उसकी नहीं है और वह तरह-तरह के तरीके अख्तियार करता है ताकि मुकदमा जल्दी न फ़ैसला होने पाये । इसी तरह से और भी हजार तरीके हैं, जिन लोगों का अदालतों का तजुर्बा है वे जानते होंगे कि अगर अदालत बहुत कोशिश करे तो भी कुछ ऐसे वजूहात हो जाते हैं कि मुकदमे में देर हो ही जाती है और उनका फ़ैसला जल्दी हो नहीं सकता है । कुछ नहीं तो किसी मामले में हाईकोर्ट में निगरानी कर दी गई । अब वह वहां पड़ा हुआ है दो तीन बरस, जितने भी लग गये और यहां आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बाद कहीं फिर वापस हुआ तो कहीं गवाह तामील नहीं है, कहीं वकील साहब को फुर्सत नहीं है । तो इस तरह से उसमें देर लग जाया करती है। मगर मेरा तजुर्बा यह है कि अक्सर यह होता है कि अगर अदालत समझदार है तो वह फ़रीकैन को नाराज भी नहीं करती और मुकदमा का फ़ैसला जल्दी करती है । पर्सनालिटीज के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार होता है।इसमें शक नहीं कि कानूनी दिक्कतें भी ऐसी हैं जिनकी वजह से बिला वजह देर होती है । उसके सिलसिले में, जैसा मैंने बयान किया, एक कमेटी हमारी गवर्नमेंट ने बिठा ली और उसकी जो रिपोर्ट आयी उसके मुताल्लिक सब अहकामात जारी कर दिये गये और उनपर अमलदरामद भी हो रहा है । लेकिन लाख अहकामात जारी हों जबतक यह जस्टिस का सिस्टम हमारे यहां है, जब तक यह सिविल प्रोसीजर और दूसरे ऐक्ट्स ऐसे हैं तब उनमें इतनी गुंजायश है कि लाख कोशिश करें तो भी कुछ नहीं हो सकता । हां, एक चीज हो सकती है कि अगर जज मुस्तैद हो जांय वकील साहबान कंट्रोल कर लें तो मुकदमे जल्दी हो सकते हैं । हां, इसके अलावा एक इलाज और है, हमारे सब भाई ग़ौर करें, फ़र्ज कीजिये दिवानी का कोई मामला है, ऐसे मामलात छोड़ दीजिये जिसमें एक शख्स बिल्कुल ग़लत है, बहुत से ऐसे मुकदमें होते हैं जो महज तफ़रीहन चलाये जाते हैं, यानी कुछ झगड़ा हुआ । आपस में भाई-भाई में बटवारे का मामला हुआ, मिया-बीबी में कोई झगड़ा हुआ, किसी जायदाद का पुरानी विरासत का मामला हुआ तो बीच में कुछ ऐसे आदमी पड़ जायं कि जिनके ऊपर दोनों फ़रीक़ को एतमाद हो और वे आपस में मामले को तय कर दें तो आदालत में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है । गवर्नमेंट को चाहे जितना इल्जाम दें कम से कम यह तो कोई नहीं कह सकता कि दीवानी के मामलात में किसीको वह मजबूर करती है कि वह आदालत में जाय । पुराने जमाने में अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले मेरे ख्याल में पंचायत का जो सिस्टम था और जो अब थोड़े दिनों से हमारे देहातों में रायज किया गया है यह पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा था और कुछ ऐसे लोग बुड्ढे, संजीदा और तजुर्बेकार हर जगह पर, हर मुहल्ले में, हर क़स्बे में और हर शहर में होते थे जिन पर लोगों को ऐतमाद हुआ करता था । आपस में झगड़ा होने पर ऐसे लोग बीच में पड़ जाया करते थे और कुछ इसको दबाकर और उसको दबाकर सुलह करा दिया करते थे । अगर हम लोग इस चीज को रायज करें तो जो यह मुश्किल चीज है जिसको हम बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं वह बहुत कुछ कम हो सकती है । बहरहाल अगर इंगलिश सिस्टम आफ जस्टिस को ही रखना चाहते हैं जिसकी कि बाज विरोधी पार्टी के लोगों ने बहुत तारीफ की है । हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का जो सिस्टम है उसमें चाहे और खराबियां हों लेकिन उसपर हमारी जनता का आज ऐतमाद बहुत काफी है । वह यह समझती है कि उनके ऊपर कोई जुल्म हो गया तो वह उसका इलाज अदालत में करा लेंगे और फैसला उनके माफिक हो जायगा । ऐसी सूरत में अगर हम उस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर हम चलना चाहते हैं तो जो उसकी खराबियां हैं वह तो रहेंगी ही । आप यह नहीं कर सकते हैं कि मसलन आपने कहा कि अदालत अपील को मंसूख किये देता हैं । एक अदालत मुकर्रर कर दें फिर उसकी अपील नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होनी चाहिये । मुझे यकीन है कि अगर आप इस चीज को कहीं कर दें तो लोग उसको नामंजूर कर देंगे ।

हमने इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं । मसलन हमने किया है कि जो मुकदमें पहले हाई-कोर्ट की अदालत में जाते थे, अगर उनकी मालियत १०,००० है तो वही जजी में जायेंगे और भी कुछ तब्दीलियां वांचू कमेटी की रिपोर्ट के बाद की हैं । लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और जो वातावरण बना हुआ है वह बदस्तूर चलता रहेगा । इसको अगर बदलना है तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज की जाय । जिसको हम सोच कर, जिन लोगों को दिलचस्पी हो, वह इस क़िस्म की एक बाडी या जमाअत कायम कर दें ऐसे लोगों की जिनके ऊपर वहां के आदमियों का काफी ऐतमाद हो और छोटे-छोटे झगड़ों को वही तय कर दिया करें और अदालत की जहमत परेशानियां से लोग बच जायं ।

बहरहाल यह चीज ऐसी है जिसको कि गवर्नमेंट भी समझती है कि गलत है और ताखीर मुकद्दमों में जो होती है वह नहीं होनी चाहिये और हम कोशिश कर रहे हैं और हर तरीका इमकान को अख्तियार कर रहे हैं कि मुकद्दमें जल्द फैसला हों ।

इसके बाद एक जिक्र एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी को अलग करने का हुआ । जाहिर है कि हमारा उसूल है, हमारे विधान में शामिल है और हमें इस पर अमल करना है और हमने अमल किया भी है । लेकिन इस वक्त असली चीज यह है कि आया जो हमारे यहां क्रिमिनल जस्टिस जो हो रही है उसमें कुछ तब्दीली करनी है या नहीं । इसकी वजह यह है कि कोई भी गवर्नमेन्ट हो उसका पहला फर्ज यह है कि अपने मुल्क में लां ऐंड आर्डर कायम रहे, अमनो सकून कायम रहे । अगर अमनो सकून कायम नहीं रहता है तो जितनी खूबी गवर्नमेंट की है वह खाक में मिल जाती है और वह इस काबिल नहीं है कि दो दिन भी इजाजत दी जाय कि वह हुकूमत करे । अमनो सकून की इसलिये जरूरत है कि क्रिमिनल जस्टिस प्राम्पटली और सही तरीके पर अंजाम पाये । हमारे यहां ऐसी फ़िजा पैदा हो रही है कि जो मुकद्दमें क्रिमिनल चलाये जाते हैं उनका फैसला जिस तरह से होना चाहिये नहीं होता है । उसके मुख्तलिफ असबाब हैं । सब से बड़ा सबब यह है कि सबूत पहले पुलिस के दबाब से या धमकी से जनता से हासिल कर सकती थी वह कंट्रोल अब पुलिस का जनता के ऊपर बाकी नहीं है और यह सबूत उसको नहीं मिलता और आमतौर से हमारी जनता जो है वह जब कभी कोई मुल्जिम होता है, चाहे वह बड़े से बड़ा डाकू क्यों न हो, उसके साथ उसकी हमदर्दी पैदा हो जाती है और उनमें यह जज्बा जरा कम होता है कि हम किसी न किसी तरह कोशिश करके पुलिस के जरिये उसको सजा दिलवायें । उसका नतीजा यह है कि ऐसे मुकदमें जो कि बहुत अहम होते हैं वह भी छूट जाते हैं । तो इसकी बदौलत जो हमको दिक्कतें पेश आ रही हैं उसकी वजह यह हो रही है कि हमारे यहां कुछ न कुछ थोड़ी सी बदअमनी हमारे कंट्रोसाइड में है । क्योंकि जब कोई मुल्जिम है और वह छूट जाता है तो वह वहां जा कर के अकड़ता है । वह कहता है कि पूरी हुकूमत ने मुकाबला किया और मैं छूट गया । वहां के लोकल आदमी जानते हैं कि वह मुजरिम है । तो इससे लोगों में एक बेचैनी, एक बेइत्मिनानी पैदा हो जाती है । तो हमको तो पहले अपने यहां इस तरह के खयालात पैदा करने हैं कि जैसे कि आजाद मुल्कों में हैं । वहां भी ऐसे कानून हैं जैसे हमने कानून बनाये हैं, लेकिन वहां जनता में पुलिस का कितना ज्यादा कोआपरेशन है, कितनी ज्यादा यकजहती है कि दोनों मिल करके अपना फ़र्ज समझते हैं और कोई भी मुल्जिम अगर हो तो उसको सजा दिलवाना उनका मुश्तरका फ़र्ज है और वह यह समझते हैं कि उसे मिलकर करना है, इसमें कोई अन्याय का सवाल नहीं है । तो इस तरीके की जब तक हमारे यहां फीलिंग पैदा नहीं होती उस वक्त तक इस किस्म के सवालात उठाना कि एग्जिक्यूटिव सेपेरेट हो जाय, जुडीशियरी सेपेरेट हो जाय तो वह जरा कब्ल अज वक्त है । इसमें कोई शक नहीं कि वह आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हम करेंगे जरूर । हमने इसको तसलीम किया है कि यह अलग होने चाहिये, लेकिन किस वक्त हमको करना है, कौन चीज पहले करना है चाहिये और कौन बाद को करना है यह ऐसा मामला है कि जिसको

[श्री सैयद अली जहीर]

बहुत सी सूरतें हाल को पेशे नजर रखकर इसका फैसला करना है । तो यह आप न समझें कि गवर्नमेंट इससे गाफिल है, लेकिन सूरते हाल इस वक्त ऐसी नहीं है कि इसकी तरफ कोई मजीद कदम उठाया जाय ।

आपने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में जजेज की तदाद कम है । बेशक काम है । हाई कोर्ट में मेरे खयाल में सैंक्शंड स्ट्रेंग्थ २२ की है और वैसे तो २४ तक हो सकते हैं, मगर सेक्शंड स्ट्रेंग्थ भी हमारे यहां नहीं है । सिर्फ १८ जजेज इस वक्त हाई कोर्ट के हैं और उनमें से एक जज तो लांग लीव पर है और काम नहीं कर रहे हैं । लेकिन आप जैसा जानते है इस प्रान्त की हुकूमत का कोई ज्यादा दखल नहीं है । उनका तक़र्रुर तो प्रेसीडेंट और होम मिनिस्टर के मशविरे चीफ़ जस्टिस आफ इंडिया के मशविरे से होता है । हमारे यहां से तो महेजसिफ़ारिशात जाती हैं। बहर-हाल इसकी तरफ तवज्जह अखबारात के जरिये भी और मुख्तलिफतरीके से केन्द्रीय सरकार की दिलायी जा चुकी है, लेकिन अभी किसी वजह से इसका फैसला नहीं हुआ है ।

फिर यह शिकायत की गयी कि जूरी तो अच्छा हुआ अबालिस की गयी लेकिन असेसर्स को भी अबालिस होना चाहिये । इसके सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि असेसर्स को अबालिश करने का तरीका यह नहीं है कि गवर्नमेंट अपने किसी नोटिफिकेशन के जरिये उसको खत्म कर दे, जैसा कि जूरी के मुकाबले में किया है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया जहां जिन जिलों में जूरी के जरिये ट्रायल होता था । असेसर्स का तकर्रुर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जरिये होता है । उसके लिये इस बात की जरूरत है कि जाब्ता फौजदारी में तबदीली की जाय ।

जहां तक जाब्ता फौजदारी की तरमीमात का जिक्र है, हमने पहले एक बिल बनवाया था और हम चाहते थे कि जैसा कि हमने दिवानी के कानून को बदलने के लिये अपना बनवाया है इसी तरह से हम फौजदारी के कानून को भी तरमीम करें और हमको अख्तियार है । लेकिन इसी दौरान में हमसे गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा कि अगर तुम बदलोगे तो इसका नतीजा यह होगा कि अलग-अलग सूबों में मुख्तलीफ किस्म के जाब्ता फौजदारी के कानून बन जायंगे और यह अच्छा नहीं होगा, लिहाजा हम इसका कानून बनाएंगे । और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसकी तरमीम का कानून बना दिया है और वह हमारे पास भेजा है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं और जिस पर हम हम अपनी राय भेजेंगे । इसके जरिये से उन्होंने तय किया है कि मिनजुमला और तरमीमात के असेसर्स के सिस्टम को भी खत्म कर दिया जाय ।

कुछ शिकायत यहां पर डिस्ट्रीक्ट गवर्नमेंट कौंसिल के तकर्रुर के मुताल्लिक भी हाउस में हुई । डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल की सूरत यह है कि उसकी एक वकील की हैसियत और गवर्नमेंट की हैसियत एक मुवक्किल की है । जैसे मुवक्किल जब अपने वकील को चुनता है तो उस वक्त वह यह नहीं देखता कि यह वकील जो है वह किस पार्टी का है या किस मजहब का है या उसकी सूरत कैसी है या और बातें कैसी है, वह तो सिर्फ यह देखता है कि यह काबिल है या नहीं और इससे हमारा जो मक्सद है वह हासिल होगा जा नहीं, इसी तरह से गवर्नमेंट जब चुनाव करती है डी० सी० जी० का तो वह उन लोगों से जो कि तैयार होते हैं इस काम को करने के लिये उनकी दरख्वास्ते मांगती है और उसी बुनियाद पर जो बेहतर आदमी होता है बिला लिहाज इसके कि वह किस जमाअत का है या किस पार्टी का है, उसको चुन लिया जाता है । यह जाहिर है कि जब डी० सी० जी० किसी जिले का हम मुकर्रर करेंगे तो जो मुकामी अफसर होगा जिससे कि उसका साबका पड़ेगा, वह होगा कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्योंकि जो मुकदमें होंगे उनकी पैरवी मुकामी तौर से उस डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी होता हो, उसके मुताल्लिक होगी और उसी की निगरानी में उसको काम करना पड़ेगा । उसी से उसका ताल्लुक रहेगा । किसी मुकदमे में कानूनी राय लेनी हो या किसी के मुताल्लिक कुछ पूंछताछ करना हो तो वह हमेशा डी० सी० जी० से करेगा । तो जाहिर है कि डी० सी० जी० की तक़र्रुरी में डिप्टी कमिश्नर की या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के साथ

मिलकर काम करना पड़ेगा । इसी के साथ-साथ हमें यह भी जानने की जरूरत पड़ती है कि उसकी काब्लियत कैसी है, मुकदमें किस तरह से यह करता है । तो इस वजह से हम अपने डिस्ट्रिक्ट जज से भी उसके मुताल्लिक राय मांगते हैं और जब कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों की राय एक हो जाती है तो हमको उसके चुनने में अमूमन दिक्कत नहीं होती है । अगर दोनों की राय उस के बारे में एक होती है तो हम उसकी तकरूरी कर देते हैं लेकिन बाज वक्त ऐसा भी होता है कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज की राय एक दूसरे से नहीं मिलती, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की राय कुछ और है और वह चले गये दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज आये, उनकी राय कुछ और है, तो इन सब पर भी हमको गौर करना पड़ता है, ऐसी सूरतें भी होती हैं। पर जहां तक कि उसूल है वह उसूल बना हुआ है और जैसाकि मैंने कहा सबसे बड़ा उसूल यह है कि वह जो आदमी निहायत काब्लियत के साथ बेहतर तरीके से काम करने वाला जिले में हमको मिल सकता है और वह हमारे मुकदमें की पैरवी ठीक तरीके से कर सकता है उसको हम रखते हैं । अब रहा यह कि अगर कोई उसूली इख्तिलाफ है हमारे और उसके बीच में, किसी मामले में हमारी उसकी एक राय नहीं हो सकती तो वह दूसरी बात है लेकिन आमतौर से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल और कलेक्टर के बीच में किसी उसूली इख्तिलाफ की बात मेरे इल्म में नहीं आयी है और न होती है ।

इसके अलावा कुछ और शिकायतें की गयीं । मसलन मकान वगैरह कि अदालतों की इमारतें बाज बाज जगहों पर बहुत खराब हैं । मुझे इसका पूरी तरह से एहसास है और मैंने उसके लिये ४, ५ लाख रुपया का इन्तजाम भी किया है । कुछ जगहों पर अदालतों की इमारतों की तामीर के लिये और इस किस्म की जरूरियात के लिये भी रुपये का इन्तजाम किया गया है लेकिन यह जाहिर है कि यह इतना बड़ा काम है कि इसका इंतजाम आनानी से एकदम नहीं हो सकता है लेकिन मैं इसका वायदा करता हूं कि मेरे इल्म में जो जगहें ऐसी आयेंगी जहांकि हालत ज्यादा खराब है तो मैं बराबर उनका इन्तजाम करता रहूंगा । इस साल जिन जिन जिलों में हम कुछ न कुछ इमारतों का इन्तजाम कर रहे हैं वह यह हैं: बदायूं, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, गोंडा, इलाहाबाद और जौनपुर, और इसीके साथ-साथ रानीखेत, बहराइच, मेरठ और पौड़ी ।

श्री रामकुमार शास्त्री—और बस्ती ऐड कर दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर—बस्ती नहीं है तो कैसे मैं ऐड करदूं । आप ने पहले से नहीं कहा नहीं तो ऐड हो जाता ।

नगीना भी है और देवरिया, मथुरा, सहारनपुर और आगरा है । बहरहाल उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिये कुछ और रुपया है । तो इस तरह से हर जगह इसका इन्तजाम किया जा रहा है और बाकी किसीको अगर आप बतायेंगे तो आइन्दा साल बस्ती के लिये भी और-और जिलों के लिये कुछ न कुछ रुपयों का इन्तजाम होगा । अंडरट्रायल्स के मुताल्लिक गेंदासिंह जी ने कहा । इसके मुताल्लिक मेरे पास जो इत्तलात हैं वह यह है कि अंडरट्रायल की तादाद जो एक साल पहले जितनी थी उससे अब बहुत कम है । बरहाल जो भी अंडरट्रायल की तादाद ज्यादा है वह इसलिये कि जो कुछ क्राइम्स बढ़ गये हैं न कि इस बजह से कि उनके मुकदमें फैसला नहीं हो रहे हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले अपने भाषण में यह कहा था कि जुडिशल डिपार्टमेंट को रेवेन्यु डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिये । जितना भी इसपर रुपया बचता है कम से कम बिल्डिंग को बनाने में ही खर्च किया जाय । जैसा कि मैंने पहले ही कहा जिस तरह से किसी मंदिर में जाकर मनुष्य यह आशा करता है कि ईश्वर उसके लिए कुछ करेगा उसी तरह से अदालतों में लोग जाया करते है कि उनको इंसाफ मिलेगा । लेकिन आज कचहरियों की हालत देखिये । वहां जाते ही बरामदे में चपरासी खड़ा होता है वह डांट देता है । कहीं

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

बैठने का क्या पानी पीने तक का प्रबन्ध नहीं है । इस तरफ ध्यान तो दिया ही नहीं जाता । बिना पैसे के न्याय मिलना तो दूर रहा, जैसे इंग्लैंड में कोर्ट फीस वगैरह भी नहीं ली जाती। (एक आवाज–इंग्लैंड में ली जाती है) इसी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि इंग्लैंड में कोर्ट फीस नहीं पड़ती । मैं तो इंग्लैंड कभी गया नहीं ।

तो मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट न बनाया जाय । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । १९५१–५२ में ७९ लाख की आमदनी हुई इस विभाग में, १९५२–५३ में ६८ लाख की आमदनी हुई और १९५४–५५ में ७६ लाख की आमदनी होने जा रही है । रोडवेज में जहां कम आमदनी मिलती है वहां भी पानी पिलाने का इंतजाम है। लेकिन आदलतों में पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिये ।

इग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग न करने के जो कारण माननीय मंत्री जी के बतलाये वह बिलकुल मेरी समझ में नहीं आये । यह कहना कि गवाह नहीं मिलते हैं केस को चलाने के लिये अगर यह सिद्धान्त सिर्फ डकैतों तक ही सीमित रहता तब तो मैं कहता कि ठीक है लेकिन इसी प्रिंसिपल को पोलिटिकल पार्टीज पर भी लागू कर दिया जाता है । हमारे इसी सदन के कुछ माननीय सदस्य जो देवरिया से आते हैं जैसे श्रीगेंदासिंह जी वगैरह, इन सब लोगों को दो साल की सजा हुई थी, लेकिन जब के यहां से ये बिलकुल साफ बरी हो गये और जज ने कहा कि यह मुकदमा इन पर बिलकुल झूटा चलाया गया है । हम हमेशा जुडीशियरी की तरफ निगाह रखते हैं कि हमें वहीं थोड़ा सा इंसाफ मिलेगा ।

जहां तक हाईकोर्ट के जजों का सवाल है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस संबंध में राष्ट्रपति को अवश्य लिखना चाहिये । हमारे यहां हाईकोर्ट में पांच पांच साल से अपील बड़ी हुई हैं । १९५१ से, एक हजार ७४८ अपीलें पड़ी हुई हैं । कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड । इसलिये की हमारे पास हाईकोर्ट के जज काफी नहीं है । तो क्या वजह है कि हमारी सरकार राष्ट्रपति को ऐप्रोच नहीं करती कि हाईकोर्ट के जजों की तदाद बढ़ाई जाय जबकि उनकी तदाद २४ तक हो सकती है ।

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने आज अपना कुछ ऐटीट्युड बदला । उन्होंने कुछ तो इस सरकार के खिलाफ कहा कि यह गैर इन्साफी हो रही है । मुझे उनकी स्पीच को सुन कर बड़ी खुशी हुई । उन्होंने जो सिविल लिबर्टीज की बात कही हमें तो उसके लिये लड़ना ही है । उनकी सिविल लिबर्टीज शायद खतरे में न पड़े लेकिन हम तो अपनी सिविल लिबर्टीज की रक्षा के लिये हमेशा हाईकोर्ट के जजों की तरफ देखा करते हैं । इसलिये हम कहेंगे कि हमारी सिविल लिबर्टीज को रखने के लिए और हमारे फंडामेंटल राइट्स को रखने के लिए जो हमें संविधान में अधिकार मिल गये हैं अगर उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो वह जुडिशियरी है । अगर किसी वक्त बदकिस्मती हमारी ऐसी हो कि जुडीशियरी से कांफिडेंस हट जाय तो हमारा प्रान्त खतरे में पड़ जायगा । चाहे कोई इस पक्ष का हो या उस पक्ष का सब इसी पक्ष में हैं कि हमारी जुडीशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर सके ।

जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रक्खे भी गये हैं मैंने पहले भी कहा था कि उनपर कंट्रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं । अगर ऐसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जिनका ग्रेड ३००, से ५०० तक ही हो, जो दूसरे पद पर नहीं जा सकते क्या उस जुडीशियरी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह इंडिपेंडेंट हो सकती है । इसको इंप्रूव किया जाय । जुडीशियल मैजिस्ट्रेटस की तनख्वाह वही हो जो डिप्टी कलेक्टर्स की होती है, उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनने का मौका होना चाहिये तब उनसे इन्साफ की आशा की जा सकती है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए कभी यह आशा नहीं हो सकती कि जुडीशियरी कभी हमारे देश में पनप सकेगी । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वांचू कमेटी की जो

रिपोर्ट है उसमें जो कठिनाई कानून के जरिये पूरी हो सकती है वह कानून के जरिये पूरी की जाय और जो वैसे हो सकती है, उसे वैसा किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी भी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,२२,४३,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस हफ्ते का प्रोग्राम क्या होगा । माननीय सदस्य उसे जानना चाहते हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—२५ तारीख तक तो बजट का सिलसिला रहेगा । २६ को असेम्बली की छुट्टी है । २९ को फिर शुरु होगी और उस रोज पंचायत राज्य का मोशन सिलेक्ट कमेटी के लिये होगा । लेकिन यह तो अगले हफ्ते की बात है, उसी वक्त बतला दिया जायगा । २६ तारीख को नान अफिशियल डे था, अगर मेम्बरों की ख्वाहिश होगी कि यह नान अफिशियल डे फिर मिले तो पीछे एक नान अफिशियल डे और बढ़ा दिया जायगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२२ मार्च, १९५४ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६७ एल० ए०—१९५४—५५० ।